खण्ड-375, अंक-8
शनिवार, 10 फाल्गुन, शक संवत् 1907
(1 मार्च, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 375 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, दिनांक १ मार्च, १९८६

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में ११ बजकर ४ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री त्रिलोक चन्द्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अकबर हुसैन बाबर, श्री	फैजाबाद	प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर
अच्युतानन्द तिवारी, डा०	गोरखपुर	प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	फागू चौहान, श्री	आजमगढ़
अमरनाथ सिंह, श्री	फतेहपुर	फूल कुंवर, श्री	मुरादाबाद
अमिताभ अनिल दुबे, श्री	गाजीपुर	फूल सिंह सौंदाई, श्री	मुजफ्फरनगर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	बाबू सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
अलमेलु अमाल, कुमारी	बस्ती	बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री	देवरिया	मंगलदेव, श्री	गोण्डा
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
अशोक लेहरा, श्री	आगरा	महेन्द्र सिंह भाटी, श्री	गाजियाबाद
आर० एन० पाठक, श्री	कानपुर	मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
कनक सिंह, श्री	गाजियाबाद	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	मोती राम सांगुड़ी, श्री	नैनीताल
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	मोहम्मद मसूद खां, श्री	आजमगढ़
कुशल पाल सिंह, श्री	मथुरा	मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री	राय बरेली
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद	रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	राजा मोहम्मद अमीर	,,
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा	मोहम्मद खां, श्री	सीतापुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
जयराम वर्मा, श्री	फैजाबाद	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
जागन सिंह, श्री	रामपुर	राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	बुलन्दशहर
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती	रामपाल सिंह एडवोकेट, श्री	गोण्डा
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर	राम बदन एडवोकेट, श्री	आजमगढ़
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
नरेश चन्द्र, श्री	लखनऊ	रिछपाल सिंह बंसल, श्री	मेरठ
नानक चन्द्र, श्री	मेरठ	लालता प्रसाद निषाद, चौधरी	गाजीपुर
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़		
निरोत्तम सिंह, श्री	बदायूं	लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर	बिलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर

बीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद	समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
शिव बरण्श सिंह राठौर, श्री	मैनपुरी	सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली	सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
शिवानन्द नौटियाल, डा०	चमोली	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरीगढ़वाल	सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी	सैयद जावेद अली सब्जपोश, श्री	गोरखपुर
संजय सिंह, डा0	सुल्तानपुर	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
सईदुज्जमा, श्री	मुजफ्फरनगर	हर नारायण सिंह,, श्री	रायबरेली
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद	हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
सखावत हुसैन, श्री	मुरादाबाद	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सतीश अजमानी,श्री	खीरी	हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा	हीरा सिंह विष्ट, श्री	देहरादून

नोट : श्री अरुण सिंह, सहकारिता मंत्री, कु० सरस्वती अम्माल, अहमद अन्सारी लघु उद्योग, मंत्री, श्री सिब्ते रजी, शिक्षा श्रम राज्य मंत्री, श्री निसार एवं हथ करघा राज्य मंत्री ।

प्रेस दर्शन

शनिवार, दिनांक 1 मार्च, 1986

श्री कमलेश कुमार पाठक सदस्य विधान सभा की रिहाई की सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने औचित्य का प्रश्न दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका आया है । आप एक मिनट बैठें । पहले मैं सदन को एक सूचना दे दूं । अधीक्षक, जिला जेल इटावा ने अपने वायरलेस सन्देश दिनांक २७-२-८६ जो २८-२-८६ को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री कमलेश कुमार पाठक, सदस्य, विधान सभा को दिनांक २७-२-८६ को ११—१७ बजे रिहा कर दिया गया है ।

लोकायुक्त के पास 157 विचाराधीन मामलों में शासन द्वारा वांछित स्पष्टीकरण न दिये जाने से लोकायुक्त की रिपोर्ट प्रस्तुत होने में विलम्ब के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैंने जो औचित्य की सूचना दी है वह इस सदन से सम्बन्धित है । उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम १९७४ की धारा ६ और ७ की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । धारा ६ में लिखा है "लोक आयुक्त तथा सभी उपलोकायुक्त इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में एक समेकित प्रतिवेदन प्रति वर्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे ।" अब धारा ७ में देखिये क्या लिखा है—" उपधारा (५) के अधीन विशेष प्रतिवेदन या उपधारा (६) के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल, उसकी एक प्रतिलिपि स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेंगे ।" मैं राज्यपाल के ऊपर कोई टीका नहीं करना चाहता हूं । मान्यवर, इसमें लिखा है कि राज्यपाल रखवायेंगे अर्थात यह शासन उक्त रिपोर्ट रखेगा । परन्तु मेरे पास जो जानकारी है पिछली विधान सभा में २३ जुलाई, ८५ को एक रिपोर्ट रखी गई थी । यह सन् ८१ की रिपोर्ट थी । यह जनवरी से दिसम्बर तक की रिपोर्ट थी । मेरी निश्चित जानकारी है कि इसके बाद के वार्षिक प्रतिवेदन माननीय राज्यपाल के पास आ चुके हैं । मेरी यह जानकारी है कि इस सरकार के १२ मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कार्यवाही होनी है और कुल १५७ मामले हैं । लोकायुक्त ने १५७ मामलों में कार्यवाही करने की संस्तुति की है । मेरा आरोप है कि जानबूझकर यह सरकार कार्यवाही करने से हिचक रही है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है । वर्ष ८५ समाप्त हो गया, ८६ प्रारम्भ हो गया, ८४-८५ की रिपोर्ट नहीं मिली, इसलिये धारा ७ के उपबन्धों से वंचित किया जा रहा है । हम लोकायुक्त की रिपोर्ट पर चर्चा कर सकते हैं । इस बात की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सरकार आदरणीय सदन के अधिकारों को खण्डित कर रही है । संसदीय परम्पराओं की अवमानना तथा विधि द्वारा जो अधिकार हम लोगों को प्राप्त हैं, उसकी अवमानना हो रही है ।

★संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

जहां तक माननीय गुप्त जी ने उल्लेख किया है धारा १२ (६) १२ (७) यू० पी० लोकायुक्त अधिनियम १९७४ का उसकी धारा ६ में लिखा है कि लोक आयुक्त तथा सभी उप लोक आयुक्त, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में एक समेकित प्रतिवेदन प्रति वर्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे ।

मान्यवर, यह जिम्मेदारी तो लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त की है कि वे राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन दें । उसके बाद महामहिम राज्यपाल उसे विधान मण्डल में प्रस्तुत करेंगे । दोनों

★वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ही पद ऐसे हैं लोक आयुक्त का और राज्यपाल का, जो विधान मण्डल के लिये उत्तरदायी नहीं हैं और जिनके कृत्यों के बारे में विधान मण्डलों में चर्चा नहीं हो सकती । न ही विधान मण्डल लोक आयुक्त को, न ही महामहिम राज्यपाल को निर्देशित कर सकता हैं कोई कार्य करने के लियें । जैसे ही शासन को कोई रिपोर्ट उपलब्ध होगी, जब हमारी जिम्मेदारी हो जाती हैं कि विधि में दिये हुए समय के अन्दर उसे सदन के पटल पर उसका प्रतिवेदन रखा दें । वर्ष १९८१ की रिपोर्ट जैसे ही मिली, हमने रखवा दी । यह बात बहुत की काल्पनिक आरोप लगाते हुए गुप्ता जी ने कही कि कुछ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही चल रही हैं । मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूं कि इस मंत्रि मण्डल के किसी सदस्य के बारे में कोई कार्यवाही, किसी प्रकार की लोक आयुक्त के यहां नहीं चल रही हैं । इसलियें इस प्रकार की बात कहकर गुप्ता जी औंचित्य के प्रश्न के पीछे आरोप लगाने की आदत छोड़ दें । और मेरा अनुरोध हैं कि कोई व्यवस्था का प्रश्न इसमें नहीं बनता हैं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मा० गुप्ता जी ने जो कहा था, शायद मा० संसदीय कार्य मंत्री जी ने सुना नहीं । उन्होंने कहा था कि पूर्व मंत्रि मण्डल के जो सदस्य थे और उच्च पदस्थ अधिकारी थे, उनके खिलाफ, १५७ लोगों के खिलाफ मामले लम्बित हैं और शासन ने लोक आयुक्त को रिपोर्ट नहीं दी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यहां पर १५७ लोगों की बात नहीं हैं । प्रश्न यह हैं कि यह औंचित्य का प्रश्न बनता हैं कि नहीं । गुप्ता जी ने नियम ३०० के अन्तर्गत इसको रखा हैं । मैंने गुप्ता जी की बात को सुना और संसदीय कार्य मंत्री जी की बात को सुना ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दिया हैं उससे एक नयी बात पता लगी । उन्होंने कहा कि राज्यपाल और लोक आयुक्त के कृत्यों पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और दूसरी बात यह कही कि १५७ लोगों के बारे में लगाया गया मेरा आरोप काल्पनिक हैं । तो इनको अगर जानकारी नहीं थी तो इन्हें यह कैसे पता लगा कि मेरी कही गयी बात गलत हैं । मैंने ग्राह्यता पर बोलते हुए यह अपनी बात कही थी कि क्यों कि राज्यपाल के पास इनकी अनेक शिकायतें हैं । राज्यपाल द्वारा अधिनियम की धारा १२ के तहत राज्य सरकार से टिप्पणी मांगी जाती हैं जिसे जिसका जो वरिष्ठ प्राधिकारी हैं, जैसे मंत्रियों के मामले में मख्य मंत्री होता हैं, वह रिपोर्ट देता हैं । तो इनके द्वारा की गयी कार्यवाही से लोक आयुक्त को अवगत नहीं कराया गया । इसलिये लोक आयुक्त को वार्षिक प्रतिवेदन देने में देरी हुई । इन्होंने जानबूझकर रिपोर्ट नहीं दी । मैं उदाहरण देना चाहता हूं । यहां के कई मा० सदस्य पहले मंत्री थे । उनके बारे में लोक आयुक्त ने सिफारिश कर दी तो सरकार ने यह लिखकर भेज दिया कि हमने उनके विभाग बदल दिये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये । आपने औंचित्य का प्रश्न उठाया हैं . . .

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, आपने संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद और लोगों को सुना । तो दूसरे मा० सदस्यों को बोलने का मौंका दिया और हमें मौंका नहीं दिया जा रहा हैं । या तो आप संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद और किसी को बोलने का मौंका न देते । आपने और लोगों को मौंका दिया हैं, अत: हमें भी मौंका मिलना चाहियें ।

श्री उपाध्यक्ष—

चूंकि यह औंचित्य का प्रश्न गुप्त जी का था इसलिय्ये उनको बुलवाया और किसी को नहीं बुलवा रहा हूं । इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री जी और कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा कि किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी, उसके बाद भी बोलने का सिलसिला जारी है। तो आपकी व्यवस्था के बाद किसी के बोलने का औचित्य नहीं बनता।

श्री हुकुम सिंह—

मा० उपाध्यक्ष जी, अभी गुप्ता जी ने एक बात की जानकारी चाही कि मैंने यह कहां से पता लगाया कि कोई कार्यवाही नहीं चल रही है। मान्यवर, मैंने वहीं से पता लगाया जहां से गुप्त जी को पता लगा। जहां से सोर्स इनका है, वहीं से पता लगा कि कार्यवाही नहीं चल रही है। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि कार्यवाही चलने की एक प्रक्रिया होती है। किसी के खिलाफ कोई शिकायत होगी, कार्यवाही चल रही होगी तो उसके खिलाफ नोटिस दी जाती है। यहां जितने भी मंत्रि मण्डल के सदस्य हैं या भूतपूर्व सदस्य हैं, मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि किसी के पास किसी प्रकार की कोई नोटिस नहीं आयी है कि कार्यवाही लम्बित है। यह केवल एक काल्पनिक और मन गढ़न्त आरोप है जिसका कहीं कोई आधार नहीं है। केवल व्यवस्था के प्रश्न के आवरण में इस प्रकार के आरोप लगाना गलत है, आप इसकी अनुमति न दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो गुप्ता जी ने प्रश्न उठाया है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त अधिनियम की धारा-७ और ६ में लिखा है कि लोक आयुक्त तथा सभी उप लोक आयुक्त इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में एक समेकित प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे और दूसरे उपधारा (५) के अधीन विशेष प्रतिवेदन या उपधारा (६) के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल, उसकी एक प्रतिलिपि, स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे, तो इस पर व्यवस्था स्पष्ट है कि राज्यपाल को रिपोर्ट मिलने के बाद वे उसे यहां पर रखवाते। राज्यपाल की अनुज्ञा से स्पष्टीकरण और ज्ञापन सहित लोकायुक्त की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाती है। जहां तक इसका सवाल है आपने जो प्रश्न उठाया, तो जो विषय सदन के संज्ञान में नहीं होता, उस पर नियम ३०० का प्रश्न नहीं होता। अगर लोक आयुक्त की रिपोर्ट आ जायगी तब यह सदन में आ जायगा। अगर सदन के संज्ञान में नहीं आता है तो औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। इसलिये मैं इसको निरस्त करता हूं।

श्री मनोहर लाल द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, जिस देश में गंगा बहती है, हम लोग उस देश के निवासी हैं, हम उस देश के निवासी हैं, जहां भगवान कृष्ण और राम ने जन्म लिया। मान्यवर, हम लोग रामायण को एक आदर्श ग्रंथ के रूप में मानते हैं। उसमें महापुरुष राम जी के जीवन आदि का सारा वर्णन दिया हुआ है। मान्यवर, हिन्दुस्तान के सभी लोगों की, दक्षिण के लोगों की भावना उससे जुड़ी हुई है।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी माननीय सदस्य की व्यवस्था की बात खत्म नहीं हुई, अब आप क्या उठा रहे हैं।

श्री मनोहर लाल—

[× × ×]

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, यह किस नियम के तहत बोल रहे हैं।

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने कोई सूचना नहीं दी हैं माननीय मनोहर लाल जी आप किस नियम के तहत बोल रहे हैं ? मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । कोई बात नहीं लिखी जायेगी । नियमों के तहत कोई बात कहें ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, व्यवस्था के माध्यम से मैं इस तथ्य को सदन की संज्ञान में लाना चाहता हूं । आप चाहें न लिखायें । मान्यवर, भावनाओं को ठेस पहुंचायी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप नियमों का हवाला देते हुए, लिखकर के दे दीजिये ।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, मैं लिखकर के दे दूंगा । मैं सदन को संज्ञान में इस विषय को ला रहा हूं कि उन्होंने यह कहकर भावनाओं को ठेस पहुंचायी ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप लोग बैठें । मैं मद संख्या-२ ले रहा हूं ।

(श्री अवनीश कुमार सिंह को पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न हैं ।

मान्यवर, नियम ११० में यह प्राविधान हैं कि किसी सदस्य की भावनाओं को आघात करने वाली कोई बात हैं, तो वह आपकी संज्ञान में किसी भी समय लायी जा सकती हैं । अभी माननीय मनोहर लाल जी ने एक विषय उठाया ।

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय गुप्त जी बैठें । कोई बात नहीं लिखी जायेगी, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

भावनाओं पर सदन नहीं चलता हैं, आप नियमों का हवाला देते हुए लिखकर के दे दीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आप इस पर व्यवस्था दें ।

संकठा प्रसाद शास्त्री जी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उस समारोह में गये थे ।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मेरी एक करबद्ध प्रार्थना हैं ।

मान्यवर, रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ के बारे में अपशब्द कहकर माननीय मंत्री जी ने करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचायी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सदन नियमों से चलेगा । मैं किसी को इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, करोड़ों हिन्दुओं की भावनाओं को आघात पहुंचा हैं । आप इस संबंध में अपनी कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, रामचरित मानस हिन्दुओं का एक ऐसा ग्रन्थ हैं ।. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर दे दें । भावना से सदन नहीं चलेगा । नियमों के तहत सदन चलेगा और नियमों के अनुसार ही मैं व्यवस्था दूंगा ।

(व्यवधान)

(श्री विजय सिंह राणा के खड़े रहने पर)

————आप इसे सोमवार को ले आयें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आज की कार्य-सूची के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं, यह जो आज की कार्य सूची हैं . . . .

(श्री मनोहर लाल के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

यह कार्यसूची में जो आइटम नं0 5 है . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो आइटम नं० २ चल रहा है, आप बैठें । मैंने आइटम नं० २ के संबंध में श्री अवनीश कुमार सिंह का नाम पुकारा है ।

श्री अवनीश कुमार सिंह—

लेकिन मैंने तो इसको पढ़ दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं पुन: आपको आज्ञा दे रहा हूं ।

जनपद बदायूं के कस्बा दातागंज को नगर पालिका घोषित किये जाने के संबंध में याचिका†

श्री अवनीश कुमार सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से विधान सभा जनपद बदायूं के कस्बा दातागंज को नगर पालिका घोषित किये जाने विषयक श्री सुरेन्द्र पाल सिंह तथा श्री बालक राम निवासीगण, दातागंज, बदायूं द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । आपने नाम पुकारा, माननीय अवनीश कुमार सिंह खड़े हुए, किन्तु अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया और वाक-आउट कर गये । क्या उनको पुन: इजाजत दी जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने इजाजत दे दी है पढ़ने की ।

श्री राम आसरे वर्मा द्वारा कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचना में उनका नाम सम्मिलित न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

★श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आइटम नं० ५ के पहले वक्तव्य के सिलसिले में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । १७ तारीख को कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में कई सूचनायें आयीं, जो कि श्री हरिशंकर तिवारी की गिरफ्तारी के खिलाफ पेश की गयी थीं । मैंने भी औचित्य के प्रश्न के रूप में इस मसले को उठाया था । आपने मेरा नाम भी सूचना के साथ जोड़ने के लिये व्यवस्था दी थी, किन्तु एजेण्डा से पता चला कि मेरा नाम नहीं जुड़ा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह जुड़ जायगा, आप बैठें ।

दिनांक १५ फरवरी, १९८६ को श्री हरिशंकर तिवारी, सदस्य विधान सभा को गिरफ्तारी की दी गयी सूचना के संदर्भ में सूचित विषय से अतिरिक्त उत्तर दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या ५ (१) के सम्बन्ध में माननीय गृहमंत्री को पुकारे जाने तथा गृह राज्य मंत्री के वक्तव्य पढ़ने के लिये खड़े होने पर)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

चूंकि यह मामला एक माननीय विधायक से सम्बन्धित है, अत: इसका पढ़ा जाना नितान्त आवश्यक है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

नहीं मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(पढ़ा हुआ मान लिया जाय, पढ़ा हुआ माना जाय'' की आवाजें आने पर)

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, यह आप देखें कार्यसूची की मद संख्या ५- (१) को दिनांक १५ फरवरी, १९८६ को श्री हरिशंकर तिवारी, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी एवं रिहाई के संबंध में श्री शारदा प्रताप, श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री कामेश्वर उपाध्याय तथा श्री अच्युता-

† छापी नहीं गयी ।

★वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नन्द तिवारी द्वारा दी गयी सूचना पर इन लोगों ने आपसे वक्तव्य दिलाये जाने की मांग की थी और आपने इस पर शासन से वक्तव्य दिलवाने के लिये स्वीकार किया था। अब जब गृह राज्य मंत्री उस वक्तव्य को पढ़ रहे हैं तो वही सदस्य जोर दे रहे हैं कि इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लिया जाय। लेकिन और सभी सदस्य चाहते हैं कि इस वक्तव्य को यहां सदन में पढ़ा जाय। तो मान्यवर, वक्तव्य को पढ़वायें, ये कौन होते हैं निर्णय लेने वाले ? अगर आप इससे सहमत न हों कि इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि नियम ५१ में . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

गुप्ता जी, अभी आप बैठ जांय।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप मुझे संरक्षण दें। मैं चाहता हूं . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप जो चाहते हैं, वह मैं नहीं चाहूंगा।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि मुझे आपका संरक्षण मिलेगा। माननीय गृह राज्य मंत्री वक्तव्य देना चाह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मैं समझ गया हूं, आप बैठिये।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, इसे मान्यवर, आप सुन लें। मान्यवर, आपने १७ तारीख को जो कार्य स्थगन की सूचना आयी थी वह कार्य स्थगन की सूचना भी श्री हरिशंकर तिवारी, सदस्य विधान सभा . . . .

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कपिल, आप बैठ जांय। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपको सुन लिया है लेकिन फिर भी आप बोल रहे हैं। ठीक है, आप बोलते रहिये, मैं अब आपसे बैठने के लिये नहीं कहूंगा, जितना मन में आपके आये बोलते रहिये।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नहीं बैठा रहा हूं। मैंने सब आपकी बातें सुन ली हैं।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि मैंने आपसे संरक्षण चाहा था, आपने मुझे संरक्षण दिया। उसके बाद आपने मुझे बैठने के लिये कह दिया तो मैं बैठ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं आप खड़े हो जाइये, मैं कब आपको मना कर रहा हूं, आपको जितना कहना हो पहले कह लीजिये। एक आदमी अगर चार-चार बार खड़ा हो तो कार्यवाही कैसे चल पायेगी ?

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, यह अध्यक्ष पीठ की अवहेलना है।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई अवहेलना नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

वर्मा जी आप बैठें, यह लिखा नहीं जायेगा। कुछ नहीं लिखा जायगा। (श्री राम आसरे वर्मा के बोलते रहने पर) आप बोलते रहिये। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप बैठ जायें। वर्मा जी जो बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा। सभी सदस्यों से निवेदन है

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कि आप बैठ जायें, कुछ लिखा नहीं जा रहा है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

अगर कोई वक्तव्य लम्बा होता है, तो उसको आप पढ़ा हुआ मान लेते हैं । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायें, आप तो भाषण दे रहे थे । कोई व्यवस्था नहीं है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मंत्री जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उस पर आपने अभी अपनी व्यवस्था नहीं दी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय एक व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था पर अभी कोई निर्णय नहीं दिया है, तो दूसरी व्यवस्था कैसे हो सकती है ?

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं इसी पर आपसे कहना चाहता हूं . . . . मैं इसके तथ्यों पर नहीं जाऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसको सुन चुका हूं । आप बैठ जायें । आप सवाल पूंछ लीजियेगा, नियमों के आधार पर चलें । द्विवेदी जी आप बैठ जायें ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, आप तो बोलने ही नहीं देते हैं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उसको आप सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप सवाल पूछ लीजियेगा । आप मुझे व्यवस्था देने दें । यह कोई चर्चा का विषय नहीं है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

आप अपने को नियमों से ऊपर समझने लगते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी वक्तव्य को पढ़ रहे थे, वक्तव्य सदन में बंट चुका है पूरे सदस्यों को मिल चुका है । आप सुन लीजिये । हो सकता है कि सभी को न मिला हो, लेकिन मिलना चाहिये । मंत्री जी पढ़ रहे थे, और आप ने कहा कि पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री हुकुम सिंह—

जब तक पूरा सदन नहीं मानेगा, तब तक नहीं माना जायेगा ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग व्यवस्था देने देंगे या यूं ही बोलते रहेंगे । सुखपाल पाण्डे जी व्यवस्था देने दीजिए ।

(व्यवधान)

मंत्री जी वक्तव्य पढ़ने लगे, आप लोगों ने कहा कि वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय लेकिन अगर पूरा सदन चाहेगा तभी पढ़ा हुआ माना जा सकता है अगर इस पर कन्ट्रोवर्सी होगी तो यह कैसे होगा । जब सदन सहमत होगा तभी पढ़ा हुआ माना जा सकता है अगर सदन सहमत नहीं होगा तो मैं कैसे कह दूं कि पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, पढ़ा हुआ माना गया था नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप लोगों के ऊपर हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न हैं ।

★श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपने अनुमति दे दी हैं कि वक्तव्य पढ़ा जाय तो फर इनको क्या आपत्ति हैं ।

★श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इनके पढ़ने से पहले एक बात सुन लें । मान्यवर, आप नियम ५१ (2) देखने की कृपा करें अगर आप मेरी किसी असंगत बात की तरफ इशारा करेंगे तो बैठ जाऊंगा । इसमें लिखा हैं कि किसी ऐसी सूचना के स्वीकृत हो जाने पर सम्बद्ध मंत्री सूचनांकित विषय पर उसी अपना संक्षिप्त वक्तव्य देंगें या भावी तिथि पर वक्तव्य देने के लिए समय मांग सकेंगें । लिखित वक्तव्य होने की दशा में उसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को भी दी जायेगी । मैं यह समझ रहा हूं वक्तव्य की प्रति हमको मिली और मुझे उम्मीद हैं कि अध्यक्ष पीठ पर भी कापी चली गयी होगी तो जो सूचनांकित विषय था तो क्या यह उससे सहमत हैं या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह नहीं कहता, वक्तव्य पढ़ने पर पता चलेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आप एलाऊ कैसे कर रहे हैं मान्यवर, इसके पृष्ठ 4 को देखें इसमें आपत्ति क्या हैं, तिवारी जी को गिरफ्तार किया गया या नहीं इसमें कोई पता नहीं हैं ।

(व्यवधान)

अब पृष्ठ ४ के बाद जो लिखा गया हैं क्या वह सूचना से सम्बद्ध हैं, मैं इसमें व्यवस्था चाहता हूं । अगर सहमत हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं हैं और अगर नहीं हैं तो क्या उसे निकालने की कृपा करेंगे ?

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं समझता हूं कि आपने मुझे एलाऊ किया हैं । इसे पढ़ लें । जब तक पुर्ण रूप से देखा नहीं जायेगा कि संसदीय हैं या नहीं हैं, कोई अप्रासांगिक अनर्गल बात पढ़ने लगेंगें ।

(व्यवधान)

कोई अप्रासांगिक, अमर्यादित और असंसदीय वक्तव्य हम न पढ़ सके इसलिए पहले कापी दे दी जाती हैं । मान्यवर, मेरा ख्याल हैं कि आपने इसको पढ़ लिया होगा ।

हम आप पर विश्वास करते हैं । आपने एलाऊ कर दिया । इस पर भी हमारी असहमति नहीं हैं । लेकिन नियम ५१ और नियम ५६ में जो बातें रखी गई थीं, वह इसमें आयीं ? क्या यह वक्तव्य उसी से सम्बद्ध हैं ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जिस नियम का संदर्भ माननीय गुप्ता जी ने दिया हैं उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । नियम ५१ (२) में लिखा हैं कि किसी ऐसी सूचना के स्वीकृत हों जाने पर सम्बद्ध मंत्री सूचनांकित विषय पर उसी दिन अपना संक्षिप्त वक्तव्य देंगे या भावी तिथि पर वक्तव्य देने के लिये समय मांग सकेंगे । . . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इसमें कोई बहस नहीं हैं ।

श्री हुकुम सिंह—

ठीक हैं । लेकिन मान्यवर, जिस विषय की सूचना दी गई हैं जिसके बारे में वक्तव्य आना हैं क्या उसको हम सीमित

★वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रखेंगे कि माननीय तिवारी जी कहां से गिरफ्तार किये गये थे और कहां ले जाये गये थे ? हम उस वक्तव्य को विषय की रेलीवेन्सी तक ही सीमित नहीं कर सकते । हमारी यह जिम्मेदारी है कि उस समय जो परिस्थिति थी, चाहे पहले हुई हों या बाद में हुई हों, जिनके कारण यह विषय उभर आया, उन तमाम परिस्थितियों को भी सदन के संज्ञान में लायें ताकि सदन को जानकारी हो जाय जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है ।

मान्यवर, ऐसी दो स्थितियां आती हैं जहां हमें आप रोक सकते हैं । एक तो यह है कि इसमें कहीं कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया हो और दूसरे विषय असंगत हो या विषय से संबंधित न हो । श्रीमन्, इस वक्तव्य का एक एक शब्द, एक-एक पंक्ति विषय से संगत है । आप उसे देख लें, नियम भी देख लें । उसकी पृष्ठभूमि क्या है, किन परिस्थितियों में आया है । जब तक हम उसकी पृष्ठभूमि वक्तव्य में नहीं देंगे तब तक हम वक्तव्य नहीं दे पायेंगे । इसलिये मान्यवर, इसमें एक-एक शब्द सुसंगत है, नियमित है । मेरा आग्रह है कि सारे विषय की जानकारी सदन को हो सके इसलिये यह लाया गया है . . . .

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं . . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप लोग शांत रहें । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

नियमावली के अनुसार कैसी सूचना पर वक्तव्य देंगे ? यह उसमें लिखा हुआ है । उसमें लिखा है सूचनांकित सूचना . . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप मेरी बात सुन लें । मैं व्यवस्था दे रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मेरा कहना यह है कि सूचनांकित विषय को न देकर असंगत मामला इसमें जोड़ा गया है, इस पर व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जांय । मैं व्यवस्था दे रहा हूं ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

आपने माननीय राजेन्द्र गुप्त जी को सुना, माननीय हुकुम सिंह जी को सुना । मेरा निवेदन यह है कि जो गुप्ता जी ने बताया कि इस वक्तव्य में कुछ ऐसी बातें हैं . . . .

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें । गुप्ता जी ने नियम की बात कही है । वह बिना नियम के नहीं कही हूं । बैठ जांय । माननीय बरार जी, लगा रहे हैं । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । बैठ जांय । माननीय बरार जी, बैठिये । इस तरह से सदन कैसे चलेगा ? आपको भी बैठना है, उनको भी बैठाना है । जो गुप्त जी ने कहा था कि यह वक्तव्य नियम ५१ में स्वीकार नहीं हुआ था, ५६ के अन्तर्गत हुआ था । जो सूचनांकित विषय की आपने बात कही वह तो नियम ५१ में है, ५६ में नहीं है । अगर वक्तव्य में कोई ऐसी चीजेंआ गई जो अनर्गल या असंसदीय हों तो उनको बाद में निकाला जा सकता है । मैं नहीं समझता कि कोई चीज आ गई हो लेकिन फिर भी यदि ऐसी कोई अशोभनीय बात होगी तो उसको निकाल सकते हैं लेकिन फैक्ट्स नहीं निकाल सकते हैं । यह सदन सुबह से शाम तक नियमों के अन्तर्गत चलता है और नियमों से ऊपर भी चलता है . . . .

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

लेकिन प्रासंगिक भी तो हो . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अब प्रासंगिक और अप्रासंगिक का मेरे पास कोई इलाज नहीं है लेकिन इसके अन्दर कोई ऐसा शब्द प्रयोग हुआ होगा तो वह निकाल दिया जायेगा ।

बाकी यह कहना कि कितना प्रासंगिक है और कितना अप्रासंगिक है यह तो आप स्वयं देख लें सुबह से शाम तक सब लोग कितना नियमों से बोलते हैं और कितना उसके बाद भी नियमों से बाहर १० लाइन और बोल जाते हैं । दो लाइन कैसी है कैसी नहीं है यह मुझ को नहीं कहना है । माननीय मंत्री जी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें ।

श्री हरिशंकर तिवारी, सदस्य, विधान सभा की दिनांक 15-2-86 को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)—

प्राप्त सूचना के अनुसार मा० विधायक श्री हरिशंकर तिवारी जी को दिनांक १५-२-८६ को किसी समय भी न तो गिरफ्तार किया गया और न ही उन्हें अवैध हिरासत में रखा गया । उनसे कुछ मामलों में पूछताछ करने के लिये निवेदन किया गया था ।

श्री शिव बिहारी ओझा, प्रधानाचार्य, नेशनल इण्टर कालेज, बड़हलगंज, गोरखपुर का पत्र दिनांक ३-२.८६ की एक प्रतिलिपि जो प्रभारी निरीक्षक, थाना बड़हलगंज को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर से प्राप्त हुई थी । इसमें यह आरोप लगाया गया था कि माननीय हरिशंकर तिवारी जी जो नेशनल डिग्री कालेज, बड़हलगंज के प्रबन्धक भी हैं, नेशनल इन्टर कालेज बड़हलगंज की जमीन पर अनधिकृत निर्माण करा रहे हैं । इस संबंध में थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई और मुंसिफ बांसगांव के न्यायालय से स्टे आर्डर भी प्राप्त किया गया है लेकिन इसके बावजूद मा० तिवारी ने अवैध निर्माण कार्य नहीं रोका और बनवाते चले जा रहे हैं ।

यह भी शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दिनांक २९-१-८६ को छात्र संघ का उद्घाटन करने जब मा० तिवारी जी डिग्री कालेज गये थे तो मुकदमें की बात को लेकर उन्होंने धमकी दी थी कि विवादित भूमि पर ही श्री शिव बिहारी ओझा, प्रधानाचार्य और श्री प्रेमफल तिवारी की समाधि बनेगी । इससे प्रधानाचार्य नेशनल इंटर कालेज, बड़हलगंज व उनके समर्थकों को जान के खतरे का भय उत्पन्न हो गया था । इन आरोपों के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर माननीय विधायक हरिशंकर तिवारी जी से पूछताछ करना आवश्यक समझते थे ।

उपरोक्त शिकायत प्राप्त होने के बाद से दिनांक १४-२-८६ तक तक मा० हरिशंकर तिवारी जी गोरखपुर में पूछताछ हेतु उपलब्ध नहीं हो पाये । वह दिनांक १५-२-८६ को कस्बा बड़हलगंज जनपद गोरखपुर में नेशनल डिग्री कालेज के वार्षिकोत्सव में आये थे जिसमें माननीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी मुख्य अतिथि थे । कालेज का समारोह समाप्त होने के पश्चात जब मा० तिवारी वापस गोरखपुर जा रहे थे तब श्री सर्वदेव कुंवर, क्षेत्राधिकारी जो उपरोक्त उत्सव में शान्ति व्यवस्था के संबंध में ड्यूटी पर थे माननीय हरिशंकर तिवारी जी से मिले और उनसे अनुरोध किया कि वह यदि गोरखपुर आ रहे हों तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रश्नगत शिकायत के संबंध में बातचीत कर लें । मा० तिवारी ने बताया कि वह गोरखपुर चल रहे हैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बात कर लेंगे । दिनांक १५-२-८६ को अचानक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तबियत खराब हो जाने के कारण वह अवकाश पर थे व माननीय हरिशंकर तिवारी जी के गोरखपुर आने की सूचना मिलने पर उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया कि वह माननीय श्री तिवारी जी से बातचीत कर लें, और उनको सम्पूर्ण आरोपों की जानकारी करा दें ।

बड़हलगंज से गोरखपुर के रास्ते में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माननीय तिवारी जी से मिले लेकिन माननीय तिवारी जी के साथ काफी लोग थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उनसे अकेले में बात करना चाहते थे परन्तु मा० तिवारी के समर्थकों ने हुड़दंगबाजी शुरू कर दी और ऐसा वातावरण पैदा कर दिया कि उनसे बात करना संभव नहीं हो सका। अतः अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने माननीय तिवारी जी से अनुरोध किया कि सहजनवा में, जो गोरखपुर से अत्यन्त निकट है, चल कर बात कर लें और वे अपनी फिएट कार से जिससे वह बड़हलगंज से आ रहे थे सहजनवा गये। सहजनवा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सारे आरोपों से माननीय तिवारी जी को अवगत कराया। इस बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधीक्षक नगर, जो उस समय उनका कार्य देख रहे थे, को भी सहजनवा भेजा जिन्होंने माननीय तिवारी जी को बताया कि कुछ बिन्दुओं पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वयं भी माननीय तिवारी जी से बात करना चाहते थे। अतः वह यदि किसी दिन उनसे मिल लें तो वह आभारी होंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक नगर से बातचीत करने के उपरान्त माननीय तिवारी को लगभग साढ़े ११ बजे रात्रि में ससम्मान विदा किया गया। सहजनवा से माननीय तिवारी जी अपनी निजी गाड़ी से ही चले गये।

यह कहना सही नहीं है कि श्री सर्वदेव कुंवर, पुलिस क्षेत्राधिकारी ने माननीय तिवारी को अपनी आरक्षी बल के साथ घेर लिया और कहा कि "आप गिरफ्तार हैं" वास्तविक तथ्य यह है कि श्री सर्वदेव कुंवर पुलिस क्षेत्राधिकारी माननीय तिवारी जी से अकेले मिले थे। यह सत्य नहीं है कि मा० तिवारी जी ने गिरफ्तारी का वारन्ट दिखाने की बात कही थी। यह भी सत्य नहीं है कि क्षेत्राधिकारी ने यह कहा था कि "चलो वारन्ट थाने पर दिखा दूंगा।" श्री सर्वदेव कुंवर पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा माननीय तिवारी जी को अपशब्द कहने, धक्का देने और अपनी गाड़ी पर बैठा लेने का जो आरोप लगाया है वह भी सत्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि मा० तिवारी जी ने क्षेत्राधिकारी को भी अपनी निजी गाड़ी में बैठा लिया और बातचीत करते हुए गोरखपुर की ओर जा रहे थे। यह कहना भी निराधार है कि पुलिस ने मा० तिवारी जी के समर्थकों को पीछा न करने की किसी प्रकार चेतावनी दी थी।

यह कहना भी निराधार है कि श्री सर्वदेव कुंवर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने रास्ते में मा० तिवारी जी को धमकी दी कि "यदि तुम जिन्दा रहना चाहते हो तो मुख्य मंत्री जी का सदन में या बाहर विरोध करना छोड़ दो।"

यह कहना ठीक नहीं है कि रात्रि ९-१० बजे रूस्तमपुर ढाल के पास पहुंचने पर मा० तिवारी जी के समर्थकों द्वारा नारे लगाये गये और पुलिस गाड़ी का पीछा किया गया। मा० तिवारी जी रूस्तमपुर ढाल से रात्रि करीब ८ बजे गुजरे थे।

यह आरोप भी सत्य नहीं है एवं निराधार है कि मा० तिवारी जी के समर्थकों पर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा लाठी चार्ज कराया गया और उनके समर्थकों के वाहनों को क्षति पहुंचायी गयी। आरोपों में एक ओर यह कहा गया है कि पुलिस ने बल प्रयोग करके कई लोगों को हताहत किया तथा कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त की गयीं और दूसरी ओर यह कहा गया है कि जनाक्रोश के कारण पुलिस बल वापस लौट गया। यह दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं-अस्तु तथ्यहीन हैं।

मा० तिवारी जी के गैंगस्टर एक्ट में चालान किये जाने और सिटी मजिस्ट्रेट के आने पर जेल भेजे जाने विषयक पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर के विरुद्ध लगाये गये आरोप भी निराधार हैं तथा दूरभाष पर उच्चाधिकारियों से इस संबंध में सलाह मशवरे

की बात भी निराधार हैं । वास्तविकता यह हैं कि मा० तिवारी जी के विरुद्ध घटना के दिनांक तक तथा कथित विषय पर कोई अभियोग पंजीकृत ही नहीं हुआ था । यह भी सही नहीं हैं कि मा० तिवारी जी को १:३० बजे रात्रि में छोड़ा गया । वास्तविकता यह हैं कि वे सहजनवा से लगभग ११:३० बजे रात्रि चले गये थे ।

इण्टर मीडिएट कालेज का प्रधानाचार्य भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायी पद का धारक होता हैं । जिस प्रकार की लिखित शिकायत श्री शिव बिहारी ओझा, प्रधानाचार्य, नेशनल इण्टर कालज, बड़हलगंज ने प्रभारी निरीक्षक थाना बड़हलगंज को दिया था और जिसकी एक प्रतिलिपि ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को भी प्राप्त हुई थी, में माननीय तिवारी जी के विरुद्ध गंभीर आरोप थे कि वह इण्टर मीडिएट कालेज की भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्माण करा रहे हैं और साथ ही साथ प्रधानाचार्य एवं श्री प्रेमफल तिवारी की समाधि बना देने की धमकी दी थी । प्रथम दृष्टया यह आरोप अपने आप में ही अत्यन्त गंभीर था ।

पुलिस को दृष्टान्त स्वरूप यह जानकारी होते हुये भी कि माननीय श्री तिवारी जी के विरुद्ध :—

अभियोग अपराध संख्या ३७३/८४ धारा १४७/१४८/१४९/३९२/३९५ भा० वि. एवं २५ शस्त्र अधिनियम, थाना कोतवाली न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

अभियोग अपराध संख्या ११०४/७७ धारा १४७/१४८/१४९/३०२ दिनांक २६-८-७७ थाना कैंट के संबंध में न्यायालय से चालान किया जा चुका हैं ।

अभियोग अपराध संख्या १८१/७८ धारा १४७/१४८/१४९/३०२/३९५ भा. द. वि० थाना गगहा दिनांक २५-९-७८ न्यायालय में लम्बित हैं;

अभियोग अपराध संध्या ३०७/७९ धारा १४७/१४८/१४९/३०७/३०२/१२० भा० द० वि० दिनांक २७-८-७९ थाना जी० आर० पी० गोरखपुर न्यायालय में बिचाराधीन हैं ;

अभियोग अपराध संख्या २२९/८० धारा १४७/१४८/१४९/३०७ दिनांक २१-६-८० थाना राजघाट पंजीकृत हैं ;

अभियोग अपराध संख्या ७९९/८१ धारा १४७/१४८/१४९/३०७/३०२ भा. द. वि. दिनांक २६-१०-८१ थाना कोतवाली जिसकी विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही हैं ;

अभियोग अपराध संख्या १८३/८३ धारा ३०७/१२० बी. भा. द. वि. दिनांक १५-३-८३ थाना कैंट की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही हैं ;

अभियोग अपराध संख्या ६८/८३ धारा १४७/१४८/१४९/३०७/३०२ भा. द. वि. दिनांक ७-५-८३ थाना पुरन्दरपुर पंजीकृत हैं ;

अभियोग अपराध संख्या २२२/८३ धारा १४७/१४८/१४९/३०७/३०२ भा. द. वि. दिनांक ३-८-८३ थाना खलीलाबाद जनपद बस्ती की विवेचना हो रही हैं ;

अभियोग अपराध संख्या ९४/८३ धारा १४७/१४८/१४९/३०७/३०२ भा. द. वि. दिनांक २३-१२-८३ थाना पटहेरवा जनपद देवरिया विवेचनाधीन हैं ;

अभियोग अपराध संख्या ९८/८३ धारा १४७/१४८/१४९/३०२/११४ भा० द० वि० दिनांक २३-१२-८३ थाना तुर्कपट्टी जनपद देवरिया विवेचनाधीन हैं ;

अभियोग अपराध संख्या १०९/८४ धारा १४३/३५२/५०४/५०६ भा. द. वि दिनांक ४-१०-८४ थाना नौतनवा विवेचनाधीन हैं ।

अभियोग अपराध संख्या १११/८४ धारा १४३/४५२/३८० भा. द. वि. दिनांक ५-१०-८४ थाना नौतनवा विवेचनाधीन हैं ;

अभियोग अपराध संख्या ११३/८४ धारा १४७/१४८/१४९/३०७ भा. द. वि. दिनांक ५-१०-८४ थाना नौतनवा विवेचनाधीन हैं ;

अभियोग अपराध संख्या ११३ए/८४ धारा १४७/१४८/१४९/३०७ भा. द. वि. दिनांक ५-१०-८४ थाना नौतनवा विवेचनाधीन हैं ;

अभियोग अपराध संख्या ११३-बी./८४ धारा १४७/१४८/१४९/३०७ भा० द० वि० दिनांक ५-१०-८४ थाना नौतनवा विवेचनाधीन हैं ;

यह सूचना होते हुए भी कि ग्राम सुकरौली व ग्राम सोमरीपुर थाना नौतनवा में १४ एकड़ सीलिंग की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके कृषि फार्म के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और वे भूमिहीन जिन्हें वह भूमि आवंटित हुई थी, को कब्जा नहीं मिला पाया था ;

यह सूचना होते हुए कि श्री कोलार मियां व सरदार गुरुदयाल सिंह की लगभग ५ एकड़ भूमि व ५ एकड़ अन्य भूमि पर तथा कथित अवैध कब्जा कर लिया हैं ;

यह सूचना होते हुए भी कि सरदार गुरुदयाल सिंह की जमीन जिसकी लागत लगभग २ लाख रुपये हैं, पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया हैं ;

यह सूचना होते हुये भी कि धर्मशाला बाजार में श्री रईश अहमद की एक एकड़ जमीन जिसकी अनुमानित लागत लगभग ४-५ लाख रुपये हैं, पर तथा कथित अवैध कब्जा कर लिया हैं;

ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने फिर भी माननीय विधायक होने के नाते ही सम्मान-जनक रूप से प्रश्नगत गम्भीर मामले में भी उनसे केवल पूछताछ करना ही उचित समझा । अतएव वर्णित परिस्थितियों में जिला पुलिस पर किसी प्रकार का असत्य आरोप लगाना अनुचित हैं ।

देश एवं राज्य के कानून एवं नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं उससे ऊपर कोई नहीं हैं चाहे वह इस सदन के सम्मानित सदस्य ही हों । यदि देश एवं राज्य के कानून एवं नियम का कोई भी उल्लंघन करता हो, तो शासन एवं प्रशासन का निश्चय ही उल्लंघनकर्ता, चाहे वह कोई भी हो, के विरुद्ध कार्यवाही करना परम कर्तव्य व उत्तरदायित्व हैं ।

यह उल्लेखनीय हैं कि जितने भी अपराध सम्मानित तिवारी जी के विरुद्ध दर्ज हैं वह उस समय के हैं जब मैं प्रदेश का मुख्य मंत्री नहीं था और बहुत से ऐसे गंभीर अपराध हैं जबकि मैं शासन में किसी प्रकार का भागीदार नहीं था । मा० तिवारी जी की कृपा रही हैं एवं उदारता हैं कि कम से कम यह आरोप मुझपर नहीं लगाया गया कि जितने भी अपराध सम्मानित तिवारी जी के विरुद्ध दर्ज हैं, विवेचनाधीन न न्यायालय के विचाराधीन हैं, वह मैंने दर्ज करवाये थे, उनके अनुसार झूठे हैं एवं मुझसे तथाकथित राजनैतिक प्रतिद्वन्दिता के कारण हैं ।

यह अलग विचारणीय अत्यन्त गंभीर विषय हैं कि कोई भी नागरिक हो और वह चाहे जिस पद पर हो या चाहे जिसका प्रतिनिधित्व कर रहा हो, किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अत्यन्त गंभीर अपराध दर्ज हो उनकी कैसे प्राथमिकता व द्रुतिगति से विवेचना हो, प्राथमिकता पर विवेचना के परिणाम के अनुसार न्यायालय में विचार हो, और साक्ष्यों के आधार पर समुचित रूप से दंडित हो या माननीय न्यायालय के द्वारा निर्दोष घोषित हो । यह अवश्य एक गंभीर विषय हैं और इस पर सम्पूर्ण सम्मानित सदन को मिलकर संयुक्त रूप से गंभीरता से विचार करना चाहिये ।

मेरी सरकार का यह दृढ संकल्प हैं कि कोई भी अपराधी हो ,वह अपराधी हैं और अपराध के लिये जो भी कानूनों एवं नियमों में व्यवस्था हैं उसके अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही अवश्य करायेगी । साथ ही इस बात के लिये भी वह

कृतसंकल्प हैं कि जो भी कार्यवाही किसी के विरुद्ध होगी वह निश्चय ही केवल तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर होगी, न कि किसी पूर्वाग्रह या तथाकथित प्रतिद्वन्दिता या अन्य किसी कारण से होगी ।

[समय १२ बजकर ५ मिनट]

*श्री हरिशंकर तिवारी—

मान्यवर, मैं चूंकि सदन में उपस्थित हूं और मेरे खिलाफ एक बहुत लंबी फेहरिस्त तमाम अपराधों की बतायी गयी है तो मैं आपके माध्यम से याचना करना चाहूंगा कि जो भी आरोप मेरे विरुद्ध लगाये गये हैं और जो आरोप मुख्य मंत्री जी के खिलाफ हैं, मैं अपराधी हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी बड़े स्वच्छ हैं और एक दरोगा के बयान को हमारे न्याय मंत्री जी ने पढ़ा, यह बड़े नैतिक हैं और मैं बड़ा अनैतिक हूं जो मेरे खिलाफ इन्होंने आरोप पढ़कर सुनाये हैं तो मैं चाहूंगा कि आप व्यवस्था दें, संरक्षण दें, आप हमारे संरक्षक हैं, सम्मानित सदन के सदस्यों की एक कमेटी बनायी जाय जिसमें इधर के लोग हों और उधर के भी लोग हों जो मुख्य मंत्री जी के काले कारनामों और मेरे खिलाफ जो झूठे आरोप लगाये गये हैं उसकी जांच कर लें । जो बात सत्य हो उसको अपराधी माना जाय ।

(शोर)

एक सदस्य—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री हरिशंकर तिवारी—

आप इतनी देर तक कहते रहे मैंने आपकी बात सुनी । आप मेरी बात सुन लें । जब आपने दरोगा का झूठा बयान पढ़ा तो मैं नहीं बोला । मेरी सही बात आपको क्यों बुरी लग रही है । मैं पुनः कहना चाहता हूं कि यह जो आरोप लगाये गये हैं इसके लिये सदन की एक कमेटी गठित कर दें जिसमें दोनों तरफ के सदस्य हों, जांच करा लें, मैं तैयार हूं ।

(शोर)

श्री राजेन्द्र सिंह चौहान—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये ।

श्री हरिशंकर तिवारी—

आप सुनिये तो मेरी बात । मान लिया लोगों ने कि आप बहुत बड़े चमचे हैं । मंत्री नहीं होइयेगा, बैठिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

मा० तिवारी जी आप अपना सुझाव दीजिये ।

श्री हरिशंकर तिवारी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि यदि वह बहुत नैतिक हैं और बहुत बड़े न्यायी हैं तो क्या इस सदन की एक कमेटी बनाने के लिये तैयार हैं और मेरे खिलाफ लगाये गये काले कारनामों की जांच कराने के लिये तैयार हैं ।

(शोर)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाये गये हों और वह सदन में उपस्थित हो तो उस व्यक्ति को स्पष्टीकरण देने का और अपनी बात कहने का पूरा हक है । इसलिये माननीय तिवारी जी को अपनी पूरी बात कहने दें । उधर के लोग खड़े होकर टोकते हैं यह गलत है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, यह वक्तव्य है, चर्चा नहीं है । केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं, इस पर भाषण बाजी नहीं हो सकती । भाषण के लिये आप अनुमति न दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो एक मामला था उसको बढ़ा चढ़ाकर एक वक्तव्य आया और तिवारी जी के ऊपर पता नहीं कितने दिन पुराने आरोप लगा दिये । तिवारी जी इत्तफाक से मौजूद हैं । उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने का पूरा अधिकार है । उन्हें इससे आप वंचित नहीं कर सकते ।

श्री राजेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

श्री राम सरन—

आप बैठें, बार बार खड़े हो रहे हैं, आप बड़े भारी तीस मार खां हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बीच में न खड़े हों ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, तिवारी जी को पूरा स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करना चाहिये ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकम सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं केवल अपने आपको व्यवस्था के प्रश्न तक ही सीमित रखना चाहता हूं माननीय राणा जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया और मा० सरन जी ने भी उस पर बल दिया और मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि जिस मा० सदस्य के खिलाफ आरोप लगाये हों, उसका यह हक है कि वह स्पष्टीकरण मांगे, लेकिन यह देखना भी हमारे लिए जरूरी है कि हमारे सामने विषय क्या है । एक विशेष घटना पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव में मान्यवर, आपने वक्तव्य स्वीकार किया । अब वह वक्तव्य आया और आपकी आज्ञा से पढ़ भी दिया गया और अभी तक जो प्रकरण रहा है, नियमों के अनुसार और परम्पराओं के अनुसार वक्तव्य के पढ़ जाने के बाद नियम ५६ के अन्तर्गत अगर कोई स्पष्टी-करण मा० सदस्य चाहें तो वह मांगा जा सकता है और शासन की ओर से उत्तर दिया जायेगा, परन्तु इससे हटकर अगर कोई बात आती है तो इसके लिए आपको अधिकार है, और आप अपने को उन अधिकारों से वंचित न करें । मा० सदस्य केवल स्पष्टीकरण मांगे और वह देंगे, लेकिन इससे अलग की बात नहीं होनी चाहिए ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है, मा० संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी ने जो आपसे अभी निवेदन किया । यह सही है कि जिस घटना पर वक्तव्य दिया जा रहा है, उसी से संबंधित हम स्पष्टीकरण मांगे, यही नियम ५६ में दिया गया है । तो मान्यवर, हम निश्चित रूप से केवल उतना ही स्पष्टीकरण की मांग करते, आप नियम ५६ देख लें और उसमें जो सूचना मांगी गयी है, अगर उतनी ही बातें इस वक्तव्य में होती तो हम केवल स्पष्टीकरण ही की मांग करते, लेकिन इन्होंने अपने बयान में जानबूझ कर तमाम अनर्गल बातें लिखी हैं, जिससे उस घटना से कोई तात्पर्य नहीं था इसलिए मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जिस विशेष घटना के बारे में मा० हरिशंकर तिवारी जी ने जो सूचना दी थी, अगर उस सूचना के अलावा कोई बात उसमें है तो उसको आप कार्यवाही से निकलवा दें, तभी हम केवल स्पष्टीकरण से संतुष्ट हो सकेंगे ।

श्री राजेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने अपनी बात में अनर्गल शब्द का प्रयोग किया है, उसे भी कार्यवाही से निकलवा दीजिए ।

(शोर)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, जब आपने व्यवस्था दी वक्तव्य पढ़ने की हम लोगों ने उसे स्वीकार किया । अब उस वक्तव्य में कुछ अनर्गल बातें कहीं गयी तो इसमें माननीय सदस्य को स्पष्टीकरण मांगने के लिए पूरा अधिकार है, इसलिए आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि जो उनके खिलाफ

आरोप लगाये गये हैं, उसको स्पष्ट करने के लिए उनको समय दिया जाए ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, जो वक्तव्य दिया गया है उस वक्तव्य के तीन हिस्से हैं । एक हिस्सा तो वह है कि जो सूचनांकित सूचना मांगी गयी थी, उसका उत्तर, दूसरा हिस्सा वह है जो माननीय तिवारी जी पर आरोप लगाकर गिरफ्तार किया गया, इस संबंध में इन्होंने क्या-क्या कहा और उसका उत्तर कि आपने क्या-क्या किया और तीसरा हिस्सा मान्यवर, जिसका उस वक्तव्य से कोई ताल्लुक नहीं था, वह पेश कर दिया गया है, जो अप्रासांगिक है और जो सूचनांकित सूचना है, उसे भी बढ़ाया गया है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस वक्तव्य में अप्रासांगिक बातें कही गयीं हैं, उन बातों को यहां आने से रोक दें । अगर अप्रासांगिक बातों को उठाने की आप अनुमति देते हैं, तो स्पष्टीकरण करने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो वक्तव्य पढ़ा गया है यह नियम ५६ के आधार पर वक्तव्य स्वीकार हुआ और वक्तव्य मंत्री जी ने पढ़ा, आपने वक्तव्य सुन लिया । अब आपको नियम के अनुसार अधिकार है कि आप आप सवाल कर लें और जो और चीज पैदा होती है, उसको आप नियमों के अनुसार उठायें । लेकिन इस वक्त नियमों के अन्तर्गत कोई स्पष्टीकरण का सवाल नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

जो अप्रसांगिक मसले उठाये गये हैं, उसके संबंध में माननीय तिवारी जी को स्पष्टीकरण का मौका देना चाहिए ।

(व्यवधान)

माननीय तिवारी जी ने जो चुनौती दी है, उसकी जांच करा लें ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी, इनको पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन इस वक्त नहीं । वह अपनी बात दूसरे नियमों में उठाकर कह सकते हैं । इस वक्त आप सवाल पूछ लें । इस वक्त स्पष्टीकरण देने का सवाल पैदा नहीं होता है ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, आप अपनी व्यवस्था देने से पहले इस बात को सोच लें कि इस सदन में राजर्षि टण्डन से लेकर आपके पहले तक के माननीय अध्यक्षों ने व्यवस्था दी है, जब किसी माननीय सदस्य के बारे में कहा जाय, चाहे किसी भी प्रश्न के ऊपर चाहे वह काम रोको हो, चाहे कोई भी विवाद हो, उसमें उस माननीय सदस्य को तत्काल स्पष्टीकरण का अवसर दिया जायगा और अवसर दिया जाता रहा है । यह श्रीमन्, बड़ा अन्याय हो जायगा, इस परम्परा का हनन हो जायगा । तो आप इस पर गम्भीरता से सोच लीजिए । उनको स्पष्टीकरण देने का मौका मिलना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी ने तो काफी स्पष्टीकरण कर भी लिये ।

(व्यवधान के मध्य)

(श्री हरि शंकर तिवारी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आपको और मौका है, आगे आप इसको दूसरे नियम में ले आवें, तो उसमें आप अपना स्पष्टीकरण दें देंगे ।

श्री हरि शंकर तिवारी—

मान्यवर, मैं आपसे न्याय चाहूंगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपना स्पष्टीकरण दूसरे नियम में लाइयेगा ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, ऐसे खड़ा होकर अगर कोई आरोप उछाल देता है, तो उस व्यक्ति को स्पष्टीकरण देने का पूरा अधिकार है। जो व्यक्ति सदन में न हो, सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में हम आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वह अपना स्पष्टीकरण सदन में नहीं दे सकता है। लेकिन जो व्यक्ति सदन में उपस्थित है, उसे अपना स्पष्टीकरण देने का पूरा हक है। इसलिए माननीय तिवारी जी को आप न रोकें।

(व्यवधान)

श्री हरि शंकर तिवारी—

मान्यवर, मेरे बारे में जो तमाम आरोप लगाये गये हैं, मैं आपके माध्यम से सदन के सम्मानित सदस्यों को, पक्ष एवं विपक्ष के लोग जो हैं, उनको बताना चाहता हूं।

मैं जानता हूं नये मंत्री जी बड़े नैतिक हैं, तो इनकी नैतिकता की जांच होनी चाहिए। मेरे बारे में लम्बी लिस्ट बता दी, तो उसकी जांच करा ली जाए, और इनकी नैतिकता की जांच करा ली जाए। मान्यवर, एक बात मैं सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं। दामोदर दास इण्टर कालेज बहुरीपार में है, जिसका प्रबन्धक माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने भाई को बना दिया है और कुछ मुख्य मन्त्री जी के भाई ने उस स्कूल को अपने बड़े भाई के नाम करा दिया। मान्यवर, राजबहादुर सिंह, साधु था जिसकी जमीन थी, . .

(साधु की फोटो दिखाते हुए)

श्री उपाध्यक्ष—

आपने इसकी कापी नहीं भिजवाई है इसलिए मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं तिवारी जी आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री हरि शंकर तिवारी—

मान्यवर, उसकी जमीन का फर्जी बैनामा मुख्य मन्त्री जी के भाई ने करवाया . . .

श्री उपाध्यक्ष—

यह फोटो सदन की प्रापर्टी नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने इसकी कापी नहीं भिजवाई है।

(व्यवधान)

तिवारी जी बैठें। मैं निवेदन कर रहा हूं। आप लोग इस चीज को ऐसे मत लीजिए जैसे ले रहे हैं। नियमों को पढ़ें कोई चीज इस तरह नहीं आनी चाहिए आप जिस तरीके से कहना चाहते हैं। मैं कोई रुकावट नहीं डाल रहा था। सवाल इस वक्त नियमों का है। इसमें चर्चा स्वीकार नहीं है।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृषि मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं इनको सुन लीजिए। राणा जी आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, जो आरोप लगाए गये हैं . .

श्री उपाध्यक्ष—

शाही जी आप बैठें। मैंने कृषि मंत्री जी को बुलाया है, वह कुछ कहने के लिए खड़े हुए हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री हरदेव—

कानून का गला घोटने वाले खुद अपराधी होते हैं।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आपने वक्तव्य बढ़वा दिया और जब मुख्य मन्त्री जी पर चार्ज लग रहे हैं, तो आप मना कर रहे हैं। तिवारी जी को आपको सुनना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

इससे समस्या का हल होने वाला नहीं है। एक बात को ५० बार कहने से कोई फायदा नहीं है। आप खड़े होकर व्यवस्था लेंगे, तो कर लें।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

कुछ नहीं लिखा जायेगा। आप बोलते रहें।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

आप मेरी बात पर व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं व्यवस्था नहीं दे सकता हूं। मेरे अकेले के व्यवस्था देने से कुछ नहीं होगा, सदन जिससे सहमत होगा वही व्यवस्था लागू होगी। वर्मा जी, आप बैठें।

श्री राम आसरे वर्मा—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

कोई व्यवस्था नहीं दे रहा हूं। कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री शारदा प्रताप—

जब आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा ?

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही—

कब तक इस तरह से चलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

संसदीय कार्यमन्त्री जी नेता विरोधी दल कुछ कहना चाहते हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

नियमावली का नियम ७१ आप देखें।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

इसमें है कि दोषारोपित सदस्य को स्पष्टीकरण का मौका दिया जायेगा। नियम ५६ में यह वक्तव्य आया है। बड़ा लम्बा-चौड़ा वक्तव्य है, मान्यवर, इसमें तिवारी जी पर आरोप लगाया गया है, यह वक्तव्य सामान्य वक्तव्य से विपरीत है। जिस माननीय सदस्य के सम्बन्ध में वक्तव्य आया है, वह इस सदन के सदस्य हैं। मान्यवर, इस वक्तव्य में तिवारी जी पर आरोप लगाया गया है। अगर तिवारी जी को आपने स्पष्टीकरण का अवसर न दिया तो जो आरोप है वह कार्यवाही में आ गया है और यह समाचार पत्रों में भी आ जायेगा। अगर तिवारी जी ने अपना स्पस्टीकरण न दिया तो प्रदेश और देश की जनता के सामने मुलजिम साबित हो जायेंगे।

इसलिये श्रीमन्, आपसे निवेदन है कि नियमों को निलम्बित करके तिवारी जी को आप स्पष्टीकरण देने का अवसर दें। मान्यवर, दोषारोपित व्यक्ति को अपना स्पष्टीकरण देने का पूरा अवसर मिलना चाहिये। मान्यवर, अगर इस तरह से गलत आरोप लगते रहेंगे तो सम्मानित सदस्यों को सम्मान नहीं मिलेगा। आप हम लोगों का संरक्षण करें। तिवारी जी को स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करें।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, अभी माननीय उप नेता, विरोधी दल, श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने अपनी बात कही।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अभी माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री को अपनी बात कह लेने दें। वे खड़े हुए हैं।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह—)

मान्यवर, सदन में उत्तेजना भी हुई। मान्यवर, सदन नियमों के अनुसार चलना चाहिये। किसी भी सम्मानित सदस्य के अधिकार से उसको वंचित नहीं रखना चाहिये, यह सही है। यदि किसी सदस्य के ऊपर आरोप लग जाता है, तो उसे अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर है। मान्यवर, जहां तक नियमों का प्रश्न है, किन परिस्थितियों में आप देंगे ? क्या स्थिति होगी, इसके बारे में नियम २९१ (क) में उल्लेख है—कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुज्ञा से व्यैक्तिक स्पष्टीकरण कर सकेगा—यह है मान्यवर। मान्यवर, नियम ५६ के अन्तर्गत किसी सूचना पर कोई वक्तव्य आया, वह अगर समाप्त हो गया तो आगे लें। मद जो चल रही है इसमें आप व्यवस्था दें। यदि माननीय सदस्यगण की इसमें यह इच्छा है कि इस मद को समाप्त करें, तो दूसरी बात है। जो वक्तव्य यहां रखा गया है, यदि वक्तव्य देखने के बाद यह बात स्पष्ट हो कि व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है तो अपने अधिकारों के अन्तर्गत आप दे सकते हैं। मान्यवर, अभिलेखों का उद्धरण करके इसमें रखा है, हमने अपनी ओर से कोई आरोप किसी प्रकार के नहीं लगाये हैं। चाहे कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन हो या विवेचनाधीन हो या पुलिस अभिलेखों में दर्ज हो—वही सारे तथ्य इसमें रखे गये हैं। केवल तथ्य आपके सामने पेश किये गये हैं, कोई आरोप नहीं लगाये हैं। इन दोनों बातों पर आप अपनी व्यवस्था दें। जो आपकी व्यवस्था होगी, वह हमें शिरोधार्य होगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी के दृष्टिकोण से पूरी तरह से सहमत हुए आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, नियम ५६ के अन्तर्गत एक सूचना दी जाती है। जो सूचना दी गयी है, उसके मुताबिक सूचना देने के लिये वक्तव्य आया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मान्यवर, आप नियम ५६ में आप देख लें कहीं भी वक्तव्य का प्राविधान नहीं है। वक्तव्य के लिये नियम ५१ में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। नियम ५१ का आप सब क्लास २ देखें। "किसी ऐसी सूचना के स्वीकृत हो जाने पर सम्बद्ध मंत्री सूचनांकित विषय पर उसी दिन अपना संक्षिप्त वक्तव्य देंगे या भावी तिथि पर वक्तव्य देने के लिये समय मांग सकेंगे।" मान्यवर, जो सूचनांकित विषय है—नियम ५६ के अन्तर्गत जो नोटिस दी गयी, उस नोटिस को आप मंगाकर कर देख। मान्यवर, उधर के एक माननीय सदस्य ने नियम ५१ के उप नियम—३ को भी पढ़ने के लिये कहा है, इसलिए मैं आपकी अनुमति से उसे पढ़ रहा हूं। "ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा, परन्तु यदि अध्यक्ष उचित समझें तो सूचनांकित विषय संबंधी तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए . . .

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। विरोध पक्ष में मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि हमारे विद्वान साथी आधे नियम को पढ़ते हैं और आधे नियम को नहीं। मैं आपकी आज्ञा से नियम ५१ के उप-नियम—३ को पूरा पढ़ देता हूं। ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा परन्तु अध्यक्ष यदि उचित समझें तो सूचनांकित विषय संबंधी तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए प्रश्नों की अनुमति दे सकेंगे।" प्रश्नों की अनुमति हो सकती है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, माननीय सदस्य के लिये मैं समझदारी कहां से लाऊं। उनको विपक्ष में बैठने का भी अनुभव है। वह एक प्रगतिशील व्यक्ति है। मैं तो उनके मुकाबले प्रतिगामी हूं कि इतनी तेजी से छलांग नहीं लगा पाया। मान्यवर,

मैंने कहा कि आप नियम--५६ की सूचना को मंगवा कर देख लें और इनके वक्तव्य को भी देख लें । अगर सूचनांकित विषय तक ही वक्तव्य में सूचना हो तो तब किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, सीधे-सीधे सवाल किये जाने चाहिए । जो सूचनांकित विषय था, उससे कहीं ज्यादा इस वक्तव्य में कहा गया है । जो वक्तव्य में ज्यादा कहा गया है, उसे आप कार्यवाही से निकाल दें । यदि मंत्री लोगों को इस प्रकार की छूट दी जाती रहेगी तो वे वक्तव्य के माध्यम से दोषारोपण करते रहेंगे । यदि आप इस पर व्यवस्था नही देते हैं तो आप सदन की पिछली परम्पराओं से हट जायेंगे और सदन की गरिमा को बनाये रखना मुश्किल हो जायेगा । संसदीय कार्य मंत्री जी ने सिद्धान्त रूप में जो बात कही, उसका मैं समर्थन करता हूं । आपके विवेक पर इसकी व्यवस्था छोड़ते हुए यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आज आप इस विषय पर अपनी व्यवस्था सुरक्षित कर लें । दोनों को वक्तव्य को और सूचनांकित विषय को मंगवाकर आप पढ लें, उसके बाद कल आप इस पर अपनी व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी यह इश्यू समाप्त नहीं हुआ है । मैं इस पर अपनी रूलिंग रिजर्व रखता हूं ।

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर दे दें, मैं उसे देख लूंगा ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या आपने वक्तव्य को स्पष्टीकरण के लिए स्थगित किया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप बैठ जांय । इस पर मैंने अपनी रूलिंग रिजर्व रखी है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, आपने इस प्रश्न पर अपनी व्यवस्था सुरक्षित कर दी है, बहुत अच्छा आपने किया । व्यवस्था के सुरक्षित रहने के बाद श्री तिवारी जी अपना स्पष्टीकरण भी नहीं दे पायेंगे । लेकिन यह जो वक्तव्य कार्यवाही का अंग बन गया है, उससे तिवारी जी के ऊपर आरोप लग गये हैं, इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वक्तव्य को आज की कार्यवाही का अंग न मानें ।

श्री उपाध्यक्ष—

हर चीज के लिए व्यवस्था सुरक्षित नहीं की जायेगी । यहां पर जो कहा गया है, वह सब कार्यवाही का अंग रहेगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह वक्तव्य तो सदन के सामने आ गया और वक्तव्य के सिलसिले में जो भी प्रश्न आये, उन पर आप व्यवस्था देंगे, क्या उस दिन श्री हरिशंकर तिवारी जी को भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें कोई रूकावट नहीं है, आप बैठें ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, यह कोई गम्भीर मामला नहीं है, केवल माननीय गृहमन्त्री की अज्ञानता से मामला बढ़ा है । वक्तव्य के १, २ और ३ पृष्ठ तक तो ठीक है, लेकिन ४, ५, ६ और ७ पृष्ठ अनर्गल प्रलाप है, उसको बदलवा दें । पता नहीं कि यह आगरे से लौटे हैं या बरेली से लौटे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर भेज दीजियेगा ।

माननीय तिवारी जी ने जो प्रश्न उठाया है, मैंने उस पर अपनी रूलिंग रिजर्व की है ।

(मद संख्या ५ (२) पुकारे जाने पर तथा वित्त राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश रिछा-

रिया द्वारा वक्तव्य पढ़ने के लिये खड़े होने पर श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री शारदा प्रताप भी खड़े होकर बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठें ।

(श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के खड़े होने से पुनः व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे—

मैं स्पष्टीकरण के लिये खड़ा हुआ था लेकिन आपने अनुमति नहीं दी ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने आपको देखा नहीं था ।

प्रदेश में बिक्री-कर की समाप्ति की मांग को लेकर व्यापारियों द्वारा की गई हड़-ताल के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

व्यापारियों के संघों द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार के समक्ष बिक्रीकर से संबंधित अनेक मागें की जाती रही हैं । हाल ही में जो ज्ञापन उ० प्र० उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं उनमें मुख्य रूप से—

(१) बिक्रीकर को उत्पादन कर के रूप में परिवर्तित करने के लिए शासन द्वारा समय-बद्ध कार्यक्रम घोषित किए जाने,

(२) जब तक बिक्रीकर उत्पादन कर में परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक प्रदेश में बिक्रीकर की दरें दिल्ली के समकक्ष किए जाने,

(३) १ नवम्बर, १९८५ से लागू किये गये बिक्रीकर अधिभार को समाप्त किए जाने, और

(४) व्यापार मण्डल द्वारा विभिन्न व्यापारिक समस्याओं से संबंधित पूर्व में दिये गये ३३ सूत्री मांग पत्र पर शासन द्वारा व्यापारी प्रतिनिधियों से मिलाकर विचार किए जाने की मांग की गयी थी ।

२—जहां तक प्रथम मांग का संबंध है, स्थिति यह है कि बिक्रीकर राज्य सरकार के राजस्व के श्रोतों में से प्रमुख श्रोत है और इससे कुल कर राजस्व का ४५ से ५० प्रतिशत अंश प्राप्त होता है । ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था व्यावहारिक रूप से नहीं पाई गई है जिससे इतना अधिक राजस्व प्राप्त किया जाना संभव हो सके । केन्द्र सरकार द्वारा भी कुछ समय पूर्व सभी वस्तुओं पर नहीं बल्कि केवल ५ वस्तुओं (वनस्पति, औषधियां, कागज, सीमेन्ट और पेट्रोलियम उत्पादन) पर बिक्रीकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की व्यवस्था करने की सम्भावनाओं पर विचार हेतु माननीय पं० कमलापति त्रिपाठी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयीथी जिसने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी थी । बिक्रीकर के स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था राज्य सरकारों की सहमति से ही किया जाना संभव है और फलतः इस रिपोर्ट पर विचार हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सभी मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया था । सम्मेलन में उक्त वस्तुओं पर बिक्रीकर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की व्यवस्था करने के प्रश्न पर आम सहमति नहीं हो सकी थी और यह निर्णय लिया गया कि केन्द्र सरकार सभी राज्यों के बीच आम सहमति प्राप्त करने का प्रयास्स जारी रखे और तब इस मामले को पुनः मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय । स्पष्टतः उत्पाद शुल्क की व्यवस्था करने का प्रश्न केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और जब तक सभी राज्यों की सहमति न हो जाय यह व्यवस्था किया जाना सम्भव न होगा । फलतः इसके लिए कोई समय-बद्ध कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाना संभव ही नहीं है ।

३—जहां तक प्रदेश में बिक्रीकर की दरें दिल्ली के समकक्ष किए जाने का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली एक केन्द्र—शासित प्रदेश है फलत: उस पर स्वयं अपने संसाधन एकत्र करने का इतना अधिक भार नहीं है जितना अन्य राज्यों पर है क्योंकि उसकी सभी आवश्यकताएं केन्द्र सरकार द्वारा ही पूरी कर दी जाती हैं । अन्य सभी राज्यों को पर्याप्त मात्रा में स्वयं अपने संसाधन जुटाने होते हैं जिनके आधार पर ही राज्यों की योजनाओं का आकार और उनके लिए केन्द्रीय सहायता आदि निश्चित की जाती है । यह सही है कि अनेक वस्तुओं पर दिल्ली में कर की दरें अन्य पड़ोसी राज्यों से कम हैं । विगत २० वर्षों में बिक्रीकर संबंधी उत्तरी क्षेत्र की क्षेत्रीय परिषद् और भारत सरकार के माध्यम से दिल्ली प्रशासन पर इस बात पर जोर डाला जा रहा है कि वे अपनी बिक्रीकर की दरें पड़ोसी राज्यों के समकक्ष ले आयें किन्तु दिल्ली प्रशासन की सहमति नहीं प्राप्त की जा सकी है । उनका तर्क है कि दिल्ली के व्यापार का स्वरूप मुख्यत: वितरण प्रधान है और इस वितरण प्रधान अर्थ व्यवस्था के कारण यह अनिवार्य है कि दिल्ली में कर की दरें कम रखी जांय । विचार विमर्श के दौरान उनके द्वारा यह भी इंगित किया जाता रहा है कि यदि अन्य पड़ोसी प्रदेश अपनी कर की दरें कम करके दिल्ली के बराबर ले आते हैं तो दिल्ली प्रशासन को मजबूर होकर अपनी दरों में कमी करने पर विचार करना पड़ेगा ।

(इस समय १२ बजकर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

कर की दरों के इस अन्तर के कारण पड़ोसी राज्यों के उद्योग और व्यापार पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है किन्तु संसाधनों की आवश्यकताओं को देखते हुए कर की दरें घटाकर दिल्ली के बराबर ले आना संभव नहीं है । किन्तु, विशिष्ट मामलों में यदि यह स्पष्ट हो कि कर की दर के अन्तर के कारण प्रदेश के व्यापार का व्यावर्तन हो रहा है और राजस्व की भी हानि को रही है तो स्थिति में सुधार लाने पर विचार किया जा सकता है ।

४—जहां तक १ नवम्बर, १९८५ से लागू किये गये अधिभार को समाप्त करने का प्रश्न है, यह उल्लेखनीय है कि उ० प्र० बिक्रीकर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, १९८३ द्वारा जो १२ अक्टूबर, १९८३ को प्रख्यापित किया गया, सर्व प्रथम यह कर लगाया गया था जो केवल केवल ऐसे व्यापारियों द्वारा देय था जिनका वार्षिक विक्रय धन १० लाख रु० से अधिक और अतिरिक्त कर की दर २५ लाख रु० से अधिक विक्रय धनवाले व्यापारियों के लिए ७.५ प्रतिशत तथा अन्य व्यापारियों के लिए ५ प्रतिशत रखी गयी थी । यह भी व्यवस्था रखी गयी थी कि अतिरिक्त कर के आपात को ग्राहकों से वसूल नहीं किया जा सकेगा । इस व्यवस्था के विरोध में व्यापारियों से अनेक मांग पत्र शासन को प्राप्त हुए जिन पर विचार करके अन्तत: इस व्यवस्था में यह परिवर्तन कर दिया गया कि अतिरिक्त कर की दर १० लाख रु० से अधिक विक्रय धन वाले सभी व्यापारियों के लिए ५ प्रतिशत कर दी गयी, इसे ग्राहकों से वसूल न कर सकने के प्रतिबन्ध को हटा दिया गया और अतिरिक्त कर केवल उस विक्रय धन पर ही देय रखा गया जो १ अक्टूबर, १९८३ के बाद की अवधि के संबंध में हो । अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से इसी व्यवस्था में १ नवम्बर, १९८५ से यह परिवर्तन किया गया कि यह कर सभी कर-योग्य व्यापारियों पर लागू कर दिया गया और इसकी दर व्यापारी द्वारा देय कर का १० प्रतिशत कर दी गयी । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि देश के अधिकांश राज्यों में इसी प्रकार अतिरिक्त कर/अधिभार देय है । गुजरात, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार में अतिरिक्त कर की दर इस राज्य में लागू की गयी दर के बराबर या उससे भी अधिक

हैं । हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश में भी विभिन्न दरों पर अतिरिक्त कर देय हैं । इस अतिरिक्त कर का भार नगण्य हैं । उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु का मूल्य १०० रु० हैं और उस पर सामान्य कर की दर ८ प्रतिशत हैं तो कर की धनराशि ८ रु० होगी और अतिरिक्त कर केवल ८० पैसे होगा । इस प्रकार १ नवम्बर, १९८५ से केवल ४० पैसे की वृद्धि अतिरिक्त कर के भार में की गयी हैं । यह भी उल्लेखनीय हैं कि यद्दपि सभी व्यापारियों को इस अतिरिक्त कर की परिधि में ले आया गया हैं, इसका प्रभाव केवल उसी सीमा तक ही पड़ेगा जिस सीमा तक १० लाख रुपये से कम विक्रय धनवाले व्यापारी स्वयं निर्मित वस्तु अथवा अन्य राज्यों से आयातित वस्तु की बिक्री करते हों क्योंकि यदि वह निर्माता अथवा आयातकर्ता से भिन्न व्यापारी हैं तो अतिरिक्त कर आपात पहले ही उनको माल बेचने वाले व्यापारी द्वारा वस्तु के मूल्य के साथ उनसे वसूल कर लिया जा चुका होगा और उस व्यापारी पर ही ऐसे अतिरिक्त कर को देने का भार होगा । इस अतिरिक्त कर से पूरे वित्तीय बर्ष में लगभग २७ करोड़ रु० का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना हैं । विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संसाधनों की आवश्यकताओं को देखते हुए इसे समाप्त करना सम्भव नहीं हैं ।

५—जहां तक पूर्व में व्यापार मण्डल द्वारा दिये गये ३३ सूत्री मांग पत्र पर व्यापारी प्रतिनिधियों से मिलकर विचार करने की मांग का संबंध हैं, इस संबंध में व्यापार मण्डल का एक शिष्ट मण्डल दिनांक २० फरवरी, १९८६ को मुझसे मिला था । इस ३३ सूत्री मांग पत्र में बिक्रीकर से संबंधित एक ही मांग हैं कि बिक्रीकर को समाप्त किया जाय । जैसा कि पहले ही उल्लिखित किया जा चुका हैं, यह मांग स्वीकार करना संभव नहीं प्रतीत होता । मांग-पत्र में अन्य मांग आवश्यक वस्तु अधिनियम, मण्डी शुल्क, बांट और माप अधिनियम आदि से संबंधित हैं । २० फरवरी, १९८६ को हुए विचार-विमर्श के दौरान मैंने यह स्पष्ट किया था कि जहां विभिन्न अधिनियमों/नियमों आदि के कार्यान्वयन से परिहार्य कठिनाइयां व्यापारियों को हो रही हैं उन्हें दूर करने का यथा सम्भव प्रयास किया जायेगा और इस हेतु मैंनें मण्डल के पदाधिकारियों से संबंधित विभागीय सचिवों से सम्पर्क स्थापित करके विचार विमर्श करने का अनुरोध किया था । इस परिप्रेक्ष्य में इस मांग को लेकर हड़ताल या अन्य आन्दोलनात्मक कार्यवाही किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, कि जो उन्होंने यह बताया कि पहले जो व्यवस्था १० लाख की थी उसको समाप्त कर यह व्यवस्था की गयी हैं कि अतिभार चार्ज किया जायेगा, लेकिन वह खरीदार से वसूल किया जायेगा । व्यापारी चाहे वसूल करें, या अपने पास से दें, लेकिन इसका असर मंहगाई पर पड़ेगा, कीमतें बढ़ती हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या माननीयमंत्री जी जो अधिभार बढ़ाया गया हैं, उसको समाप्त करने की घोषणा करेंगे । इसे वापस न लेने का क्या कारण हैं, जब कि असर ग्राहकों पर पड़ेगा ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

मान्यवर, मूल वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया गया हैं कि इस अधिभार से २७ करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की संभावना हैं । आप देखते हैं कि रोज कहीं कोई राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि हो रही हैं, नगर प्रतिकर में वृद्धि हो रही हैं, मकान भत्ता दिये जाने का आन्दोलन होता हैं और माननीय गुप्ता जी सदन में इस बात को रखते हैं कि यह रकम दे दी जाये और इसका समर्थन करते हैं, तो मान्यवर, अगर रिसोर्सेज नहीं बढ़ाये जायेंगे तो इस

प्रकार के खर्चों को कैसे वहन किया जा सकेगा । अभी जूनियर इन्जीनियरों की मांग आयी है कि मोटर साइकिल भत्ता दिया जाये, तो वह विचाराधीन है । इससे भार सरकार पर आयेगा । कहीं न कहीं से उसकी पूर्ति करनी है, संसाधन बढ़ाने होते हैं, तो इससे २७ करोड़ रुपया मिलेगा । और मान्यवर, १०० रुपये पर केवल ८० पैसा बढ़ रहा है । यह अवश्य है कि इसका भार कन्जुमर पर आता है, परन्तु हमारी भी मजबूरी है, इसलिये मैं इसको वापस लेने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, सवाल यह है कि टैक्स का प्रभाव किस पर पड़ेगा ? आपसे मैं जानना चाहूंगा, दिल्ली की चर्चा हुई इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली में टैक्स की दरें कम हैं इसका परिणाम यह हुआ है कि यहां का व्यापारी बाहर जा रहा है और राजस्व की प्राप्ति में कमी आ रही है । इसको सरकार ने भी स्वीकार किया है कि दिल्ली सरकार दबाव डाल रही है कि दरें कम कर दें । तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि उत्तर प्रदेश की दरें दिल्ली के समान हो जाय, इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार बिक्रीकर की दरें दिल्ली के समान करने की कृपा करेगी ? माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे क्या वह स्पष्ट घोषणा करोगें कि उत्तर प्रदेश की सेल्स टैक्स की दरें दिल्ली के समान करेगें ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, गुप्ता जी ने जो अधिभार के बारे में बात किया है, जो टैक्स लगता है मान्यवर, उसका १० परसेन्ट उतना ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है और जितना यह समझते हैं कि भार बढ़ेगा उतना नहीं बढ़ रहा है । दूसरी बात जो कही है कि दिल्ली के बराबर उत्तर प्रदेश में कर दिया जाय, आपको मालूम है कि जो हमारे संसाधन जुटाने का सेल्स टैक्स बहुत बड़ा आधार है अगर हम उसको एकदम से खत्म कर दें, दिल्ली के बराबर कर दें तो जो हमारे विकास के काम चल रहें हैं, जो हमारे इम्पलाई हैं उनकी सैलरी या मंहगाई भत्ता, ये सारे काम रूक जावेगें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने दिल्ली के बारे में स्वत: स्वीकार किया कि कुछ इन बातों पर विचार किया जा सकता है जिनके बारे में व्यवहारिक कठिनाई की जानकारी मिलती है । दिल्ली के कारण हमारे व्यापारियों का नुक्सान हो रहा, है । दूसरी बात विभागीय सचिवों को निर्देशित करते कि मंडल के पदाधिकारी उनसे बात कर लें तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी कोई व्यवस्था न करने का क्या कारण है । एक गोलमेज कांफ्रेस हो जाय उसमें इस सदन के प्रतिनिधि बैठें, व्यापारियों के प्रतिनिधि बैठें, सरकार के प्रतिनिधि बैठ जाय और उसमें बैठकर बिक्रीकर के बारे में सांगोपांग विचार हो जाय क्योंकि हमारी मान्यता यह है कि अगर उत्तर प्रदेश की दरें दिल्ली के समान कर दी जायेगी तो उत्तर प्रदेश का राजस्व बजाय घटने के बढ़ जायेगा जैसा कि इनकम टैक्स में कमी करने का परिणाम हुआ है कि राजस्व बढ़ रहा है । तो क्या मुख्य मंत्री जी कोई ऐसी गोलमेज कांफ्रेस करने पर विचार करेंगें जिसमें इस सदन के प्रतिनिधि बैठें, सरकार के प्रतिनिधि बैठें, व्यापारियों के प्रतिनिधि बैठें और मंत्रीगण बैठें जो इस पर विचार करें ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह बात सही नहीं है कि बढ़ जायेगा बल्कि घट जायेगा दूसरी बात यह है कि दिल्ली में जो लिया जाता है हमारा यह प्रयास है, भारत सरकार से चाहते हैं, कहते भी हैं, दिल्ली का उत्तर प्रदेश के बराबर कर दिया जाय जिससे जो हमारा नुकसान है दिल्ली के कम होने से, हमारा बहुत पैसा जो मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, क्या ब्यापारी प्रतिनिधियों से बातचीत करने को तैयार हैं ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह रोज बात होती रहती हैं क्या अलग से बात होगी ?

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में यह बात होगी कि पिछले वर्ष जब आबकारी का बजट पेश किया गया था तो उस समय यह कहा गया था कि शराब के पैसों में इसलिये छूट दी जा रही हैं कि जो दिल्ली या सीमावर्ती प्रदेश हैं वहां पर शराब सस्ती हैं और वह हमारे यहां बेच दी जाती हैं । इसलिये हमारा नुकसान हो रहा हैं। यह आर्गूमेंट उस समय दिया गया था । वही आर्गूमेंट इस समय गुप्ता जी दे रहे हैं कि आगरा, मेरठ या अलीगढ़ से जो होजिरी का सामान हैं वह सारा दिल्ली या दूसरे प्रदेशों में चला जाता हैं क्योंकि वहां पर इन चीजों में टैक्स कम हैं । हमारे यहां ज्यादा हैं । इसलिये ऐसे उद्योग हमारे यहां पनप नहीं पाता हैं और उससे आपको नुकसान होता हैं । तो हमारा कहना यह हैं कि जिस चीज को आपने यहां पर एक बार ऐक्सेप्ट कर लिया हैं, इसके लिये भी आप उसे ऐक्सेप्ट कर लें ताकि आगे कोई दिक्कत न हो ।

श्री बीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यहां नहीं हो पायेगा क्योंकि उससे यहां पर नुकसान होगा ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, १९८५ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) बिधेयक, १९८६

(मद संख्या ६ पुकारे जाने पर तथा श्री बृहम दत्त द्विवेदी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप मद संख्या ६ पर बोलेंगें । . . . . (व्यवधान) । माननीय गुप्त जी . . .

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, वह सवाल पूछ रहे हैं . . .

श्री अध्यक्ष—

अब हम मद संख्या ६ पर आ गये हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, १९८५ का अननुमोदन करता हैं ।

मान्यवर, यह जो अननुमोदन का प्रस्ताव मैंने रखा हैं उसका उद्देश्य यह हैं कि सरकार के द्वारा जो सरकार के पास अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति हैं उसका किस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा हैं, वह मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं । जहां तक सहकारिता आन्दोलन का सवाल हैं, यह बात सभी लोग भली प्रकार समझते हैं कि सहकारिता आन्दोलन गरीब लोगों के लिये सर्वहारा वर्ग के लिये, निर्बल वर्ग के लिये हैं और यही उनके लिये एक श्रेष्ठ साधन हैं कि जो पूंजीपति हैं, जो उनका शोषण करते हैं, इसी सहकारिता के माध्यम से उनके विकास का प्रयास किया जाता हैं । लेकिन हिन्दुस्तान में सहकारिता आन्दोलन के बारे में जितनी भी कमेटियां गठित हुई हैं और उसमें विदेशी लोगों का भी तर्क रहा हैं कि यह एक राष्ट्रीय आन्दोलन हैं वह कलंकित हो रहा हैं अप्रभावी हो रहा हैं, अपने देश में वह विफल हो रहा हैं इसीलिये वह सरकार द्वारा जकड़ा जा रहा हैं और इसके माध्यम से जो स्वत: विकास की प्रक्रिया होनी चाहिए वह अवरुद्ध होती चली जा रही हैं ।

मान्यवर, आप देखें । यह आज का आन्दोलन नहीं हैं । इसके पहले भी चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ हो गई थी और इस सदन ने फैसला किया था कि सह-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कारी समितियों का चुनाव ३१ दिसम्बर, १९८५ तक कर लिया जायेगा । वह नहीं हुआ और अब ३० जून तक की अवधि आप मांग रहे हैं । मैं जानना चाहूंगा कि चूंकि इससे पहले भी चुनाव की प्रक्रिया हो गई । दुबारा भी आपको मौका दिया गया, उसमें भी चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ हो गई थी, नॉमिनेशन हो गये थे डाइरेक्टर का चुनाव भी हो गया था फिर उसे भी स्थगित कर दिया । तीसरी बार यह अध्यादेश लाया गया । इससे पहले लोगों ने इसके लिये फीस भी जमा कर दी थी, नॉमिनेशन हो गया, कई जगहों पर चुनाव हो भी गया था और उसके रिजल्ट भी निकल गये थे लेकिन उसको रोक दिया गया । मैंने इस विधेयक के कारण देखे हैं । इसमें लिखा है कि कतिपय प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण सहकारी समितियों का निर्वाचन और सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी का गठन ३१ दिसम्बर,८५ तक संभव नहीं हो सका और अब इसे ३० जून, १९८६ तक बढ़ा रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि वह कौन सी प्रशासनिक कठिनाइयां हैं, यह आदरणीय सदन उन पर विचार कर ले कि इसके लिये अवधि का बढ़ाया जाना कहां तक महत्वपूर्ण है ? यह मेरा आरोप है कि कोई इस तरह की प्रशासनिक कठिनाइयां नहीं थीं और इसके आवरण में अपने दल के हित को ध्यान में रखते हुये इसकी अवधि बढ़ाई जा रही है जो सहकारिता आन्दोलन और प्रजातंत्र दोनों के खिलाफ है । इसके पहले इन्हीं की सरकार के एक मंत्री श्री काशी नाथ मिश्र ने समाचार पत्रों में आरोप लगाया था कि जो प्रशासक जगह-जगह पर नियुक्त किये गये हैं उनमें ८० प्रतिशत आदमी असामाजिक तत्व हैं, गिरोहबन्द हैं, हिस्ट्रीशीटर हैं, अपराधिक व्यक्ति हैं । तो क्या उन्ही को बनाये रखने के लिये यह अध्यादेश लाया गया है जिससे कि चुनाव की अवधि बढ़ाने की बात की गयी है । तो इसमें दो तीन प्रश्न पैदा होते हैं । मैं पूछना चाहूंगा कि इसमें जो गलत काम किया गया हैं जो तीन बार चुनाव की फीस जमा किये हैं उनका क्या होगा । इसका क्या औचित्य है कि उनकी फीस वापस क्यों नहीं कर रहे हैं । तो क्या उन्हीं को दुबारा चुना हुआ मान लेगें । चुनावों के संबंध में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जो एक अवधि किसी के लिये निर्धारित हैं जैसे विधान सभा के हर पांच साल बाद चुनाव हो जाते हैं उसी तरह से इसमें भी स्टेट्यूटरी प्रोवीजन होना चाहिये कि एक निश्चित अवधि समाप्त होने पर निर्वाचन जरूर करा दिये जायेंगे । अगर किसी एक समिति के बारे में शिकायत है तो उस पर विचार किया जा सकता है लेकिन एक ही झाड़ू से सब का सफाया कर देना कहां तक न्याय संगत है ? इसकी सहमति नहीं दी जा सकती है । इन शब्दों के साथ मैं अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री गौरी शंकर भइया—

माननीय अध्यक्ष जी, यह अध्यादेश दूसरी बार लाया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप जरा बैठ जांय, पहले मंत्री जी प्रस्ताव कर लें उसके बाद बोलें ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक,१९८६, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

मान्यवर, यह बहुत छोटा सा विधेयक है जिसमें ३० जून, १९८६ तक का समय बढ़ाने के लिये निवेदन किया गया है । सहकारी समिति जिनका चुनाव कराने के लिए हम बचनबद्ध हैं । ३१ दिसम्बर, ८५ तक इनका चुनाव कराया जाना था इसके लिये उन्होंने आलोचना की है और यह जानना चाहा कि ऐसी क्या प्रशासनिक कठिनाईयां सरकार के सामने आ

गयी जिनके कारण चुनाव कराना संभव नहीं हो सका ।

मान्यवर, मैं आपकी भावना से शत प्रतिशत सहमत हूं कि सहकारी समितियों में या सहकारी आन्दोलन में प्रशासकों के मुकाबले जन-प्रतिनिधियों का होना अच्छा है । प्रशासकों के बल पर उन्हें नहीं चलाया जाना चाहिये और तभी सही रूप निखर कर आयेगा जब जन प्रतिनिधि संचालन करें । लेकिन यह संभव कैसे नहीं हो सका । तो माननीय सदस्य को जानकारी है कि सितम्बर से लेकर दिसम्बर तक इस तमाम प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों को चाहे व सहकारिता से संबंद्ध हों या दूसरे विभागों से संबद्ध हों सब को बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए लगाया गया । तो क्या उस समय चुनाव को वरीयता देते या जन जीवन को सामान्य बनाने पर अपनी शक्ति लगाते । ऐसी स्थिति में आप सभी सहमत होंगे कि चुनाव कराना किसी प्रकार संभव नहीं था ।

दूसरी कठिनाई आप पूछेंगे कि जनवरी में क्यों नहीं कराये गये ? तो आपकी एक मांग थी उस मांग पर इतना बल दिया गया था कि सड़कों पर आप लेटे, माननीय राज्यपाल का घेराव किया, धरना दिया कि विधान मंडल का सत्र बुलाया जाय । तो जब सत्र बुलाया गया तो उस समय चुनाव कराने में सब को शिकायत होना स्वाभाविक है क्योंकि अपने-अपने क्षेत्र में जाना होता है तो हमारे सामने यह दो कठिनाई थीं । और यह समय एक या दो साल के लिये नही बढ़ा रहे हैं केवल ३० जून, १९८६ तक का इस समय मांग रहे हैं ताकि जैसे ही सत्र का समापन हो चुनाव प्रक्रिया शुरु कर दी जाये । मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि जो सीमित समय मांगा है उसके भीतर जिनकी आप उम्मीद कर रहे हैं वह चुनकर आयेंगें । यह छोटा बिल है, शंका करने की गुंजाइश नहीं है, इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस बिल की भावना को देखते हुए माननीय सदस्य अपना समर्थन देंगें ।

★श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९८६, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

श्रीमन्, अभी मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि चूंकि सदन सत्र में है, इसलिये सहकारी साधन समितियों का चुनाव होगा तो माननीय सदस्यों को अपने अपने क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, इसलिये चुनाव कराने में असमर्थ है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसी सदन के अन्दर यह बात कितनी बार दोहराई जायेगी ? जब यह विधेयक आया है सदन में तब तब जितने मंत्रियों ने इसको प्रस्तुत किया है, हमेशा यही तर्क दिया है और हमेशा चुनाव टालते जा रहे हैं, जिसके गंभीर परिणाम मंत्री जी इन साधन समितियों पर पड़ रहा है और सारी व्यवस्था आपकी ठप हो गयी है क्योंकि जिन लोगों को इन समितियों को चलाने का दायित्व सौंपा गया है उनकी दिलचस्पी जनता के हितों की रक्षा करने में नहीं है बल्कि उनकी दिलचस्पी अपने स्वार्थ पूर्ति की है । इसीलिये जनता को जो सुविधायें इन समितियों के माध्यम से उपलब्ध होनी चाहिये वह उपलब्ध नहीं हो रही है ।

मान्यवर, इनका मन चुनाव कराने का इसलिये नहीं है कि इन्होंने अपने दल में असामाजिक कार्यों में लिप्त रहने वालों को साधन सहकारी समितियों का प्रशासक नियुक्त करने का काम किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं । वही लोग जनता को ताक पर रख करके सचिवों से उगाही करके पैसा लेते हैं और उनके द्वारा सारी चीजों का ब्लैक किया जाता हैं । इसलिये आज हालत हैं कि देहातों में जनता को छोटी से छोटी आवश्यकता की चीजें जैसे मिट्टी का तेल, जो इस देश में कम से कम ७० प्रतिशत लोगों को रोजगार प्रदान करने की चीज हैं, वह नहीं मिल रहा हैं । मान्यवर, सहकारिता के माध्यम से जिन गरीब, असहाय और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के उत्थान की बात, सहकारिता आन्दोलन को चलाने की बात सोची थी वह पूरी नही हो रही हैं और जो लोग मिट्टी का तेल से चिराग जलाकर उजाला करना चाहते हैं उनको वह भी आज इन समितियों के माध्यम से नहीं मुहैया हो रहा हैं ।

मान्यवर, मैं बलिया का उदाहरण देना चाहता हूं कि, एक दिन पहले भी यहां कहा हैं, एक दिन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हो रही थी, एक माननीय सदस्य, लोकदल ने यह कहा कि मिट्टी के तेल के वितरण में भ्रष्टाचार हो रहा हैं, तो उस पर वह नाराज होकर उस जिले के ए० आर० ओ० ने सचिवों को आदेश दिया कि मिट्टी का तेल न उठायें और न वितरित करायें क्योंकि इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी की हैं और वह इसकी व्यवस्था नही कर रहे हैं, इसलिये तेल के वितरण की व्यवस्था ठप हो गयी हैं । मान्यवर, यही नहीं और सामानों को देखें जैसे चीनी का वितरण किस प्रकार हो रहा हैं । मान्यवर, आज सहकारी साधन समितियों के माध्यम से जनता के उपयोग की चीजों को जनता को उपलब्ध कराना इसका एक मात्र उद्देश्य रखा गया था । कि जो भी ऐसे सामान होगें जनता के रोजमर्रा के इस्तेमाल के, उनकी व्यवस्था साधन सहकारी समितियों के माध्यम से होगी । हमने सुझाव दिया था कि जब आप चुनाव नहीं करा रहे हैं तो उसकी व्यवस्था क्यों नहीं जनप्रतिनिधियों के हाथों में दे रहे हैं, लेकिन आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया । आपको जनप्रतिनिधियों के हाथों में उसकी व्यवस्था सौंप देनी चाहिए, जिससे उसकी जनता में जवाबदेही होती । जिसको जनता में जवाबदेही नहीं देनी हैं, उसको जनता के दुख दर्द की क्यों चिन्ता होने लगी । इस समय सहकारी संस्थाओं में अन्धेरगर्दी और लूट-खसोंट मची हुई हैं और जनता के हितों की रक्षा करने का उसका उद्देश्य बिलकुल समाप्त हो गया हैं । इसलिए आप उसके तत्काल चुनाव करायें या जनप्रतिनिधियों के हाथों में उसे लावें । अत: मेरा निवेदन हैं कि इस समय आप इस विधेयक को वापस ले लीजिए और इसे जनता के हाथ में चुनाव कराकर दे दीजिए ।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपकी आभारी हूं । यह एक नाजुक सा विधेयक सम्मानित सदन के समक्ष आया हैं । लगता ऐसा था कि वगैर किसी चर्चा के हम लोग इसको पास कर देंगे और ३० जून के बाद चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ कर देते । सहकारी आन्दोलन इस कांग्रेस दल का बनाया हुआ एक नियम हैं और इसी के समय में सहकारी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ । न केवल प्रारम्भ हुआ वगैर इस चीज की तरफ ध्यान दिए हुए कि कौन चुनाव के माध्यम से आकार चुनाव में भागीदारी कर रहा हैं, उसके चुनाव भी करायें गये । इस बार भी वर्तमान शासन का पक्का और नेक इरादा था कि हम चुनाव समय से करा देंगे । मैं अपने योग्यतम और वरिष्ठ साथी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी से भी आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि अभी-अभी माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने जिन परेशानियों का उलेख किया हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए वह अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

प्रस्ताव को वापस ले लें। प्रश्न यह है कि चुनाव किस लिए कराये जायं, जनता के हित में वह कराये जाते हैं। जहां पर परेशानी है चुनाव कैसे कराये जायं ? बाढ़ की विभीषिका में जब सारा प्रदेश है, तो हम चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ करें या उसको राहत दें जो बाढ़ की विभीषिका में पिस रही है ? हम सभी ने—हमने आपने और जनता ने सोचा उस समय कि जिस प्रकार की बाढ़ आई है, ऐसी विभीषिका अर्से से नहीं आई है और इसलिए इस कार्य को रोक-कर सारी शक्ति से प्रशासन द्वारा बाढ़ से लोगों को बचाने का प्रयास किया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि जिस विभीषिका की लपेट में प्रदेश लिपटा हुआ था, बड़ी समझदारी और सूझबूझ से आपने उसको बचाया और जनता को बचाया। जहां तक चुनाव की बात है, उसकी प्रक्रिया गुप्त जी के शब्दों में ही प्रारम्भ हो गई है, उसे समाप्त नहीं किया गया है, आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। वर्तमान शासन की नियत साफ है, हम चुनाव कराना चाहते हैं और चुनाव की प्रक्रिया में कहीं भी हम पीछे नहीं हटना चाहते हैं। वह निश्चित समय पर होंगे। इस-लिए मेरा विपक्ष के सभी विधायकों से निवेदन है कि हम आगे का आज का कार्य करें और जो छोटा सा विधेयक माननीय सदन के सामने पेश है, इसे पास करके आगे का काम आगे बढ़ायें।

*श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बोलने के लिये समय दिया। मान्यवर, मेरा भी सहकारी आंदोलन से नजदीक का सम्बन्ध रहा है। १९८० से जो इस आंदोलन की दुर्गति हो रही है वह किसी से छिपी नहीं है। अभी मान-नीय प्रेमवती जी बोल रही थीं तो विषय था सहकारी समितियां और उन्होंने घसीट कर बाढ़ में ले जाकर डाल दिया। बाढ़ से सहकारिता का क्या सम्बन्ध। मैं पूछना चाहता हूं कि नवम्बर में कौन सी बाढ़ थी, दिसम्बर में और जनवरी में कौन सी बाढ़ थी ? फरवरी में मान लिया कि सेशन आ गया तो इसके पहले के तीन महीनों में कौन सी बाढ़ आयी थी आप बता दें। जब चुनाव चल रहे थे तो बहुत सी जगहों पर बिना मुकाबले के लोग इलेक्ट हो गये। सरसावां समिति में लोग बिना मुकाबले इलेक्ट हो गये। जहां-जहां चुनाव हुये वहां पर इनके लोग बुरी तरह से हार गये। लिहाजा आपको कोई बहाना करके चुनाव को टालना था। श्रीमन्, इन्होंने ऐसे-ऐसे प्रशासक नियुक्त कर रखे हैं जिनका सहकारी आंदोलन से कोई जरा सा सम्बन्ध नहीं रहा है। इनकी आस्था कभी सहकारी आंदोलन में नहीं रही और उसके विप-रीत यह आचरण कर रहे हैं। मैं नाम लेकर नहीं कहना चाहता, इनके प्रशासक कारों का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे-ऐसे प्रशासक हैं कि उन्हीं बैंकों में अपनी ही कार किराये पर चढ़ा रखी है। अपना भी भत्ता बनाते हैं और कार का किराया भी बैंक से लेते हैं। कार से जाते कहां हैं अपनी रिश्तेदारी में और दिखाते हैं कि फलां जगह समिति को देखने के लिये गये थे। श्रीमन्, इस तरह से अवैधानिक कार्य हो रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती।

अभी हमारे साथी गुप्ता जी बोल रहे थे कि अपराधी किस्म के लोग, डिफाल्टर लोगों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। आप जनता पार्टी की बात भी कभी-कभी कर दिया करो।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

जिला परिषदों का आपने क्या किया ? उनको भंग कर दिया यह बता दें ?

श्री राम सरन—

प्रेमवती जी हम लोगों से बहुत प्रेम करती हैं। कोई छिपाती थोड़ी ही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो जनता पार्टी ने यह किया कि छोटे स्तर से लेकर एपेक्स बाडी के चुनाव कंपलीट करा दिये थे। सारे देश में उस समय चर्चा हुयी थी कि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य हैं जहां पर सरकार ने, सहकारिता मन्त्री ने अपने टाइम में एक साल के अंदर चुनाव करा दिये। आपके पिछले ५ साल बीत गये हैं। २-३ मुख्य मन्त्री पिछले शासन में चले गये और २-३ मुख्य मन्त्री इस शासन मे चले गये। आप भी दूसरे या तीसरे महीने में चले जायेंगे और बाबू हुकुम सिंह जी आप चुनाव नहीं करा सकते हैं। जून में सूखा आ जायगा। बरसात में बाढ़ आ जायगी और सर्दियों में सेशन आ जायगा। कभी ब्याह, शादी आ जायगी और कभी ईद, होली या दीवाली का त्योहार आ जायगा।

और साहब यह चुनाव ३ बहानों को लेकर ऐसे ही टालते रहेंगे। इसलिए मेरे दिमाग में एक बात आती हैं कि यह अगर इस बात को एडमिट कर लें कि ३० जून, १९८६ तक चुनाव बढ़ा दिये जाएं तो हम लोग इस पर हांथ उठा देंगे और साथ में यह भी कहेंगे कि जब तक सूरज और चांद रहेगा, इन्हीं लोगों का कार्य-काल रहेगा, तो हम लोग इस पर भी अपना हाथ उठा देंगे और अंत में यह कहूंगा कि जब सरकार तुम्हारी जायेगी, तभी चुनाव हो सकेंगे।

श्री हुकुम सिंह—

सो वह कभी जायेगी नहीं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, जैसा कि अभी यह कहा गया कि सहकारी समितियों के चुनाव का समय बढ़ा दिया जाए। मान्यवर, असलियत यह हैं कि यह चुनाव कराने से कतरा रहे हैं। मान्यवर, यह सहकारी समितियों के आंदोलन पूरे हिन्दुस्तान के गरीबों के जन-जीवन से जुड़ा हुआ हैं। अब प्रश्न यह उठता हैं कि उन समितियों में आज जिस प्रकार का हड़कम्प मचा हुआ हैं और उनके सामने जो कठिनाईयां आ रही हैं, इन कठिनाइयों को मद्दे नजर रखते हुए, इनकी किन-किन कठिनाइयों का निराकरण होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, इन सारी बातों के लिए मेरा आपसे निवेदन हैं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाना चाहिए। यह समिति इसमें विस्तार से विचार करके अपनी विवेचना को सदन के सामने प्रस्तुत करें, यह बहुत ही आवश्यक हैं और इसको प्रवर समिति में जाना इसलिए भी बहुत आवश्यक हैं क्योंकि यह समितियां आज करोड़ों बिमारियों से, करोड़ो रोगों से बुरी तरह ग्रसित हैं। एक तो इसमें प्रशासक वह लोग हैं, जिनके हाथ अपराधी जगत में काफी घिसे हुए हैं। और दूसरे मान्यवर, इन सहकारी समितियों के जो गोदामों का निर्माण हो रहा हैं, उनमें वर्ल्ड बैंक का पैसा लग रहा हैं और जो गोदाम इनके पूरी तरह निर्मित भी हो चुके हैं उनके खराब होने के कारण उसमें यह अपनी चीजों को न रख करके दूसरे गोदामों में रख रहे हैं, जिनका किराया भी काफी लम्बा हैं। इसी प्रकार के और भी खर्चे हैं, जिसकी वजह से आज इसकी हालत काफी जर-जर हो गयी हैं दूसरी और इन समितियों के माध्यम से हमारे माननीय मन्त्रीगण अपनी सुख-सुविधा की चीजें खूब इकट्ठा कर रहे हैं और गरीब जनता के नाम पर जो सुविधाएं इन समितियों के जरिए से मिलनी चाहिए, तेल, कपड़ा, साबुन व अन्य आवश्यक चीजें बांटी जाती हैं, वह सारी चीजें इन लोगों के घरों पर पहले आती हैं। इस प्रकार इसमें जो कार्य इन्होंने किये हैं, वह एक प्रकार से जन आन्दोलन पर छुरी चलाने के काम किये हैं। इसलिए मेरी मांग हैं कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाए जो इस पर स्पष्ट रूप से विचार करें, इसलिए इसका वहां जाना बहुत आवश्यक हो गया हैं और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि इन सहकारी समितियों के चुनाव कराने हेतु ३ बार घोषणा करने के बाद, जिन लोगों ने बिना किसी विवाद के चुनाव जीत लिया और दूसरे जिन

लोगों ने अपना केवल पैसा और नामांकन फीस और नामांकन-पत्र दाखिल कर दिया, तो अब आप उनके चुनाव नहीं करायेंगे और दूसरे इसकी भी घोषणा करिए कि जो लोग पहले जीत गये थे क्या उन्हें जीता हुआ माना जायेगा ? और क्या उनके अब चुनाव नहीं आप करायेंगे

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों के नामांकन के पेपर का पैसा दाखिल हो गया और उन्हें कार्य नहीं मानेंगे, तो यह सवाल पैदा हो गया कि यह मामला प्रवर समिति के सामने जाना चाहिए। यह बहुत जरूरी मसला फंस गया कि इस सहकारिता आन्दोलन के पीछे चुनाव न कराना और फिर से लोगों के पर्चे दाखिल कराना, जो निर्विरोध आ गये थे, आपके मन के अनुसार के व्यक्ति नहीं लेना, इसलिए यह संदर्भित मामला प्रवर समिति में जाना आवश्यक है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, यह जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है, मैं भी इसके सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं। यह तो स्पष्ट है कि सरकार की मंशा है कि जो सहकारी समितियां हैं, उनके ऊपर अंकुश ऐसे लोगों का होना चाहिए जो जनता के प्रतिनिधि हों, न कि सरकारी अफसर हों। इसलिए वहां पर जनता में से प्रशासक की नियुक्तियां की गयी हैं। दूसरी बात श्रीमन्, चुनाव की थी। जो चुनाव स्थगित हुए, उसका मेरे बहुत से साथियों ने मामला उठाया, चुनाव में अधिकाधिक लोगों को भाग लेने का मौका मिले, इससे सभी सहमत होंगे कि उसकी जो प्रबन्ध समिति है, उसमें अधिकाधिक जनता के प्रतिनिधि पहुंच सकें। जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, उनको यह बात याद है या नहीं, जिस दिन चुनाव की प्रक्रिया हो रही थी, उस दिन बहुत भारी वर्षा हो रही थी। बहुत से ऐसे लोग थे, जैसे हमारे वर्मा जी हैं और भी लोग हैं, भारी बारिश के कारण भरी हुई नदियों को पार करके ब्लाक मुख्यालय पर नामांकन करने नहीं पहुंच सके। मैं उन सदस्यों की बात नहीं करता हूं, जैसे हमारे गौरी भइया हैं, जो हर तूफान का मुकाबिला करके हर तूफान में पहुंचते हैं। इसलिए वह चुनाव हटा दिया गया, ताकि अधिक से अधिक लोगों को चुनाव में भाग लेने का मौका मिल सके। अब चुनाव जो हैं ३० जून तक पूरा करा देंगे।

माननीय विपक्ष के लोग यह चाहते हैं कि उसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय और उसमें दो महीने प्रवर समिति विचार करे और उसके बाद वह अपनी रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत करें, तो जब दुबारा सितम्बर में सदन आहूत होगा, तब वह रिपोर्ट विचारार्थ ली जायगी और फिर उसके बाद संशोधन लाकर चुनाव की प्रक्रिया शुरू कराई जायगी। वास्तव में माननीय विपक्ष के सदस्य संसदीय प्रक्रिया का दुरुपयोग करके चुनाव को और भी आगे टालना चाहते हैं और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को सहकारी समितियों में नहीं आने देना चाहते हैं। इस दल की नीति यह है कि प्रदेश के शासन तथा देश के शासन में सर्वोच्च पदों पर जनता के प्रतिनिधि बैठें। परन्तु जब इन्हें मौका मिला था, तो इन्होंने प्रधान मन्त्री पद जो भारत में सर्वोच्च प्रशासन का है पर ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया था, जिसको किसी बहुमत वाले संसदीय दल ने बहुमत से अपना नेता नहीं चुना। एक बात मैं अन्त में माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि रुकी हुई चुनाव प्रक्रिया में जो नामांकन हो चुके हैं, उन सबको बैध माना जाय जैसा कि सामान्य निर्वाचन में होता है और जब नये चुनाव कराये जायं, तो उनको नामांकन पुनः कराने की आवश्यकता न हो तथा नये लोगों को जो चुनाव में भाग लेना चाहते हों उन्हें अपने नामांकन कराने का मौका दिया जाय, जिससे हमारी लोकतांत्रिक

भावना भी पूरी हो जायगी और चुनाव भी हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय के अनुसार इस पर चर्चा २ बजे समाप्त हो जायेगी।

*श्री गौरी शंकर भइया—

यह अननुमोदन का प्रस्ताव जो माननीय गुप्ता जी और माननीय राम गोविन्द चौधरी ने रखा है, हम इसके समर्थन के लिए खड़े हुए हैं। यह लोकतांत्रिक चुनाव को टालना लोकतांत्रिक भावना के प्रतिकूल है।

माननीय बरार भाई की मैं बड़ी इज्जत करता हूं लेकिन जब वह बोलने खड़े हुए तो उन्होंने कहा उस दिन वर्षा हो रही थी। दादा लालता प्रसाद जी कहेंगे कड़ी धूप निकली हुई थी, इसलिए चुनाव नहीं हुए तो धूप और वर्षा तो चलती ही रहेगी। २-३ बातें माननीय सदस्यों की तरफ से आईं कि ऐसे लोगों को प्रशासक बनाया गया, जिनको सहकारिता का ज्ञान नहीं था, मन्त्री जी जो हैं, इनको भी सहकारिता का ज्ञान नहीं है। मान्यवर काशीनाथ मिश्र जी ने इस बात को स्वीकार किया था ऐसे लोगों को, प्रशासक बनाया गया है, जो इसका ज्ञान नहीं रखते हैं। गुण्डे और बदमाश हैं, उनकी बात सही थी। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जानबूझ कर यह चुनाव टाले जा रहे हैं। यह भी नहीं है एक बार प्रशासक किसी को बना दिया गया, तो वह काम कर रहा है। प्रशासकों के जिलों में भ्रष्टाचार हो रहा है प्रशासक मन्त्री जी को निश्चित राशि पहुंचाता है, अगर प्रशासक निश्चित राशि मन्त्री जी को नहीं पहुंचाता है तो उसे हटा दिया जाता है।

मान्यवर, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, एक आदमी को बैंक का प्रशासक बनाया गया जब उसने निश्चित राशि देने से इन्कार कर दिया, तो उसे हटाकर दूसरे को प्रशासक बना दिया गया। जब दूसरे प्रशासक ने भी देने से इन्कार कर दिया तो तीसरे आदमी को प्रशासक बनाना चाहते थे जो मंत्री जी के जिले का आदमी था, लेकिन दूसरा वाला आदमी उच्च न्यायालय में चला गया और स्टे ले आया। मन्त्री जी को मालुम होगा एक माह में प्रशासक का टी० ए० डी० ए० का क्या खर्च आ रहा है। क्या कारण कि उत्तर प्रदेश का कोआपरेटिव मूवमेंट फेल हो रहा है। हमारे समाज को तीन रोग लगे हुए हैं। एक तो सचिव का रोग है, एक प्रशासक का रोग है और तीसरा गम्भीर रोग है मन्त्री बने हुए हैं। इन्होंने अपने चहेतों को और गुण्डों को जो इनको रुपया वसूल करके पहुंचाते हैं, उनको प्रशासक बनाने का काम किया है। मेरा साफ आरोप है। प्रशासक मन्त्री जी के भोग विलास और आय का श्रोत बने हुए हैं। ऐसे लोगों को हटाना नहीं चाहते हैं इसीलिए यह चुनाव टाले जा रहे हैं। इस भ्रष्टाचार रूपी गंगा को तोड़ने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। मैं चाहूंगा कि इस विधेयक को पटल पर न रखने के लिए आप सहयोग दें।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, छोटा सा संशोधन प्रस्तुत किया गया। बहुत सी बातें कही गई हैं, जिनका कि कोई औचित्य नहीं है। माननीय गुप्ता जी ने, माननीय दास जी ने और माननीय गौरी भइया जी ने करीब-करीब वही बातें रिपीट कीं जो गुप्ता जी ने कहीं। माननीय गुप्ता जी कोई बात स्पष्ट होती है उसको कन्फ्यूज कर देते हैं, इस बात में यह माहिर है। यह बात सही है कि चुनाव कराने चाहिए थे वह नहीं हुए। यह बात गुजर चुकी। अब इन्होंने कहा है कि ३० जून, १९८६ को, तो इन्हें अब आगे नहीं टालना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिए। चुनाव होने चाहिए। चुनाव टलने नहीं चाहिए .... यह चुनाव हो जाने चाहिये। ऐसी संस्थाएं हैं जो चुनाव पर आधारित हैं और जिनका जन-जीवन से सीधा सम्बन्ध है। एक आन्दोलन है यह, जिसका सीधा सम्बन्ध आम जनता से है। इसलिये चुनाव हो जाने चाहिये। अभी गौरी भइया और चौधरी साहब ने कहा कि ७० फीसदी या कितने इसमें नहीं हैं, तो ऐसा जेनरेलाइजेशन का कारण बताना उचित नहीं है। या तो कोई खास स्पेसिफिक बात कहिये। यह कह देना कि सब भ्रष्ट हैं, तो कोई आदमी किस वजह से कहां पर क्या कहता है, लेकिन यह कहना उचित नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सब लोग अच्छे हैं और अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं। चूंकि यह आन्दोलन जन-जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिये कुछ कमियां हो जाती हैं। यह संशोधन जो रखा गया है कि प्रवर समिति को भेज दिया जाय, माननीय गुप्ता जी ने यह बात उठायी है कि अध्यादेश के जरिये से यह बात नहीं आनी चाहिये, लेकिन संविधान के आर्टिकिल २१३ के चैप्टर ४ में यह बात रखी गयी है कि महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति को यह पूरा अधिकार है कि वे आवश्यकता के अनुसार आर्डिनेंस ला सकते हैं। यह भी है कि किन परिस्थितियों में लाते हैं तो उसे उचित नहीं समझा जायगा। उसकी पूरी व्यवस्था उसमें दी गयी है। जो आर्डिनेंस लाया गया है, संविधान के तहत लाया गया है। यह आर्डिनेंस गलत नहीं है। एक चीज आपने यह कही कि इसको प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय। इसको सिर्फ ३० जून, १९८६ तक के लिये बढ़ाया गया है। प्रवर समिति के संबंध में ज्यादा बल दिया जा रहा है। तो यह समिति उसमें क्या करेगी। इसमें ऐसी कौन सी गुत्थी है जिसके लिये प्रवर समिति का सुझाव लिया जायगा। इसलिये इसके प्रवर समिति में जाने की कोई बात नहीं पैदा होती ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, माननीय सदस्य लाल प्रताप सिंह जी बड़े योग्य विधिवेत्ता हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि इस बार चुनाव की तारीख नहीं बढ़नी चाहिये। तो प्रवर समिति यही बढ़वाना चाहेगी कि इसकी तिथि जून, १९८६ से आगे नहीं बढ़ेगी।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, ऐक्ट में संशोधन इसलिये किया जाता है कि सरकार उस विधि से काम करे। लेकिन मान्यवर, परिस्थितियों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी वर्ल्ड वार शुरू हो जाय या न्यूक्लियर वार हो जाय, तो सोचना होगा। सामान्य स्थिति होते हुए मेरा यह सुझाव है कि चुनाव अवश्य करा दिये जांय।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि किसी भी समाजवादी सरकार के लिये साधन सहकारी समितियों से मजबूती से काम कराने का दायित्व है। साधन सहकारी समितियों में या सहकारी संस्थाओं में जनता की सहभागिता है। ईमानदारी की बात यह है कि सरकार उसको दलीय राजनीति में फंसाना चाहती है सहकारी आन्दोलन को, और जब भी यह देखती है कि चुनाव नजदीक आ जाते हैं और नामांकन होने लगते हैं और यह अंदाज लाग जाता है कि यह तो विपक्ष के हाथ में सहकारी संस्थाएं चली जा रही हैं तो तमाम वायरलेस द्वारा सूचना दे दी जाती है चुनाव स्थगित हो गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं मन्त्री जी से कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है।

सहकारिता विभाग और इसको ईमानदारी से आपको राजनीति से ऊपर

रखना ही पड़ेगा। राजनीति से ऊपर नहीं रखेंगे तो जिन-जिन माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं, वितरण व्यवस्था ठप हो जाने के आरोप लगाये हैं, वह आरोप अनवरत होते ही रहेंगे, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। समय पर चुनाव होने चाहियें। लेकिन, मान्यवर, यह सरकार समय पर चुनाव कराना नहीं चाहती है, इसलिए मैं इस प्रवर समिति के प्रस्ताव पर बल देता हूं और चाहता हूं कि मन्त्री जी इस विधेयक को वापस ले लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने अननुमोदन का जो प्रस्ताव रखा है, अभी माननीय सदस्य भाषण दे रहे थे, उधर से भी कई अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी, सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि सहकारी आन्दोलन का जो प्रजातांत्रिक अंग होना चाहिये शासकीय जकड़न से उसका अहित होगा, उसमें कहीं पर कोई विवाद नहीं है। मान्यवर, मुझे बहुत सी कमेटियों की रिपोर्ट देखने का मौका मिला, सहकारी आन्दोलन में काम करने का मौका मिला। अगर आप मान्यवर, महाराष्ट्र आदि का मुकाबला करें जहां सहकारी आन्दोलन सफल है, तो यही पायेंगे कि यहां हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है। यह चुनाव ३-३ बार टाले गये हैं। मान्यवर, कौन से ऐसे आरगूमेंट रखे जायेंगे जिससे सदन को यह आश्वासन हो जाय कि १९८६ के बाद चुनाव नहीं बढ़ाये जायेंगे। अभी माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने हम लोगों की आशंकाओं की पुष्टि कर दी कि हो सकता है कोई कंजूअलटी हो जाय या कोई वार छिड़ जाय, बहाना तो निकल सकता है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि कभी धूप का बहाना लिया जाता है कभी पानी बरसने का।

मान्यवर, इसमें कोई बहाने की बात नहीं है, सर्वहारा वर्ग के उद्धार के लिये इरो चलाना चाहियें। इसे जकड़न से हटाना होगा। मान्यवर, लिस्ट की बात उठी। लिस्ट तो आप उनकी मांग लीजिये जिनके हांथ-पांव असमाजिक गतिविधियों में न लगे हों। मान्यवर, सहकारिता का क्षेत्र आज राजनीतिक स्तर पर लिपटा हुआ है। मैं दो एक बातें कहना चाहूंगा। पहले चुनाव की जो प्रक्रिया हुई, जो सर्वसम्मत जीत गये हैं, उनका क्या होगा ? पंच जो चुने जाने बाकी रह गये थे, उनका क्या होगा ? माननीय मन्त्री जी ने चूंकि इन सब बातों का कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए मैं पुनः अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

[समय १ बजकर ५६ मिनट]

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्यों द्वारा यहां पर कुछ आशंकायें व्यक्त की गयीं, जैसे यह कहा गया कि हम चुनाव से कतरा रहे हैं। मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं है। यह जो संशोधन लाया गया है यह केवल ३० जून, १९८६ तक समय बढ़ाने के लिये लाया गया है। मान्यवर, हम लोगों का सहकारी आंदोलन में विश्वास है। हम इससे सहमत हैं कि सहकारिता केवल सरकारी कार्यक्रम के आधार पर नहीं चलायी जा सकती। मान्यवर, सहकारिता जीवन का एक दर्शन है। उस दर्शन को जब तक आप आजादी नहीं देंगे, विकसित नहीं होने देंगे, सहकारिता पनपने नहीं पायेगी। महाराष्ट्र का उदाहरण दिया गया और कई जगह का उदाहरण दिया गया। मान्यवर, और भी जगह विदेशों में जो सहकारिता आयी, वह स्वतः आयी है। सहकारिता दखलन से नहीं आयी है। उत्तर प्रदेश में इस बात का प्रयास करना पड़ेगा कि सहकारी समितियां स्वतः संचालक मंडलों का चुनाव करें। यह जब तक प्रयास नहीं होगा हम सहकारिता को सहकारिता का रूप नहीं दे पायेंगे। मान्यवर, हम यह आश्वस्त करते हैं कि सहकारिता के दर्शन में पूर्ण विश्वास करते हुए शीघ्र ही चुनाव करायेंगे। इस आश्वासन के बाद मान-

नीय सदस्य से यह अपेक्षा करते हैं कि वे अपने सारे संशोधनों को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, १९८५ का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९८६, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९८६, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा २९ में, उपधारा (६) में उसके प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "३१ दिसम्बर, १९८५" के स्थान पर शब्द और अंक "३० जून, १९८६" रख दिये जायेंगे।

(श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री सुखपाल पाण्डेय, श्रीकामेश्वर उपाध्याय, श्री कमल किशन पाण्डेय और श्री श्रीप्रकाश सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर खण्ड २ का संशोधन प्रस्तुत करने के लिये कोई भी प्रस्तावक सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड-२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

३—मूल अधिनियम की धारा ३५ में, उपधारा (६) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "३१ दिसम्बर, १९८५" के स्थान पर शब्द और अंक "३० जून, १९८६" रख दिये जायेंगे।

(सर्वश्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री सुखपाल पाण्डेय, श्री कामेश्वर उपाध्याय, श्री कमल किशन पाण्डेय और श्री श्रीप्रकाश सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर खण्ड ३ का संशोधन प्रस्तुत करने के लिए उनसे से कोई भी प्रस्तावक सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड-३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४, खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 1985 निरसन और व्यावृत्ति

४—(१) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, १९८५ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९८६

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ का अग्रतर संशोधन करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, १९८६ कहा जायेगा।

(२) यह ३१ दिसम्बर, १९८५ को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड-४ व खण्ड-१, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९८६, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १९८६ जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, १९८६ के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९८६

★श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, १९८६ का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि रोग से निदान ज्यादा गम्भीर हो जाता है। इस विधेयक में भी जो निदान प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही कष्टदायी है। इसलिए मान्यवर, मैं इसका अननुमोदन कर रहा हूं। यह बात सही है कि दफा-१०(२) जिसमें सीलिंग के मामले उठते थे, उनकी अपील की जाती थी। एस० डी० एम० उनका फैसला करता था। डिस्ट्रिक्ट जज के यहां अपील करने का पहले प्राविधान था। शासन को इस बात की चिन्ता हो गई कि मुकदमें बहुत ज्यादा पेन्डिंग हो गये हैं और इनका निस्तारण होना चाहिए। मान्यवर, मुकदमें इसलिए पेन्डिंग हो गये क्योंकि समाज का जो बड़ा वर्ग है, जिसने सीलिंग के नाम पर गलत काम करके जमीन पर कब्जा कर रखा है। मंगल देव विशारद कमेटी ने तथा अन्य लोगों ने इसके बारे में कहा। आप लोगों का इन मुकदमों में निहित स्वार्थ है।.....

(इस समय २ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सच्चिदानन्द वाजपेय्यी पीठासीन हुए।)

★वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह जमीन पर कब्जा किये रहते हैं। अगर आवंटन हो गया हैं तो आवंटी को जमीन न मिलने पाये, इस निहित स्वार्थ की पूर्ति का कारण यही हैं। अभी तक एक जुडिशियल ब्रेन होता था, उसके पास मामले जाते थे तो फैसला हो जाता था। अब आपने कर दिया कि आयुक्त के पास मामला जायगा। अगर जज साहब व्यस्त हैं तो क्या आयुक्त साहब हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं? १२२-बी के तथा अन्य धाराओं के अन्तर्गत तमाम मुकदमे हैं, उनकी अपीलें भी तो आयुक्त के यहां जाती हैं। एक-एक आयुक्त के पास ५-५, ७-७ वर्ष के हजारों मुकदमें पैण्डिग हैं, अगर उनका निस्तारण नहीं हो सकता तो इन मुकदमों के भार का निस्तारण कैसे करेंगे ? आपने एक काम और दे दिया कि प्रशासनिक विकेन्द्रीयकरण के नाम पर उनको और भी काम दे दिये, विकास की लाइन में भी डाल दिया। अभी तक जो कार्यभार था, वह और बढ़ गया। उसके बाद भी उम्मीद करते हैं कि वह आपका मुकदमा निस्तारित कर देंगे। मैं समझता हूं कि यह सम्भावना शून्य के बराबर हैं। इसमें जो अहित होगा, जैसा मैंने कहा कि न्यायिक ब्रेन वहां पर नहीं हैं, आयुक्त के पास ५-७ जिले होते हैं, वहां से लोगों को चलकर आना पड़ेगा, जिसमें उनका अनावश्यक खर्चा होगा।

हमारे प्रदेश की जुडिशियरी हैं, उस पर हमें नाज हैं, उसकी निष्पक्षता पर गौरव हैं, लेकिन अगर मैं आप पर आरोप लगा दूं कि आपके प्रशासनिक कार्य करने के तौर-तरीके ऐसे हैं कि आपके निहित स्वार्थों की पूर्ति हो रही हैं, कमिश्नर आपके संकेतों पर मुकदमे का फैसला करेंगे, यह कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं। इसीलिये मैंने कहा कि जो निदान प्रस्तुत करने की चेष्टा की जा रही हैं, उससे ज्यादा गम्भीर बात होगी। असली बात हैं भ्रष्टाचार की मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। सरकार की ओर से निदेश आता हैं जिलाधिकारियों के पास कि गांव में अनाधिकार कब्जों की चौकिंग की जाय, जिलाधिकारी, सीतापुर के पास भी आदेश पहुंचा। जिलाधिकारी, सीतापुर ने भी ग्राम प्रधानों को आदेश जारी कर दिया कि तुम लोग सबसे बड़े बेईमान हो, तुम्हारे गांव में जितने मामले हैं, उनकी रिपोर्ट एक महीने में दे दो, नहीं तो बस्ता छीन लिया जायगा। मैंने कहा कि आपके हिम्मत भी कहा हैं, उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश हैं। सभी विधायकों को इस बात की जानकारी होगी कि अपने पद-परायण उन प्रधानों ने सूचियां तो भेज दीं लेकिन एक भी मामले का निस्तारण क्या आप कर पाये ? उनकी दुश्मनी हुई, कत्ल हुए प्रधानों के क्योंकि प्रधानों ने दादाओं के नाम भेज दिये थे। मैं जानना चाहता हूं कि आपके लेखपाल और अधिकारी क्या करते हैं, जो आपने प्रधान पर यह बोझा दिया ? क्या आपने उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही की ?

एक भ्रष्टाचार की जानकारी और देना चाहता हूं, अरबों रुपये का मामला घपले में पड़ा हुआ हैं, हमारे देश की जो निष्क्रांत सम्पत्ति हैं, जो लोग पाकिस्तान चले गये, उनकी सम्पत्ति का क्या किया, जो लोग ५४ तक गये, आपने कहा कि वह सम्पत्ति बेची जा सकती हैं, लेकिन फिर आपने राजकीय सम्पत्ति घोषित कर दी, रख-रखाव की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को दी। लखनऊ, आगरा और सीतापुर के बहुत बड़े पैमाने पर उदाहरण हैं कि उस सम्पत्ति को निष्क्रान्त सम्पत्ति के नाम पर जिलाधिकारी बेज रहे हैं। हैं कोई व्यवस्था आपके पास ? मान्यवर, अभी मैं लखीमपुर जिले में प्रवास पर गया था वहां मैंने देखा कि एक-एक आदमी के पास हजारों-हजारों एकड़ जमीन हैं, लोगों ने अपने-अपने चूहा बिल्लियों के नाम जमीन लिखा रखी हैं, क्या आप किसी को जमीन का कब्जा दिला पाये हैं ?

अगर आप चाहते हैं कि इसका निस्तारण हो जाय तो आप जिले में एक अलग से कोर्ट की, न्यायाधीश की तथा स्पेशल कोर्ट की स्थापना कीजिये कि सारे जमीन से संबंधी मामले वहां निस्तारित हो जांय और इसके लिये समय की सीमा निश्चित कर दीजिये कि चाहे ६ महीने में या एक साल में यह सारे मामले निस्तारित हो जाने चाहिये, एक साल में सबको पूरा करना होगा । इस व्यवस्था से सारे जमीन संबंधी मामले जिला आयुक्त के यहां से निकल कर स्पेशल कोर्ट में आ जायेंगे और इससे गरीबों को न्याय मिल सकेगा । आपने सीलिंग की जमीन को बांटने का फैसला किया है, वह गरीबों के लिये दिवा-स्वप्न बन कर रह जायगा, इसलिये आपको मेरे सुझाव पर विचार करना चाहिये । इसी के साथ मैं पुनः अपने संकल्प पर बल देता हूं ।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)— मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९८६, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी जैसे विद्वान सदस्य को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जिन चीजों पर स्वयं माननीय सदस्यगण जिस बात पर बल देते रहे हैं, उसका ही इसमें प्राविधान कर दिया गया है, जो कि अब उनके चिन्तन का विषय हो गया है, यह बड़े आश्चर्य की बात है । जब सदन में इस विषय पर चर्चा होती थी तो बराबर मंगलदेव विशारद कमेटी की संस्तुतियों का यहां हवाला दिया जाता रहा है कि इसकी व्यवस्था की जाय । इसमें जो बड़े-बड़े मामले थे, खासतौर से उसमें ८५ मामलों की संस्तुति की गयी थी । विभाग ने उन पर कार्यवाही करने की कोशिश भी की जिसमें से १० मामलों का निस्तारण पूरी तरह से हो चुका है और उससे संबंधित जमीन भी आबंटित हो चुकी है । शेष मामले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं । इस पर विशेष रूप से चिन्ता व्यक्त की जाती रही है कि हम अधिकतम जोत सीमा की व्यवस्था कर दें । ताकि हम गांव-गली के लोगों को जमीन के आबंटन की व्यवस्था करा सकें ।

मंगलदेव विशारद कमेटी का १९७२-७४ का जो प्रतिवेदन है उसके पृष्ठ ८० पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा जिसमें विन्दु ९ (ख) पर लिखा है कि "अपील का अधिकार जिला जज के बजाय कलेक्टर को दे दिया जाय ?" हर जिले में एक अतिरिक्त जिलाधिकारी दे दिया गया है, कि अपील की सुनवाई उसके प्रति की जाय । तो हमने मंगल देव विशारद कमेटी की रिपोर्ट की संस्तुति के अनुसार ही व्यवस्था की है । अब यह आपत्ति की जा रही है कि यह समीचीन नहीं है । इस सन्दर्भ में मैं गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया की जो एक रिपोर्ट है रिपोर्ट आफ द कमेटी आफ लैण्ड रिफार्म्स" इसके पृष्ठ ७८ पर (ई) में लिखा है कि "लैन्ड रिफार्म ला आफ दि स्टेट्स शुड बी इमीडिएटली अमेन्डेड टु प्रोवाइड दैट आल लैन्ड रिफार्मस केसेज शैल बी डील्ट विद बाई रेन्यू फिक्शनरीज एलोन विलो दि हाई कोर्ट लेवेल इसका मैं हिन्दी में रूपान्तर किये देता हूं कि इसमें भारत सरकार की समिति ने उच्च व्यक्तियों के लैण्ड के जितने मामले हैं राजस्व से संबंधित, उनका निस्तारण राजस्व से संबंधित अधिकारियों से कराया जाय । मान्यवर, ऐसी स्थिति में भारत सरकार की संस्तुति और मंगल देव विशारद समिति की आकांक्षाओं के अनुरूप ही यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है और यदि अन्यथा नले तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भारत सरकार की रिपोर्ट है, जो आयी है, वह १९७८ की है और उस पर आप लोग कोई कार्यवाही नहीं कर सके, और हम उस पर कार्यवाही कर रहे हैं, तो

आपको स्वागत करना चाहिये । आप उसको एक्जीक्यूट नहीं करा सके और हमने भारत सरकार की आकांक्षाओं और मंगल देव विशारद समिति की आकांक्षाओं के अनुरूप यह संशोधन प्रस्तुत किया है ।

मान्यवर, उस समय विधान सभा सत्र में नहीं थी और अवधि नहीं निश्चित की गयी थी, ऐसी स्थिति में यह अध्यादेश लागू किया गया । और अब हम अध्यादेश के स्थान पर इस विधेयक को लाये हैं और उसके द्वारा एक छोटा सा संशोधन रखा है । और इसमें किसी लम्बी बहस की आवश्यकता नहीं है । माननीय गुप्ता जी ने कहा कि आयुक्तों को अधिकार दिया गया है, जिससे प्रशासनिक ढांचा बिगड़ जायेगा, ऐसी उन्होंने आशंका व्यक्त की है और कहा कि संशोधन प्रस्तुत किया गया है और यदि आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आयुक्तों के अलावा अतिरिक्त-आयुक्त भी होते हैं जो आयुक्तों के स्थान पर मामलों का निबटारा करते हैं । मान्यवर, बड़े मामले ८५ हैं, जिनमें से १० का निस्तारण हो चुका है और अभी ७५ मामले निस्तारण के लिये बाकी हैं । इस संशोधन को इसीलिये लाया गया है कि इनका निस्तारण शीघ्र हो सके । मान्यवर, ३०० एकड़ से ज्यादा वाले मामलों की संख्या की सूचा हमारे पास है, यह बड़ी पुस्तिका है और उसमें इस तरह के मामलों का सन्दर्भ दिया गया है । इसमें ६६ मामलों का संदर्भ है । यह लिस्ट लम्बी है, इसलिये मैं इसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

अभी माननीय मंत्री जी ने २०० एकड़ वाली लिस्ट दे दी । बड़े २ काश्तकारों के मामले हाई कोर्ट में गये और दो मामले खारिज हो गये, क्योंकि उनमें काउन्टर अफडेविट नहीं लगाया गया ।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, इसी की तो बात है । उनके निस्तारण की व्यवस्था को त्वरित गति से करने के लिये ही यह व्यवस्था लाई जा रही है । आपने कहा कि उनके पास न्यायिक बेंच नहीं होता है, दूसरी ओर मान्यवर जब कभी पुलिस अधिकारियों के बारे में बात आती है तो यह मांग की जाती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करा ली जाये, उसमें जन मानस का विश्वास है और आज मान्यवर उल्टा सुनाई पड़ रहा है कि इनका मजिस्ट्रेट में विश्वास नहीं है । अभी तक यह था कि अगर मजिस्टीरियल जांच करा ली जायेगी तो कार्यवाही जल्दी होगी और आसानी से होगी परन्तु गुप्ता जी का विचार आया, यह प्रभावी नहीं होगी ।

मान्यवर, हाई कोर्ट का दरवाजा तो खुला ही हुआ है । जिला जज के यहां पर जो मामले लम्बित रहते हैं, उससे बचने के लिये ऐसा किया गया है अगर जिला जज की अदालत से हटकर जिलाधिकारी की अदालत में कर दिया जाये तो प्रश्न उठेगा कि जिला जज की अदालत का स्टेटस जिलाधिकारी से अधिक है । इसीलिये, जिलाधिकारी के यहां पर न करके आयुक्तों के यहां पर किया गया है । मैं नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार की भ्रान्ति होनी चाहिये । २० सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक से अधिक भूमि प्राप्त हो जाये, जिससे गरीब लोगों को दी जा सके और जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके । इसलिए एक अच्छे से संकल्प के साथ हमने मान्यवर, एक छोटा सा संशोधन आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है । मान्यवर, मैं यह निवेदन करूंगा कि बाकी लोग चर्चा करेंगे और जो महत्वपूर्ण सुझाव आयेंगे उन पर विचार करूंगा और उनसे भी हमारा मार्ग दर्शन होगा । मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं आपने समय दिया बोलने का इसके लिये आपको धन्यवाद ।

*श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोध) विधेयक, १९८६, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, यह प्रवर समिति में ले जाने के लिये इसलिए प्रस्ताव हम लोगों ने प्रस्तुत किया है कि इसमे केवल जुरीस्डिक्शन या क्षेत्राधिकार की जांच करने का सवाल नहीं है । मान्यवर, इस अधिनियम के अन्तर्गत इतनी ऐसी कमियां आ गयी है जिस पर सरकार को बहुत गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए । मान्यवर, यह ऐसा अधिनियम था, ऐसा विधेयक था जिसके माध्यम से इस प्रदेश के लाखों भूमिहीनों की तकदीर सुधरनी थी, जो बड़े बड़े काश्तकार थे जिन्होंने हजारों सैकड़ों बीघे जमीन पर कब्जा कर रखा था, उनकी भूमि को निकालकर किस तरह से खेतिहर हरिजन भूमिहीनों को पट्टा दिया जाय इस लक्ष्य के साथ यह विधेयक आया था । लेकिन इस व्यवस्था में मान्यवर, जो परिस्थितियां पैदा हुई है उनकी तरफ आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का और सम्पूर्ण सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात किस तरह से लोगों ने फर्जी इन्द्राज कराके किस तरह से फैमिली सैटिलमेन्ट कराके यहां तक मान्यवर, अपने परिवार के जो जीवित व्यक्ति है उनके अलावा मरे हुए व्यक्तियों के नाम, कुत्ते बिल्ली के नाम यहां तक कि घोड़े के नाम, बड़े बड़े काश्तकारों ने ऐसे फर्जी नामों से ले रखे है । बहुत से लोग फर्जी तरह से बनकर सैकड़ों नामों से स्कूलों के नाम से, संस्थानों के नाम से मानक जमीन को अपने कब्जे में कर रखे है ।

मान्यवर, निष्पक्ष तरीके से कोई कमीशन बैठाकर देखा जाय कि इस अधिनियम से कितना फायदा गरीबों का हुआ है इसको देखकर बड़ा अफसोस होता है । मान्यवर, जो जमीने निकली भी है और निकालने के बाद यहां से हाई कोर्ट तक लड़ने के बाद जो जमीने निकली, उनका पट्टा किया गया है । पट्टा किये जाने में अधिकारियों ने घपला किया, भ्रष्टाचार किया । मान्यवर, मुझे बांदा जनपद के बबेरू तहसील की प्रसनल जानकारी है मैंने सरकार से शिकायत भी की है वहां पर शाहपुर उतरवा गांव है इसमे सीलिंग की जमीन जो निकली उसमे वहां के तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने ३०० रुपये बीघे की रिश्वत लेकर उन लोगों की जमीने बांटी जिन लोगों से उन्होंने पैसा लिया इस तरह से एक गांव से मुझे जानकारी है कि लगभग १ लाख रुपया जमीन आवंटन के सम्बन्ध में लिया गया । प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी ऐसा हुआ है । जिन लोगों को पट्टा किया गया उनको कब्जा नहीं मिल रहा है और उसके जुरिस्डिक्शन पर संशोधन कर रहे है । तो इसमें केवल संशोधन करना काफी नहीं होगा । जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा जिला न्यायाधीश के यहां से मुकदमा हटाकर आयुक्त के यहां भेज देंगे, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से एस० डी० एम० या प्राधिकृत अधिकारियों के न्यायालयों में जिस तरह से घपला होता है और बड़े-बड़े काश्तकार अपनी जमीन को बचाने के लिये रिश्वतखोरी करते है उसी तरह से जुडीशियल अधिकारी से इस अधिकार को लेकर भ्रष्टाचार होगा । साथ ही जो इस विधेयक की मंशा है वह भी पूरी नहीं होगी । आपका लक्ष्य भी पूरा नहीं होगा । इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि इस संशोधन को जल्दी में पारित न करके इस प्रवर समिति में भेज दें जहां इस पर गम्भीरता से विचार हो जाय और वह समिति जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अपना सुझाव दें उसके अनुरूप एक विधेयक को सांगोपांग तरीके से लाया जाना चाहिए ।

इस प्रदेश में जहां लाखों भूमिहीन जमीन चाहते हैं वहीं यहां पर कुछ ऐसे उद्योगपति भी हैं उनके लिये भी एक ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि एक व्यक्ति कितने रोजगार करेगा, कितने काम करेगा । बहुत से पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं जो इन्कम टैक्स से अपने को बचाने के लिये टाटा बिरला की फर्मों से यहां पर साठ-गांठ रखते हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि ऐसा प्राविधान होना चाहिए जिससे एक निश्चित सीमा से अधिक आय के साधन जिनके पास हों उनको यहां पर खेती करने के अधिकार से वंचित कर दिया जाना चाहिए । इस तरह से जो अधिनियम प्रस्तावित होगा वह इसकी मंशा को पूरा करेगा और लाखों भूमिहीनों को फायदा होगा । इस लिये मेरा आग्रह है कि इस विधेयक को जल्दी में पारित न करके, इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सीलिंग ऐक्ट में जो संशोधन लाया गया है उसका स्वरूप बहुत ही छोटा है । लेकिन बहुत ही रेलीवेन्ट है और बहुत उचित है ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अभी तीन-चार विषय बाकी हैं । बजट भी पास होना है । इसलिये ५ मिनट में अपनी बात कहें ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

आपकी आज्ञा के अनुसार ५ मिनट में समाप्त कर दूंगा । मैं कह रहा था कि यह बहुत ही उचित संशोधन है । मैं आपके माध्यम से यह कहूंगा कि यह ओरीजिनल ऐक्ट में ही होना चाहिए जो १९६१ का सीलिंग आन होल्डिंग का था उसी में होना चाहिए । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो है वह कमजोर सा है । या तो किसी और कारण से शुरू में नहीं रखा गया या बहुत विलम्ब से यह बात याद आई । वास्तव में शुरू से लेकर ज्यादातर यह पालिसी रही है कि लैंड सम्बन्धी विवाद जो हैं वह रेवेन्यू कोर्ट से ही तय किये गये हैं । अवध लैंड ऐक्ट से लेकर जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट तक रेवेन्यू कोर्ट से तय किये गये लेकिन जब बाद में सिविल कोर्ट में दिये गये तो यह कहा गया कि उसको भी रेवेन्यू कोर्ट से होना चाहिए । उसके दो कारण हैं । अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि सिविल कोर्ट जो हैं वे सामान्य रूप से एक टैक्निकल कोर्ट है और हमारे यहां एक तरीके से ला डेवलप हो रहा है और उसके अलावा एक टैक्निकल ला भी डेवेलप हो रहा है जिसका कोई ओंचित्य नहीं है । जो सिविल कोर्ट्स हैं वे छोटी-छोटी टैक्निकल बातों को लेकर इस तरह के मुकदमों का निस्पादन करते हैं कि उससे बड़े लोगों को लाभ मिल जाता है । इसलिये यह होना चाहिए कि लैंड से सम्बन्धित मामले रेवेन्यू कोर्ट में ही होने चाहिए । दूसरी बात यह है कि वे कोर्ट जो हैं वे क्रिमिनल अपील्स और क्रिमिनल रिवीजन्स के जो मामले होते हैं वे इतनी गम्भीरता से नहीं देखते हैं । इसको गंभीरता से देखने की बात है कि यह जो कोर्टस बनी हुई हैं रेवेन्यू के मामलों के लिये उनको ज्यादा अनुभव रहता है ।

शुरू से ही लैण्ड की पालिसी यही रही है लैण्ड के मामलों से ही उनको स्पेशलाइज्ड कर दिया है । जमीनों के संबंध में जो ग्रामीण व्यवस्था है, जो वहां सिचुवेशन है उसको ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं इसीलिए उनके द्वारा निष्पादन होना ज्यादा अच्छा रहता है । हमारे कुछ जजेज आइवरी टावर में बैठते हैं वे जमीन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के संबंध में उतनी जानकारी नहीं रखते हैं या यह कहें कि उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वह उधर देखना नहीं चाहते हैं। तो यह जो व्यवस्था की गयी है कमिश्नर के यहां अपील की यह बहुत अच्छी बात है इस चीज को पहले ही किया जाना चाहिये था मैं नहीं कह सकता कि पहले क्यों नहीं किया गया।

एक बात यह कही गयी कि हमारे कमिश्नर जो हैं उनका स्टेंडर्ड उतना नहीं है यह बिलकुल गलत है। मैंने ने ३५-३६ साल के व्यक्तिगत अनुभव पर देखा है अब वकालत ज्यादा नहीं करता हूं लेकिन सन् ५५ से ६५ तक मुझे अक्सर फैजाबाद कमिश्नरी में जाना पड़ता था तो कमिश्नर का स्टेंडर्ड किसी भी सिविल कोर्ट से कम नहीं था। बुराई तो कहीं भी हो सकती है यहां भी हो सकती है और वहां भी हो सकती है। इसलिए कमिश्नरी और बोर्ड आफ रेवेन्यू का स्टेंडर्ड लैण्ड के मामले में ज्यादा अच्छा रहा है। १९५२ से पहले और उसके बाद भी २०१ और २२९ के मामले सिविल कोर्टस में ही लाते थे लेकिन अनुभव यही रहा है कि रेवेन्यू कोर्टस में ज्यादा अच्छा रहता है इसी लिये ऐसे मामले रेवेन्यू कोर्ट में दिये गये।

एक बात यह कही गयी कि बहुत सी जमीन छिपाई गयी है जैसा यादव जी ने कहा कि उसको निकाला जाना चाहिये यह सही है उसमें कठिनाई भी है लेकिन हमारी सरकार इसके लिए पूरी तरह से सजग है। यह तभी हो सकता है जब सेमी फ्यूडलिजम सिस्टम से जमीन को छुड़ा कर गरीबों को दे दी जाय। हमारी सरकार की नियत साफ है और हम देख भी रहे हैं कि इस ओर सरकार ने काम किया है। हमारे रेवेन्यू विभाग के अधिकारी भी, सेक्रेटरी महोदय भी बेहतर काम कर रहे हैं तो मुश्किल काम होते हुए भी इस दिशा में अच्छा काम हुआ है यह इससे जाहिर है कि इस दिशा में हम लेजिसलेशन लाये हैं।

श्री अधिष्ठाता—

समय का ध्यान रखें।

श्री लाल प्रताप सिंह—

खतम कर रहा हूं। यह विधेयक बहुत जरूरी है, बिलेटेड है फिर भी उचित है। इन शब्दों के साथ यह जो संशोधन लैण्ड होल्डिंग एक्ट में आया है इसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं।

★श्री राम गोविन्द चौधरी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, मैं प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, जब माननीय राज्य मंत्री राजस्व बोल रहे थे तो ऐसा लगा कि जैसे कचहरियों के गेटों पर अपनी दवा बेचने वाले दवा बेचना चाहते हैं लेकिन पहले दूसरी बातों से जनता को भ्रमित करते हैं और अपनी असली बात बाद में बताते हैं कि हमें यह दवा बेचनी है इसको आप खरीदें। तो इस विधेयक का मूल उद्देश्य ही इतना है। श्रीमन, मैं कहना चाहता हूं कि इसका असली उद्देश्य ही दूसरा है और इस विधेयक पर आरोप लगाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो समाजवादी सरकार अपने को कहती थी और जिससे इस देश से जमींदारी प्रथा को समाप्त किया राजाशाही और प्रिवीपर्स को समाप्त किया और फिर उनके इनपर थपेड़े पड़ने लगे तो उनके दबाव से पुनः प्रेरित होकर यह विधेयक लाने का इन्होंने काम किया है।

मान्यवर, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की बात छोड़ें, उत्तर प्रदेश में हजारों भूस्वामी ऐसे हैं जिन्होंने अपने कुत्ते, बिल्ली और रिश्तेदारों के नाम अपनी जमीन का बंटवारा करके, सीलिंग से बचने के लिये, लिख दिया है। वे लोग पैसे और दबाव से तहसीलदार, एस० डी० एम० के आबंटन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को अपने माध्यम से न्यायालय में ले जाते हैं, लेकिन न्याय पालिका राजनीतिक प्रभाव से अलग है, इसलिये उनके कारनामों पर कुठाराघात होता था और उनके पक्ष में फैसले नहीं होते थे, इसलिये उनसे प्रेरित होकर, उनके दबाव से इन्होंने अपने अंदर इस विभाग को लाने का काम किया है। आपके कहने से कमिश्नर महोदय योग्य हैं, विद्वान हैं लेकिन ऐसे व्यक्तियों को क्या यह सरकार रहने देगी, यह प्रश्न चिन्ह लगा है। इसलिये राजनीतिक दबाव डालकर, अपने प्रभाव से भूस्वामियों के पक्ष में यह फैसला सरकार करायेगी चूंकि न्याय पालिका में इनका विश्वास नहीं है। जैसे अभी कोर्ट के निर्णय हो रहे हैं और उनके विरुद्ध विधेयक ला रहे हैं लोकसभा और विधान सभाओं में, तो न्यायालय पर इनका विश्वास हटता जा रहा है। इसीलिये यह सारी चीजों का केन्द्रीयकरण सरकार अपने अंदर करना चाहती है जबकि महात्मा गांधी जी ने सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने की बात कही थी, इसलिये सत्ता का केन्द्रीयकरण क्यों कर रहे हैं।

जोत-सीमा अधिनियम लागू करना चाहते थे तो अलग से एक न्यायाधिकरण की स्थापना क्यों नहीं करते हैं या जो जज फैसला करते हैं उसमें एक अलग जज की नियुक्ति क्यों नहीं करते हैं कि तुम्हारा काम यह रहेगा कि जोत-सीमा हदबंदी के मामले आयेंगे उनका निपटारा करोगे। मान्यवर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ के बड़े-बड़े फार्मों को देखें जो बड़े-बड़े लोगों के हैं और वे कांग्रेस पार्टी में हैं और उनके दबाव से यह विधेयक लाया गया है। मान्यवर, मुझे कमिश्नर पर शक नहीं है बल्कि शक सरकार पर है क्योंकि यह कमिश्नरों को सही ढंग से काम नहीं करने देंगे। इसलिये मैं इस विधेयक का घनघोर विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इसको न्यायाधीशों के अन्तर्गत रहने दें और यदि आवश्यक समझें तो अलग से न्यायाधिकरणों की स्थापना या जज नियुक्त कर दें अन्यथा जो कानून आप यह लागू करना चाहते हैं वह सही ढंग से लागू नहीं हो पायेगा। इसलिये इस विधेयक को आप वापस ले लें या प्रवर समिति को सुपुर्द कर दें।

★श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र—

मान्यवर, श्री गुप्त जी एक विद्वान आदमी और वकील भी हैं जिनका अनुभव कचेहरी का है और जजेज कोर्ट का है, इसलिये वह जानते हैं कि न्यायाधीश आजकल उनके पास फौजदारी के मामले और दीवानी के मामले इतने ज्यादा हैं कि उनका ही निर्णय समय से नहीं हो पा रहा है। उसका कारण है। कानून में व्यवस्था यह है कि फौजदारी के मुकदमें में जो कत्ल के या अन्य अपराध के आयेंगे और मुलजिम जेल में है, तो प्राथमिकता के आधार पर उन्हीं केस को देखा जाएगा। यह हमारा नियम कहता है। नतीजा यह होता है कि ऐसे मामलात वह पहले देखते हैं और दीवानी के केसेज और अपीलें वर्षों तक वहां लटकी रह जाती है। फौजदारी के केसेज के बाद जब उन्हें मौका मिलता है तो वह दीवानी के केसेज देखते हैं और यह अपील के केसेज तो वह बहुत दिनों बाद बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं। एक गवाही की गवाही का केस २-३ दिन तक चलता है और ऐसा केस ७-८ दिन तक लगातार चला करता है। इसीलिए विरोध पक्ष के लोग कहते रहते हैं कि सीलिंग के मामले में विलम्ब हो रहा है, जल्दी होनी चाहिए। जमींदारी एबालीशन एक्ट में लैण्ड की परिभाषा दी गई है और उससे सम्बन्धित मामले रेवेन्यू कोर्ट में होते हैं। चाहे विरासत का मामला हो, चाहे १२२ का या फिर २०९ और २०२ के मामले हों, इनको रेवेन्यू कोर्ट्स करते हैं। और उसमें बेइमानी नहीं होगी।

★वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गरीब के मामले हैं, छोटे-छोटे किसान के मामले हैं। सीलिंग तो उन लोगों के लिए हैं, जिनके पास बहुत धन और बहुत भूमि हैं। उसमें जोड़ घटाने का मामला हैं। सीमा से ज्यादा कितनी भूमि हैं, उसको निकाला जाए और बड़े-बड़े जमींदार विभिन्न नामों से जमीन दबाये हुए हैं, उसको कैसे निकाला जाए, इनको देखना उसका काम हैं, इससे सम्बन्धित मामले कमिश्नर के पास जाते हैं तो वह उसको प्राथमिकता देंगे ही। उनको निर्देशन हैं कि किसको वह प्राथमिकता देंगे। लिहाजा कमिश्नर साहब निश्चित रूप से ऐसे मामलात में प्राथमिकता देंगे।

अब रही बेईमानी करने की बात, तो लैण्ड के सारे मामले वहां देखे जाते हैं, तो सीलिंग के मामले आ जायेंगे तो वह क्या बेईमान हो जाएगा अलग से। वहां तो इसका कार्य होता ही हैं, इसके आने से वहां क्या अतिरिक्त बेईमानी हो जाएगी। यह आरोप तो हमारी न्यायपालिका पर भी लगाते हैं और वहां पर भी ट्रांसफर अप्लीकेशन भूल होती हैं। प्रश्न यह हैं कि इसकी अपील न्यायधीश के यहां या कमिश्नर साहब के यहां हो। मैं कचहरी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और उसके अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि सरकार ने यह उचित निर्णय लिया हैं, सही निर्णय लिया हैं। इसको समय से लिया हैं, इसको पहले से लिया जाना चाहिए था। मैं इसका समर्थन करता हूं।

★श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

आपने मुझे इस संशोधन पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। मन्त्री जी ने विशारद कमेटी की रपट और सेन्ट्रल कमेटी की रपट का सहारा लिया और इसके द्वारा वह अपने को निर्दोष सिद्ध कर रहे हैं। इसमें दृष्टि का सवाल हैं। न्यायपालिका के कार्य को यदि कार्यपालिका लेती हैं तो इसे जनतांत्रिक प्रणाली पर एक प्रकार का प्रहार माना जायेगा। जो जूडिशियरी को अधिकार मिला हुआ था, उसको आप अपने अन्दर इसके द्वारा लेते हैं। इसमें आपने लिखा हैं—यह अनुभव किया गया हैं कि जिला न्यायाधीशों के न्यायालय में भिन्न-भिन्न प्रकृति के बड़ी संख्या में लम्बित मामलों के कारण अधिकतम जोत-सीमा कानून का प्रवर्तन समयबद्ध रीति से नहीं हो पाता। अतः इसका शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के लिए इसे लाया गया हैं। कमिश्नर के यहां ग्राम समाज की आबंटित जो जमीन हैं उसके केसेज अदालतों से ज्यादा हैं यह सही हैं। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में ६ हजार मुकदमें लम्बित हैं कमिश्नर के यहां। चूंकि वहां पर स्टे मिलने में आसानी होती हैं इसलिये ऐसा हैं। जूडीशियरी निष्पक्षता के साथ विचार करती हैं और तब निर्णय देती हैं। आपके आयुक्त के न्यायालय में तमाम जमींदारी एबोलीशन के अंतर्गत मुकदमें, सीलिंग के, पट्टों के पेंडिंग हैं। पूरे प्रदेश में लाखों पट्टे के मामले कमिश्नर के यहां पेंडिंग हैं उनका निस्तारण नहीं हो रहा हैं। सन् ७८ के मामले का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ हैं तो फिर कौन सी व्यवस्था हो जायगी कि वह तत्काल निस्तारित कर देंगे।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अगर आपको ठीक से लागू कराना था तो आप एक समय निश्चित करते कि इतने समय के अंदर न्यायालय से इसका फैसला होना अनिवार्य हैं। अगर आप कोई समय निश्चित करते तो जिला न्यायाधीश उनका निस्तारण करने के लिये बाध्य हो जाते जैसा कि गुप्ता जी ने कहा अभी तक जिनको जिला हेडक्वार्टर पर लड़ना पड़ता था अब उनको कमिश्नर

★वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के यहां जाना पड़ेगा इससे उनके ऊपर खर्च बढ़ेगा। दर असल आपकी नीयत साफ नहीं है। आप भी जानते हैं, तमाम लोग ऐसे हैं, पिछले साल बरार साहब कह रहे थे कि उनका १०० एकड़ मटर पत्थर पड़ने से खराब हो गया। तो पता नहीं १०० एकड़ में कहां से बोते हैं। गंगवार जी बैठे हैं उनके पास भी इसी तरह से जमीन है।

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

हमारे पास नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, अगर इनकी नीयत साफ है तो कानून का कड़ाई से पालन करें। जमीन की चोरी को यदि पकड़ना है तो आप सर्वेक्षण कराइये, पड़ताल कराइये कि किसका कब्जा किस नंबर पर है। आपको पता चलेगा कि जमीन गंगवार जी की है और जोत रहे हैं आर्या जी। तो इस तरह से जो जमीन की चोरी की जाती है इससे उसका निवारण नहीं हो सकता। इसलिये मैं इसे प्रवर समिति में भेजने के सुझाव का समर्थन करता हूं इसलिये कि जुडीशियरी के अधिकार को जनतांत्रिक प्रणाली में आप समाप्त न करें। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

समय कम है इसके समापन की तरफ हमें बढ़ना है। गुप्ता जी आप अपने विचार रख लें क्योंकि मन्त्री जी को जवाब भी देना है और वोटिंग भी होनी है।

★श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं बहुत कम समय में अपनी बात खत्म करूंगा। जब भार साधक मन्त्री जी बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि मैंने कहा कर्मचारी भ्रष्ट हैं। तो शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पाया यही मैं कहूंगा। मान्यवर, असलियत है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं उनको यह प्रशिक्षण दिया गया है कि तुमको हमेशा निर्भीकता के साथ सलाह देनी है लेकिन आपके कार्यकलाप का जो तरीका है तो आप उनको ईमानदारी के साथ काम नहीं करने देते हैं। मैं दो उदाहरण दूंगा। खांडसारी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। मुख्य मन्त्री जी ने पत्रकारों के सामने घोषणा कर दी। संयोग से मैं एनेक्सी में था मैंने सचिव से पूछा तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है। तो घोषणा के पहले अपने सचिव से कोई सलाह लेना नहीं चाहते। अब बेचारे सचिव ने ड्राफ्ट बनाकर पेश किया तो फिर उनको पता चला कि इसके विड्रा के आदेश हो गये तो उनकी क्या गलती है। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं कि परसों मुख्य मंत्री के कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ गोरखपुर जिले के एक ऐसे विद्यालय को परीक्षा का केन्द्र बनाने के लिये जिसको बोर्ड ने परीक्षा का केन्द्र बनाने के लिये निरस्त कर दिया था। ९४ में जो शिक्षा अधिनियम में है, जिसके अंदर यह कहा गया किसी पालिसी मैटर पर सरकार पहले अपने अधीन उत्तरदायी लोगों से परामर्श लें, तब वह काम कर सकते हैं, तो यह सारी बातें ९४ में की गयीं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने उन घोषणाओं के करने से पूर्व अपने खाद्य सचिव से, बोर्ड से व अन्य सचिवों से सुझाव लिये, या नहीं लिये गये। एक तीसरा मामला मान्यवर, इसी तरह का है एक मजिस्ट्रेट ने मुझसे कहा कि उससे यह कहा गया कि जब तक तुम कांग्रेस ज्वाइन नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी सीलिंग के मामले ऐसे ही पड़े रहेंगे। यह बात मुझ से उस मजिस्ट्रेट

★वक्ता से भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने कही कि हमसे सरकार के लोगों ने ऐसा कहा तो मान्यध्वर, इसका परिणाम क्या होंगे। दूसरे मंगल देव विशारद की रिपोर्ट पर बातें कही गयीं। तो मैं इस कमेटी पर आस्था रखने वाले माननीय सदस्यगण से यह पूछना चाहता हूं कि फिर उनकी बातें स्वीकार क्यों नहीं कर लेते। जुडीशियल की बात कही गयी दूसरी ओर अतिरिक्त उद्योग बढ़ाने के लिए तो आप अपने संसाधनों की बात करते हैं।

दूसरे मैं एक मुख्य बात की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं और इस बात का उल्लेख मंगल देव विशारद रिपोर्ट में भी था कि राजस्व मंत्री इसको यदि राजस्व परिषद् को दो हिस्सों में बांट दें एक तो प्रशासनिक कार्यों के लिए और दूसरे न्यायायिक कार्यों के लिए। तो मैं समझता हूं कि यह मामला है बहुत गम्भीर, वैसे मैंने तो अननुमोदन का प्रस्ताव रखा था और हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात कही है। वैसे इसके उद्देश्यों से तो हम सहमत हैं, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है लेकिन कभी-कभी रोग से निदान के लिए कदम उठाना बड़ी गम्भीर प्रश्न बन जाता है, जो बड़ी ही दुखद बात है, इसलिए मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैंने अभी प्रवर समिति को इस विधेयक को भेजने के लिए काफी बातें शासन के संज्ञान में लाया था, इसलिए मैं अपने प्रस्ताव पर फिर बल देता हूं और माननीय जी से आग्रह करता हूं कि वह इसे स्वीकार कर अवश्य प्रवर समिति को भेजें।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, जिस तरह से मैंने उधर के माननीय सदस्यों की बात को बड़ी शांति से सुना,. वैसा ही सहयोग आपका चाहूंगा। मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो शंकाएं व्यक्त की हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जैसा कि माननीय देव कुमार जी ने अपनी बात को बड़ी शालीनता से कहा कि आज जमींने कुत्ते-बिल्लियों के नाम लिखी हुयी हैं। मान्यवर, मुझे इस बात से कभीइंकार नहीं है, इनकी इस गम्भीर बात को ध्यान में रखते हुए मैं इसको स्वीकारुंगा कि हां फर्जी-तौर पर कुत्ते-बिल्लियों के नाम पर जमीनें लिखी हुयी हैं और उन जमीनों का आबंटन गरीबों और भूमिहीनों में किया जाय और मान्यवर, सिर्फ उनकी ही बात को ध्यान में रखते हुए मैंने निश्चित रूप से यह तय किया कि उन किसानों को जिनके पास आज जमीन नहीं है, उन गरीबों को जिनके पास कोई भूमि नहीं है, उसका आबंटन किया जाना सुनिश्चत किया जायेगा। और ऐसा ही किया जाता रहा है।

(व्यवधान)

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, अब भी लिखा हुआ है।

श्री गौरी शंकर—

मैंने कहा कि ऐसा ही किया जाता रहा है। जहां-जहां पर जमीन मिलेगी, उसको हम निकाल कर गरीबों में आबंटन करते रहेंगे। मान्यवर, इसमें तो किसी तरह की शंका होनी ही नहीं चाहिए। जो हमारे सामने 85 मामले थे, उनमें से 10 का निपटारा हो चुका है और अब 75 शेष हैं। इसमें किसी तरह की शंका करने का कोई औचित्य नहीं है। हमारे माननीय लाल बहादुर सिंह और माननीय मिश्रा जी ने कुछ बिन्दुओं को स्पष्ट कर दिया है। वे वकील होने के नाते अनुभव रखते हैं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर सारी बातें बताई। मान्यवर,जहां तक जमीन का है, उसके लिए जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की मंशा थी, जो मंगल देव विशारद की रिपोर्ट थी, उसके अनुसार हमने किया है। यह सब काम जो हम करते हैं, इसका क्रेडिट आपको जाता यदि आप इसका स्वागत करते। इसके

लिए आपको मौजें थपथपा कर सराहना करनी चाहिए थी, लेकिन जो आप कर रहे हैं, इससे जनता में अच्छी छवि नहीं होगी ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग सदन में शांति बनाये रखें ।

श्री गौरी शंकर—

हमारे मित्र साथी राम गोविन्द चौधरी ने जो मेरे बारे में ब्राकर्स और लाटरी बेचने की बात कही, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं । यह तो अपना-अपना स्टेटस होता है । मैं उनकी इच्छा और भावना के अनुरूप अपने को बना सकूं, मैं इसके लिए प्रयास करूंगा । जो कमिश्नर और प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके सम्बन्ध में कहा गया कि उनका नियंत्रण अच्छा नहीं है, उनके कार्य का निस्तारण अच्छा नहीं है । इसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में हमारे निर्देश हैं, शासन के निर्देश हैं कि त्वरित गति से वादों के निस्तारण किये जायं । हम आपका स्वागत करेंगे यदि आप हमको ज्यादा से ज्यादा मामलों का सन्दर्भ देते जायं और हम उसी के अनुसार कार्यवाही करते जायं । मान्यवर, गोरखपुर और कुछ कमिश्नर के बारे में कहा गया कि सरकार उनके ऊपर दबाव डालती है । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि . . .

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

कोई नई बात कहें ।

श्री गौरी शंकर—

वादों के निस्तारण के बारे में वह पूरी तरह से स्वतंत्र हैं । पूरी तरह से उनकी खुली आजादी है कि वह मेरिट के ऊपर वादों का निस्तारण करें । उनके ऊपर कहीं से किसी प्रकार का दबाव नहीं डालते हैं तो ऐसी स्थिति में विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि आप इस पुन्य के भागीदार हों और जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ है, इसको पास करें । आपके इस महत्वपूर्ण योगदान से आपका इतिहास में नाम होगा । इसी के साथ मैं दस्तबस्ता आरजू करता हूं कि जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसको वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1986 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो दो माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से 5 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1986

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा जायगा ।

(2) यह 13 जनवरी, 1986 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

2—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 13, 20 और 21 में जहां-जहां भी शब्द "जिला न्यायाधीश (डिस्ट्रिक्ट जज)" या शब्द "जिला न्यायाधीश" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "आयुक्त" रख दिया जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1961 की धारा 13, 20 और 21 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 38 में, उपधारा (2) में,—

(क) शब्द "जिला न्यायाधीश" के स्थान पर शब्द "आयुक्त" रख दिया जायगा ;

(ख) शब्द "अपर जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश या अपर व्यवहार न्यायाधीश" के स्थान पर शब्द "अपर आयुक्त" रख दिये जायेंगे ।

धारा 38 का संशोधन

संक्रमण कालीन उपबन्ध

4—मूल अधिनियम की धारा 13, 20 और 21 के अधीन समस्त कार्यवाहियां और अपील जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व किसी जिला न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश या अपर व्यवहार न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन हों, आयुक्त को अन्तरित हो जायेंगी और उनका निस्तारण आयुक्त द्वारा इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा ।

निरसन और व्यावृत्ति

5—(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1986 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 1986

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 5 तक तथा खंड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर परिषद् विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाए ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1986 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, एक शेर अर्ज करना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें । आपको अवसर मिलेगा, तब सेर और सवा सेर कहिएगा ।

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-1 आबकारी विभाग

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-1 आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,60,70,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, इस सरकार का मद्य-निषेध की ओर पूर्ण रूप से प्रभावी कदम उठाने का इरादा है। मैं चाहता हूं, आपको याद होगा आज से बहुत दिन पहले स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थीं, उन्होंने एक 12 सूत्रीय प्रोग्राम इस मद्य-निषेध के लिये दिया था। उसके अन्तर्गत इस विभाग ने काफी बड़ी तादात में कार्यवाही की है। जिससे आप अवगत हैं। मान्यवर, चरस, गांजा, अफीम, इसके अलावा अनेकों तरह की स्प्रीट हैं और कुछ चीजें हैं, संजीवनीसुरा है, इन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। धार्मिक स्थल, जैसे चमोली, उत्तर काशी पूर्ण जिले तथा इसमें आने वाले स्थान और धार्मिक स्थान, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ और देवबन्द में हरिद्वार, ऋषिकेष और पहाड़ के कुछ जिलों में जैसे टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ आदि में पूर्ण मद्य-निषेध है। किन्तु अगर कोई बीमार हो जाता है और सी0 एम0 ओ0 रिकमेन्ड करता है, तो डी0 एम0 को पावर दिया गया है कि वह उसको परमिट करे ? नैनीताल में देहातों में पूर्ण मद्य-निषेध है।

मान्यवर, जब यह शासन में थे, तो इन्होंने अपने जमाने में एक अंत्योदय का प्रोग्राम शुरू किया था। जो ताड़ी का ठेका दिया जाता था जो आप नहीं कर पाये यह सरकार करने जा रही है। ताड़ी का ठेका जिन 11 जिलों में ताड़ी चुआई जाती है, सरचार्ज लगाकर जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, आपकी इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप जो हरिजनों में पासी हैं, बेलदार हैं, खटिक हैं, ताड़माली जो पेड़ों की में लगे हैं, उनको सरचार्ज लगाकर देने जा रहे हैं और अप्रैल से इस व्यवस्था को लागू कर देंगे। ताड़ी का अब ठेका नहीं होगा। मान्यवर, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं जैसे राजस्व अर्जित करने की बात है। अभी एक विधेयक पेश हुआ तो विरोध पक्ष ने अनन्-मोदन, संशोधन और न जाने क्या-क्या प्रस्ताव लाये। राजस्व अर्जन के मामले में उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स को छोड़कर यह विभाग प्रदेश में दूसरे नम्बर पर है। जो हमारी आय है वह बढ़ी है घटी नहीं है। इसके लिये विभाग निरन्तर प्रयासरत है। इस विभाग की आय 1983-84 में 25 सौ करोड़ थी, 1984-85 में 253 करोड़ थी और 1985-86 में 315 करोड़ होने की आशा है। 86-87 में यह 350 करोड़ होने की सम्भावना है। अगर हम 81-82 को आधार वर्ष मान लें तो 82-83 में 8 प्रतिशत, 83-84 में 14 प्रतिशत और 84-85 में 19 प्रतिशत और 85-86 में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस थोड़े से समय में आगे बढ़े हैं। मान्यवर, और भी साधन हो सकते हैं। हमारे विद्वान सदस्य तिवारी जी बैठे हैं। यह इस बात को भली-भांति जानते हैं कि हमारे देश के नेता और जो हरिजन, गिरिजन, अल्पसंख्यकों मजदूरों, कृषकों की समस्याओं का समाधान करने में दक्ष है, और जो १०० से अधिक निगुर्ट देशों के अध्यक्ष हैं वे हमारे युवा हृदय सम्राट माननीय राजीव गांधी जी हैं, तो मान्यवर, हमने जो चुनाव घोषणा-पत्र बनाया था, इसका जिक्र इसलिये कर रहा हूं कि यह कांग्रेस पार्टी की नीति है कि इस विभाग को साफ और चुस्त दुरुस्त बनाए तथा लोक कल्याणकारी योजनाएं कागज पर ही न रहें, इस बात को अमली जामा पहनाने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी जो किसान हैं और एक गरीब परिवार से उठकर आए हैं और उसी प्रोग्राम के विस्तारक हैं।

मान्यवर, उनकी वजह से इनमें भय व्याप्त हो गया है। जो अध्यादेश आया है उत्तर प्रदेश गिरोहबन्दी एवं समाज विरोधी तत्वों के सम्बन्ध में 1986 में आया है, उसकी वजह से मान्यवर, इनमें एक भय व्याप्त हो गया है। इसमें लिखा है कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या नारकोटिक्स, ड्रग्स एवं साइकोट्रापिक, सब्सटेन्सेज एक्ट, 1985 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी शराब या मादक या अनिष्टकर मादक द्रव्य या अन्य मादकों या स्वापकों का आसवन, निर्माण, संग्रह, परिवहन, आयात, निर्यात विक्रय या वितरण या किसी पौध की खेती करना आदि, तो मान्यवर, इसका क्लाज 7 देखें कि कोई व्यक्ति किसी पट्टे के अधि-

कार के लिये या माल के संभरण या किये जाने वाले कार्य के लिये, संचालित किसी नीलामी में बोली लगाने या मांगे गये टेंडर देने से किसी व्यक्ति को रोकना, तथा इसका बारह देखें कि जनता में दहशत, संत्रास या आतंक फैलाना, तो मान्यवर, अब ये दहशत नहीं फैला सकेंगे। ये बन्दूक की नोक पर जो रोक देते थे तो अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। मैं यह नहीं कहता कि ऐसे समाज विरोधी लोग आपके दल से सम्बन्धित हैं लेकिन उनके मन में अब दहशत होगी। अब इस अध्यादेश के बाद कमिश्नर और कलेक्टर नीलामी कर सकेंगे और अधिक आमदनी होगी। पहले टेण्डर नहीं करते थे, आक्शन होता था। अब टेण्डर कम आक्शन करेंगे। अब टेण्डर भी लेंगे और आक्शन भी करेंगे। पहले लोग इकट्ठा होकर नीलामी बोलते थे, अब ऐसा नहीं होगा, टेण्डर भी देखे जाएंगे, और डी0 एम0 उचित समझेगा तो टेण्डर वाले को भी दे सकेगा। इससे हमारी आमदनी बढ़ेगी। यही नहीं मान्यवर, हमने अपराधियों को पकड़ने के लिये मुख्यालय पर एक्साइज इन्टैलीजेंस ब्यूरो की स्थापना की है। पूरे प्रदेश में जगह-जगह तस्करी होती है और कोई फर्क नहीं पड़ता है तो अब इस पर फर्क पड़ेगा, अपराधियों और तस्करों को पकड़ा जायेगा। यह चीज प्रभावी और ज्यादा होगी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग गिरोहबंद हैं और तस्करी करते हैं इन चीजों की, उनको हम पकड़ेंगे। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस विभाग के अंतर्गत प्राविधिक प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है। कुछ लोग नहीं मानते हैं, इसका सेवन करते हैं, सरकार तो पूर्ण मद्यनिषेध करना चाहती है, उनको उपयुक्त शराब मिले, इसलिये इसके अन्तर्गत एक अल्कोहल टेक्नालाजिस्ट रखा गया है, जिससे माननीय शत्तरुद्र प्रकाश जी को अच्छी शराब मिले। सब स्टैण्डर्ड न हो, वह इसको देखें।

मान्यवर, मैं बाटलिंग के बारे में भी कहना चाहता हूं। मान्यवर, यह बताना चाहता हूं कि हमारी 70 शालायें जीर्ण-शीर्ण हैं। मान्यवर, मोस्ट साईंटिफिक हाइजेनिक सिस्टम से बाटलिंग सिस्टम को एक नयी योजना विभाग में विचाराधीन है। मान्यवर, हमारे यहां 101 चीनी की मिलें चल रही हैं, लेकिन उसमें शीरा का प्रोडक्शन घट गया है जैसे 1983-84 में 76 लाख क्विंटल था, 1984-85 में 67 लाख क्विंटल रह गया। किसान के हिमायती आप भी हैं, सरकार के पास एक यह भी योजना है कि आलू से शराब बनने लगे। यह विचाराधीन है योजना। विमल तिवारी जी नहीं हैं, वह कहते रहते हैं कि फर्रुखाबाद में आलू बहुत ज्यादा होता है, सड़ जाता है। माननीय कृषि मंत्री जी भी आलू आदि के बारे में जो यहां रोज बातें उठती हैं, उससे परेशान हैं, अगर आपकी आज्ञा हो जाय तो आलू से शराब बनने लगे। मान्यवर, इस संदर्भ में मैं यह बताना चाहता हूं कि 22-2-86 को शीरा बोर्ड की एक बैठक दिल्ली में हुई थी, उसके समक्ष इस पर चर्चा हुई थी और विचार आये थे।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

(अध्यक्ष पीठ के ऊपर लगी हुई महात्मा गांधी जी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए) माननीय मंत्री जी, जो कुछ भी कहें। उस तस्वीर को देखकर कहें।

श्री चेतराम गंगवार—

मैं तो आपकी इच्छाओं और आकांक्षाओं की बात कह रहा हूं। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी 28 डिस्टलरीज हैं, इस काम को हम बढ़ाना चाहते हैं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। मान्यवर, इन सारी 28 डिस्टलरीज की उत्पादन क्षमता 3,57,287.5 किलो लीटर है। मान्यवर, यह भी अवश्य उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे इस विभाग ने अच्छी इन्कम दी है। 7वीं योजना में हमने बनारस को 1 करोड़ रुपये दिया है कार्यालय के निर्माण के लिए। 1985-86 का तथा 1986-87 का 32 लाख रुपये देने का भी प्राविधान किया गया है। बनारस में कुछ तस्करों को पकड़ने में हमने 3 एक्साइज इन्सपेक्टर और 4 सिपाहियों को पुरस्कृत किया। लखनऊ में भी एक एक्साइज इन्सपेक्टर व 2 सिपाहियों को

पुरस्कृत किया। इसके अलावा भी विभाग ने सराहनीय कार्य किए हैं। विभाग इस बात के लिए भी सजग है कि यदि कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं करता और नीतियों का पालन नहीं करता, तो उसको सजा दी जायेगी।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गांजा व चरस का जो अवैध व्यापार होता है, उसमें हमने 15,752 मामले पकड़े हैं और चालान भी किया है। ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्यवाही की है। कभी-कभी होता यह है कि ठेकेदार भांग के साथ-साथ चरस भी बेच रहा है। ऐसे 11,303 मामले पकड़े गये। जो अधिकारी व कर्मचारी ऐसे गलत कामों में लिप्त होते हैं, उनके खिलाफ भी हम कार्यवाही करते हैं। 12 आदमी सस्पेंड किये गये, 2 गजटेड आफिसर भी हैं। 58 ऐसे आदमी हैं, जिनको शो-काज नोटिस दिया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो हुक्म दिया है, उसका विभागों में पूर्णतया पालन किया जा रहा है। इसी के साथ ही मान्यवर, 1986-87 का जो बजट आबकारी का यहां पर प्रस्तुत किया गया है निवेदन करना चाहूंगा कि इधर और उसका उधर बैठने वाले लोग समर्थन करें और पास करने की कृपा करें।

श्री काजी मोहिउद्दीन—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने पवित्र स्थानों का जिक्र करते हुए कहा कि देवबन एक पवित्र स्थान है। बनारसी दास की सरकार ने निर्णय लिया था कि जो पवित्र स्थान हैं, वहां शराब बन्द कर दी जाय। रुड़की में कलियर शरीफ में शराब बन्द कर दी गई थी। क्या माननीय मंत्री जी देवबन की भांति कलियर शरीफ को पवित्र स्थान मानते हैं कि नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

[समय 3 बजकर 23 मिनट]

*श्री कमलेश कुमार पाठक—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता कि अनुदान संख्या-1-आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुष्ठान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं ऐसे विभाग के बजट के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो समूचे प्रदेश में बुराईयों, भ्रष्टाचार, अनाचार और अत्याचार को बढ़ावा देने वाला है। अभी गांधीवादी सरकार का दम भरने वाले माननीय मन्त्री जी ने पूज्य बापू की तस्वीर के सामने शराब व अन्य मादक द्रव्यों की वकालत करते हुए आबकारी पक्ष को प्रस्तुत किया है। एक बार पूज्य बापू से एक पत्रकार ने पूछा था कि यदि आपको इस देश का तानाशाह बना दिया जाय तो कौन सा काम सबसे पहले करेंगे ? इस पर उन्होंने उत्तर दिया था कि यदि मुझे इस देश का तानाशाह बना दिया जाय तो मैं एक मिनट के अन्दर ही सबसे पहले इस देश की शराब की दुकानों में ताला लगवा दूंगा। पत्रकार ने पुनः प्रश्न किया कि यदि शराब की दुकानें बन्द कर दी गयीं, पूर्ण मद्य निषेध लागू कर दिया गया तो इस विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारी बेकार हो जायेंगे, इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि शराब की दुकानों पर घी और दूध बिकवाया जायगा, शराब की दूकानें खत्म होंगी लेकिन कर्मचारी बेकार नहीं होंगे।

आज खेद है कि यह गांधीवादी ढंग की सरकार एक ओर तो कह रही है कि सम्पूर्ण प्रदेश में मद्य निषेध करने जा रहे हैं और दूसरी ओर माननीय मंत्री जी ने आबकारी विभाग की वकालत की है और यह कहा है सरकार और ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त करने की योजना बन रही है। इसे सरकार का दृष्टिकोण राजस्व प्राप्त करना ही रह गया है। माननीय मन्त्री जी को सुनने के बाद मैं ऐसा महसूसी कर रहा था कि उनकी सरकार केवल राजस्व प्राप्ति के ही संसाधन खोज रही है, समाज के नैतिक पतन का इनको कोई ख्याल नहीं है। अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हमारी सरकार ने धार्मिक स्थलों पर मद्य

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

निषेध लागू कर दिया है और कुछ जनपदों में जहां धार्मिक स्थल हैं शराब, गांजे या भांग की दुकानें नहीं खोली गयी हैं। मेरी जानकारी है कि इनके आबकारी ऐक्ट के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर, कचहरी में, विद्यालय के सामने शराब की दुकानें नहीं होनी चाहियें लेकिन आज प्रदेश की हालत यह है कि इनके ठेकेदार मनमाने तरीके से ठेके ले रहे हैं और ये ठेके दे रहे हैं। सारे प्रदेश में धार्मिक स्थलों के पास, मन्दिर, मस्जिद और चर्च के सामने, कचहरी के सामने आबकारी की दुकानें खोली जा रही हैं। अभी मंत्री जी ने कहा कि राजस्व प्राप्त करने का स्रोत यह विभाग है, मैं मानता हूं कि प्रदेश के अन्य विभागों की अपेक्षा आबकारी से राजस्व अधिक प्राप्त होता है, लेकिन मेरा उद्देश्य या आपकी सरकार का उद्देश्य मात्र राजस्व प्राप्त करना नहीं रह गया है। आप एक तो उत्पादन शुल्क और दूसरे बिक्री कर के माध्यम से राजस्व प्राप्त करते हैं। उत्पादन शुल्क के माध्यम से जिस राजस्व की प्राप्ति करते हैं, उस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि ये उसमें शराब को 4-5 तरीके से बनवाया करते हैं। पहले तरीके के अन्तर्गत तो एल्कोहल के द्वारा शराब बनवायी जाती है और अन्य मादक औषधियां भी बनवायी जाती हैं जो दवाओं के काम आती हैं। इससे सरकार को 2.35 करोड़ रु0 की राजस्व की प्राप्ति इस वर्ष में होगी जैसा माननीय मन्त्री जी ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा है। मेरा इस सरकार को और माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि वर्ष 1971 में जिस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, इस देश में पेट्रोलियम का भारी अभाव हो गया था और उस समय सरकार ने एल्कोहल के द्वारा पेट्रोल बनाने की व्यवस्था कर दी थी। और इस समय भी मैं समझता हूं कि देश में और उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम की कमी है, आपकी सरकार पेट्रोलियम की आपूर्त्ति पूरी तरह से नहीं कर पा रही है। मैं समझता हूं कि इस अल्कोहल के द्वारा आप पेट्रोलियम बनाने का काम शुरू करदें तो आपको राजस्व की प्राप्ति भी हो जायेगी और पेट्रोलियम की जो कमी प्रदेश में है, वह भी दूर हो जायेगी।

आज आप राजस्व की प्राप्ति के लिये खाद्यान्न के माध्यम से शराब का निर्माण करवाते हैं। तरफ यह सरकार जौं से बियर नाम की शराब तैयार करवाती है और दूसरी तरफ प्रदेश की 90 प्रतिशत जनता जो कि गरीबी की रेखा से नीचे रह कर अपना जीवन यापन कर रही है, वह खाद्यान्न के लिये तरस रही है। आपने हरिजनों पर सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि हमने ताड़ी के ठेका की व्यवस्था को समाप्त करके हरिजनों से इसको बनवाने का काम शुरू किया है। आज प्रदेश में लोगों के खाने के लिये खाद्यान्न पूरा नहीं पड़ रहा है। प्रदेश के 51 प्रतिशत लोग खेतों में, खलिहानों में काम करके, सड़कों पर गिट्टियां तोड़ करके भी जिनको चारपाई पर लेटना नहीं नसीब नहीं हो पाता है, वहां इनकी सरकार खाद्यान्न से शराब बनवा रही है। वह मादक-द्रव जिसका सेवन करके लोग अपना सेन्स खो देते हैं, जिन्हें अपनी सुध-बुध नहीं रह जाती है, उसका ये खाद्यान्न से निर्माण करा रहे हैं। क्योंकि इससे 11 करोड़ रु0 राजस्व की प्राप्ति होती है।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को सद्बुद्धि आये और ये खाद्यान्न से शराब बनवाना बन्द करा दें। जौं से शराब बनाना जरूरी नहीं है। मेरा सुझाव है कि जौं को आप खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत गरीबों में बंटवाइये ताकि आपके प्रदेश की भुखमरी दूर हो सके। दूसरे ये स्प्रिट से शराब बनवाते हैं जिससे कि 1 करोड़ 64 लाख 50 हजार रु0 का राजस्व मिलता है। आज स्थिति यह है कि प्रदेश में बड़ी-बड़ी मेडिसिन की फैक्ट्रियों में चिकित्सालयों में यह सरकार स्प्रिट की आपूर्ति नहीं कर पा रही है क्यों कि इसी स्प्रिट से शराब बनाई जा रही है जो कि घटिया किस्म की शराब होती है जिसके पीने से देश के हजारों लोग मर गये, नेत्रहीन हो गये, लेकिन इनकी सरकार राजस्व की प्राप्ति की लालच में घटिया किस्म की शराब स्प्रिट से बनवाये चली जा रही है।

माननीय मंत्री जी, यदि आप ईमानदारी के साथ मद्य-निषेध लागू करना चाहते हैं तो

मेरा सुझाव है कि आप स्मिट की मैडिसिन की फैक्ट्रियों में और चिकित्सालयों में, जहां कि इसकी बहुत आवश्यकता है और यह वहां उपलब्ध नहीं हो पाती है, वहां इसकी आपूर्ति करायें। इससे घटिया शराब का निर्माण न करायें।

आपकी सरकार खाण्डसारी के द्वारा भी शराब का निर्माण कराती है। इनकी सरकार ने चीनी पर नियंत्रण कर दिया है आज आम आदमी को चीनी मुहैया नहीं हो पा रही है गांव में गरीबों को चीनी नहीं उपलब्ध हो पाती है और दूसरी तरफ आप खाण्डसारी से शराब बनवा रहे हैं। मेरा इस संबंध में सुझाव यह है कि आप खाण्डसारी को गुड़ बनवाने के काम में लाईये। इसके अलावा आप शीरे के द्वारा भी शराब का निर्माण कराते हैं। मेरा इस संबंध में आपको सुझाव है कि आपका खादी ग्रामोद्योग विभाग शीरे से अल्कोहल बनाने का प्रशिक्षण देता है तो आप शीरे से अल्कोहल बनायें और फिर अल्कोहल से उसे पेट्रोलियम में बदलवायें।

माननीय मंत्री जी ने एक तर्क प्रस्तुत किया था कि हमें राजस्व की प्राप्ति इस विभाग से अधिक होती है, यदि मद्य निषेध लागू किया जायेगा तो फिर राजस्व की प्राप्ति इतनी नहीं हो पायेगी। एक तरफ तो मंत्री जी कहते हैं कि हम मद्य निषेध लागू करेंगे और दूसरी तरफ इसी के जरिये से राजस्व की प्राप्ति के साधन को बढ़ा रहे हैं। आबकारी विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश में राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से भांग बेचने के लिये दुकानदारों को लाईसेंस आवन्टित कर दिये गये हैं। और उन दुकानों पर जिन्हें लाइसेंस दिया जाता है, या ठेके पर उठायी गयी हैं, केवल भांग दिखावे के लिये बिकती है होता क्या है सारे प्रदेश में भांग की दुकानों पर गांजा, चरस, अफीम और यहां तक कि हिरोइन जैसी मादक और जहरीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं। इस प्रकार जनता के साथ नम्बर दो की धोखा धड़ी करके राजस्व की प्राप्ति की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि नम्बर दो के अपराधी सरकार के साथ नम्बर दो का काम करके धन की वसूली कर रहे हैं। भांग की दुकानों पर गांजा आदि अन्य मादक पदार्थ बिकवाना बन्द कर दें। चरस और गांजा के लाइसेंस नहीं दिये गये हैं, लेकिन मेरी जानकारी है कि वह सारे पदार्थ वहां पर बेचे जा रहे हैं। आप कहेंगे कि इस विभाग से राजस्व की प्राप्ति अधिक होती है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का केवल यही उद्देश्य है कि चाहे कैसे प्रकारेण राजस्व की ही प्राप्त करें। आपने यह नहीं देखा कि इस विभाग के द्वारा कौन कौन सी बुराइयां पैदा हो रही हैं। समाज में कौन सी ऐसी कीमया फैल रही है, लेकिन सरकार को कोई परवाह ही नहीं है और शराब के लाइसेंस और नई-नई दुकानें दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि ठेकेदारी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सुधार करने के लिये गिरोहबन्दी अध्यादेश लाया गया है। और ऐसी व्यवस्था करनी जा रही है जिससे कि शराब के ठेके सही लोग ले पायें,, लेकिन मान्यवर, मेरी जानकारी है कि शराब एक एक ऐसी बुरी चीज है, जिसको बुरा आदमी ही पकड़ सकता है और इस समय जितने भी शराब के ठेके हैं, या जो ठेकेदार हैं वह सभी माफिया गिरोह के हाथ में हैं और वही सरकार की सहमति के शराब के ठेके नहीं ले पाते हैं।

मेरा आरोप है कि आबकारी विभाग माफिया लोगों द्वारा चलता है और इस व्यवस्था को ठीक नहीं किया जा सकता है। मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इस समय एक और अव्यवस्था फैल रही है। आबकारी ऐक्ट के अन्तर्गत इन शराब की दुकानों पर बिक्री के लिये नाबालिग लड़कों को नहीं बैठाया लेकिन स्थिति यह है कि शराब की दुकानों पर ठेकेदारों ने लड़कों को और असमाजिक तत्वों को बैठा रखा है। ठेकेदारों को बेकारी में, बेरोजगारी में नाबालिग और असमाजिक तत्व दोनों ही बड़े ही कम कीमत पर मिल जाते हैं और यह कह रहे हैं कि सामाजिक तत्वों के हाथ में नहीं जाने देंगे। सारे प्रदेश में शराब की दुकानों पर असामाजिक तत्व ही बैठ रहे हैं और शराब की बिक्री कर रहे हैं। दिन में शराब की बिक्री करते हैं और शाम होते ही

शराब पी कर सड़कों पर निकलते हैं, चोरी करते हैं और डकैती डालते हैं और अपराध करते हैं। इस तरह की घटनायें होती हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो मंत्री जी ने मद्य निषेध की बात कही है वह खोखली है और तर्क विहीन है और सरकार अगर मद्य निषेध लागू करती है तो मेरे सुझावों को पूरी तरह से लागू कर लेना चाहिये। मैंने जो सुझाव रखें हैं, अगर उन पर अमल किया जायेगा तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होती रहेगी और आबकारी विभाग से उत्पन्न होने वाली बुराइयों से भी बच सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौंशल—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो आबकारी बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं। श्रीमन्, मैंने गत वर्ष में भी लगातार इस सदन में यह मांग की थी कि आज हमारे प्रदेश में बाहर से शराब आ रही जिसकी वजह से आपको राजस्व की हानि हो रही है जिसकी वजह से नकली शराब भी बनकर बिक रही है इसलिए अवश्यक है कि इसे रोका जाय। श्रीमन्, मुझे खुशी है और मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि शासन और विभाग के अधिकारियों ने बहुत ही साहसपूर्ण कदम उठाया उन्होंने इक्साइज डियूटी ५५ रुपये से 40 रुपये कर दिया जिसकी वजह से न केवल तस्करी रूकी बल्कि राजस्व में ज्यादा आमदनी हुई। और श्रीमन्, 140 परसेन्ट ज्यादा, हमारी खपत भी बढ़ी और उसके साथ साथ 12 करोड़ और ज्यादा राजस्व प्राप्त किया गया लेकिन मेरा एक निवेदन है कि आज भी स्थिति ऐसी है कि हमारे बगल के जो राज्य हैं उनसे हमारी राजस्व डियूटी ज्यादा है आप श्रीमन्, इस ढांचे को ऐसा बना दें, आप राजस्व डियूटी इतनी कम कर दें कि हमारे प्रदेश की शराब दूसरे प्रदेश में जाने लगे न कि उनके यहां से हमारे यहां आवें। इससे राजस्व बढ़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से अभी जिक्र किया गया कि माननीय मंत्री जी गिरोहबन्द माफिया जो अपराधी हैं उनके खिलाफ अध्यादेश लायें, श्रीमन् अब तक हमारा तजुर्बा रहा है कि जहां जहां ठेके की नीलामी होती है आबकारी के वहां के अपराधी किस्म के व्यक्ति तमंचा और पिस्तौल की नोक पर ठेके ले लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि नीलामी ठेका होने के पहले आप समस्त जिले के जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दें कि उनको जिनका पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है जिनके लाइसेंस निलंबित रहें हैं, जिन पर बकाया है, जिनके यहां नकली शराब पकड़ी गयी है उनको डिबार कर दियाजाय, उनको अनुमति न दी जाय ठेका लेने की जिससे सही लोगों को यह मिल सके। इसके साथ साथ खुशी की बात है कि अन्य हमारे जो विभाग हैं सरकारी, उनमें कहीं पर 10 परसेन्ट कहीं पर 14 परसेन्ट और कहीं पर 15 परसेन्ट उन पर खर्चा आता है केवल उत्तर प्रदेश में ऐसा आबकारी विभाग है, जहां पर एक परसेन्ट से कम खर्चा इस विभाग पर हो रहा है इसके बावजूद राजस्व हमारे बिक्रीकर के बाद दूसरे नम्बर पर आता है और हमारे प्रदेश को मिलता

(इस समय 3 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जयदीप सिंह बरार पीठासीन हुए)

है। इस विभाग में पिछले काफी दिनों से सुपरिटेंडेन्ट, डिप्टी सुपरिंटेंडेन्ट, असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट और बहुत से पद जो खाली पड़े हुए हैं उनको भरा जाय। जो प्रमोशन के बहुत से मामले पड़े हुए हैं उन पदोन्नतियों के मामले को भी देखा जाय।

श्री लोकेन्द्र दत्त संकलानी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है हमारे विरोधी दल के एक नेता प्रेस गैलरी में बैठे हुए हैं, यह आपत्तिजनक है।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौंशल—

श्रीमान, मैंने गत वर्ष सुझाव दिया था कि जो इस विभाग के कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है। आज हमारे जो कर्मचारी हैं चाहे वह कांस्टीबिल हो, चाहे दीवान हो, या हैड कांस्टीबिल हों उनको आप एक लाठी पकड़ा देते हैं और करोड़ों रुपये का राजस्व आप इस विभाग से वसूल करते हैं जब कि बड़े-बड़े अपराधी प्रवृत्ति के लोग इसमें लगे हुए हैं। तब आप कैसे यह उम्मीद उनसे

करते हैं कि वे ज्यादा राजस्व वसूल कर सकेंगे ? उनको रोक सकेंगे ? मैंने निवेदन किया था उनके लिये आप प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दें, एक प्रशिक्षण संस्थान खोल दें जिसके बाद उनको शस्त्र भी दिये जा सकें।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को और शासन को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और ३७ लाख रुपये इस वर्ष उन लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था की हैं। मेरा निश्चित मत हैं कि प्रशिक्षण के बाद यह विभाग चुस्त और दुरुस्त हो सकेगा। आज भी इस विभाग में जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके पास रहने के लिये मकान नहीं हैं, टेलीफोन की व्यवस्था नहीं हैं, उनके पास जीप नहीं हैं, कार्यालय नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि जो अधिकारी और कर्मचारी इस कार्य में लगे हुए हैं जो आपको इतना राजस्व दे रहे हैं, उनके प्रति आपका कर्तव्य हो जाता हैं कि उनकी सुख सुविधा का भी ध्यान रखा जाय। मैंने पिछले वर्ष भी निवेदन किया था कि उत्तर प्रदेश में एफ० एल० ४१ के अनुज्ञापन के अन्तर्गत जो एल्कोहल का लाईसेंस उद्धोगों को देते हैं, उसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा हैं। आगरा, लखनऊ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, सहारनपुर आदि में जो उद्योग एफ० एल० ४१ के अंतर्गत एल्कोहल लेते हैं वे कागजों तक ही सीमित हो जाते हैं और उसको वे ब्लैक में बेचते हैं जिससे हमें काफी राजस्व की हानि उठानी पड़ती हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसकी आप जांच करा लें और इस तरह के जो उद्योग कागजों पर हैं लाखों लीटर एल्कोहल ले रहे हैं, फर्जी तौर पर बेंच रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। माननीय राना साहब को तकलीफ हो रही हैं। आपने एक्साइज ड्यूटी भी कम कर दी लेकिन उसकी कीमत कम नहीं हुई।

माननीय राणा जी, हमारे साथी हैं, आगरा से हैं . . . (व्यवधान)। मैं कहना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि आपने इक्साइज ड्यूटी कम कर दी लेकिन उसका रेट किसी जिले में कुछ हैं, किसी जिले में कुछ हैं। इस मोनोपली को भी आप समाप्त करें। मैं नहीं जानता कि उसका रेट तय करने के लिये आप सक्षम हैं या नहीं, लेकिन उसमें एकरूपता अवश्य होनी चाहिए। आप देखेंगे कि लखनऊ में कुछ रेट हैं और कानपुर में कुछ हैं। इसलिये चूंकि आपने इक्साइज ड्यूटी कम कर दी तो उसका रेट भी नीचे आना चाहिए।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि आज भी इस विभाग के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा हुआ हैं नकली शराब का। जो कि उत्तर प्रदेश में न केवल अंग्रेजी बल्कि देशी शराब भी इतनी नकली बनकर बिक रही हैं जिसकी वजह से लोगों के गुरदे खराब हो रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं, जिगर खराब हो रहे हैं और आंखें खराब हो रही हैं . . (व्यवधान) इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आज जो नकली शराब बनाने की प्रक्रिया चोरी-छिपे चल रही हैं उसको सख्ती से दबाया जाय और एक बार जो भी आपके लाइसेन्सी हैं, उसके यहां यदि इस तरह की नकली शराब पकड़ी जाय तो दूसरे वर्ष के लिए उसे डिबार कर दें, उसको लाइसेन्स न दें जिससे आने वाले वर्षों में जब वह लाइसेन्स ले तो नकली शराब न बना सके। यह बात मैंने पहले भी कही थी कि ऐसे मामलों में आजतक सख्ती नहीं बरती गई हैं। इस बात पर आप अवश्य रोक लगायेंगे, ऐसी आशा हैं।

अब मैं मद्य-निषेध के बारे में भी कहना चाहूंगा, इस वर्ष कुम्भ का मेला होने जा रहा हैं। चूंकि इस मेले में इस प्रदेश के ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों,

पूरे भारत के लोग इसमें आते हैं तो उसमें मद्य-निषेध का आप प्रचार बढ़ायें। इससे मद्य-निषेध ज्यादा कारगर सिद्ध होगा और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा लोगों की मानसिकता बदल सकेंगे।

सीरे के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। अभी तक आप सीरा जो चीनी मिलों से लेते हैं और उसमें कुछ कमी आ गयी है। आपने कहा कि इसकी तस्करी भी हो रही है और वह उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहा है तो उसको भी रोका जाय (व्यवधान) नैपाल जा रहा है मैनेजर सिंह जी की जानकारी है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि खांडसारी का जो सीरा बनता है वह आपके नियंत्रण में नहीं है। मैं चाहूंगा कि खांडसारी का जो सीरा बनता है उसको भी आप अपने नियंत्रण में लें उससे आप अपनी कमी को पूरा कर सकते हैं।

अब मैं भांग की दुकानों की नीलामी के बारे में कहना चाहता हूं यह बड़ी अव्यावहारिक बात है कि भांग का ठेका होता है उसमें बिकता है गांजा, अफीम और हिरोइन। इसलिये आप भांग के ठेके तत्काल समाप्त कर दें। इससे कोई ज्यादा रेवन्यू तो आपको मिलता नहीं है। इसके अलावा वहां पर जो काम होता है वह आप जानते हैं। अगर इन ठेकों को खत्म करके सरचार्ज प्रणाली लगाई जाय उन दुकानों पर जहां से यह बिकता है तो यह व्यावहारिक कदम होगा और उससे चोरी छिपे बेचने वालों पर भी रोक लगेगी। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में राजस्व और क्वालिटी दोनों में सुधार होगा। इसके साथ ही मैं इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व में हमारे राजस्व में इतनी प्रगति हुई है और आगे भी होगी।

★श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, डाक्टर किशोर साहब अभी बोल रहे थे और बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं। मान्यवर, मैं एक शेर कहना चाहता हूं—

"पीके यक जामे शराबे,
शाँक आखें खुल गयी,
देखता हूं जिस तरफ,
मयखाना ही मयखाना है।"

डा० कृष्णवीर सिंह कौशल—

मान्यवर, आज्ञा दे दें तो इसका जवाब दे दूं।

श्री अधिष्ठाता—

दे दें।

डा० कृष्णवीर सिंह कौशल—

"गर यही है तेरी मंशा,
तो आंख से पिला दे,
मेरा अहद भी न टूटे,
तेरी बात भी रह जाये।"

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, जवाब की बात शुरू कर दी तो—

"पीकर जां बहक जाये
देखे हैं साकी बहुत मगर,
खाली बोतल देख मचलते ऐसे
परवाने मस्त इधर।"

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राणा जी ५ मिनट का समय है।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, आबकारी पर मनोरंजन न करेंगे तो किसमें करेंगे? (व्यवधान) मान्यवर, दीदी भी बहक रही है।

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि इस विषय में बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी जो मैं कहना चाहता था। बहुत अच्छी बात यह हुई कि कटौती का प्रस्ताव जो किया गया है उसके समर्थन में और तर्क में डाक्टर साहब ने बहुत

★वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सारी बातें कह दी इसलिये सत्ता पक्ष से भी इसका समर्थन हो गया है। इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। मैं सिर्फ दो तीन बातें कहना चाहता हूं। शराब के लिये सबको मालूम है पूरा इतिहास सब जानते हैं सन् ३० से लेकर ३८ के बीच में नशाबन्दी का जो मामला उठा था वह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मंत्रि-मंडल ने उठाया था उस वक्त पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त मुख्य मंत्री थे और आज दुर्भाग्य की बात है वहीं कांग्रेस उन्हीं तर्कों पर जिनके आधार पर नशा-बन्दी लागू की गयी थी उनको अपने पक्ष में डाल कर नशा बन्दी लगाये हुए हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि दुनियां के जितने भी प्रगतिशील देश हैं उनका जो उत्पादन है उसको आधु-निकीकरण ढंग से नये परिपेय में ढालने का काम किया गया है। दुनिया जानती है कि एक समय था जब चीन में सबसे ज्यादा अफीम पैदा होती थी और प्रयोग होती थी लेकिन आज दुनियां के आंकड़े बताते हैं कि सबसे कम इसका सेवन आज चीन में होता है। यही नहीं, चीन ने अपने यहां अफीम का सेवन करने पर प्रतिबन्ध ही नहीं लगाया बल्कि उसका पूरा सेवन प्रतिबन्धित कर दिया है और कोई अफीम का वहां सेवन नहीं कर सकता है। साथ ही अफीम से हिरोइन निकालने की बात करके उसने अपने उत्पादन को आगे बढ़ाया है। और जिस तर्क को देते हैं मंत्री जी कि देश की सन्तान को भ्रष्ट करके अपनी आय बढ़ायेंगे उसके प्रतिकूल चीन ने दूसरा आचरण करके दिखाया और हिरोइन बनाकर अमेरिका पहुंचाई और उसको ध्वस्त करके डाल दिया है। इस लिए मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अल्कोहल पैदा होती है १८०० लाख लीटर जिसमें १२ लाख लीटर उद्योगों पर और ६०० लाख लीटर अल्कोहल शराब पर खर्च होता है।

मान्यवर, यह भी कहा गया था, डाक्टर साहेब ने, कि शीरे से और आलू से अल्कोहल पैदा किया जाये। तो हम चाहते हैं कि अल्कोहल जितना पैदा करना चाहते हैं वह करें, और किसान की जितनी चीजों से अल्कोहल पैदा कर सकते हैं वह करें और उसका उपयोग जनकल्याणकारी कार्यों में करें और शराब बन्दी लागू करें। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि देश का अल्कोहल विदेशों को भेजा जाय और विदेशी मुद्रा अर्जित करें और अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट से कमायें। लेकिन शराब पीना बन्द नहीं किया तो जिस परिवार में एक बार बोतल का मुंह खुल गया तो इतिहास साक्षी है कि पूरा का पूरा वह परिवार बोतल में समा गया है। इसलिये जब तक नशाबन्दी लागू नहीं की जायेगी देश के साथ खिलवाड़ होगा।

मान्यवर, पहाड़ों का इतिहास साक्षी है कि वहां पहले शराब का प्रचलन नहीं था लेकिन अंग्रेजी छावनियां जब वहां बनी तो फौजी लोग पहुंचे और वन विभाग के गेस्ट हाउस बने तो वहां शराब का प्रचलन पहुंचा और अब स्थिति यह है कि पूरा का पूरा पहाड़ शराब में डूब गया। तो विवश होकर पहाड़ों के ५ जिलों में शराब पर प्रतिबंध लागू किया, लेकिन आज उसके बावजूद स्थिति यह है कि वहां के तमाम सामाजिक, राजनीतिक संगठन शराब पर प्रतिबन्ध लगाने का आंदोलन कर रहे हैं। मान्यवर, आप जानते होंगे कि १९८४ में वहां जबरदस्त आंदोलन हुआ कि पूरा पहाड़ आंदोलन से ढक गया था।

मान्यवर, निवर्तमान मुख्य मंत्री और तत्कालीन केन्द्र के उद्योग मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी, हरिश्चन्द्र रावत ने जो नशाबन्दी का आंदोलन चला रहे थे उन्हें उग्रवादी कहा गया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि उग्रवादी की परि-भाषा वह होगी जिसे यह करेंगे और देश भक्त की परिभाषा वह होगी जिसे यह करेंगे, तो मान्यवर, कोई व्यक्ति शान्ति प्रिय और देश भक्त नहीं रह जायेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। मान्यवर,

पहाड़ में घर-घर, हर जगह शराब बन रही है जिसके खिलाफ आन्दोलन हुये और आन्दोलन को देखते हुए इनको शराब बन्दी पर विवश होना पड़ा और ५ जिलों में यह प्रतिबन्ध लगाया है। इसलिये मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जहां से जो काम शुरू होता है और चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब यह उस पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। इसलिये अच्छा होगा कि जो चीज आज हम उसके दोष और दुर्गुणों को देखें तो उस पर प्रतिबन्ध आज लगाना चाहिए।

मान्यवर, जहां तक आय का सवाल है, मैं मानता हूं कि आपने वादा किया था कि ३०० करोड़ रुपये की आय होगी और २ प्रतिशत इस पर खर्च होगा, मैं इसको मानता हूं लेकिन शराब के दूसरे उपयोग जो वैज्ञानिक युग में सम्भव है उसके इनको दरवाजे खोलने चाहिए और नई रीतियों को तैयार करें और देश में अल्कोहल पैदा करने के लिये जो आप प्रोत्साहन दे सकते हैं वह दें, अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट पैदा करें और यहां अल्कोहल का उत्पादन बढ़ावें। इसमें कहीं कोई एतराज नहीं, लेकिन यदि आप शराबबन्दी नहीं लगायेंगे तो देश मिट जाएगा और इसका सारा दोष आप पर जाएगा। इसके साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और शासन से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के प्रतिबन्ध को लगाने में जहां तक सम्भव हो, वह जल्दी करें।

★श्री पूरन सिंह माहरा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और माननीय आबकारी राज्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत आबकारी बजट का समर्थन करता हूं और उनको बधाई देता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने शराबबन्दी के लिए बहुत से सुझाव यहां पर दिये और कहा कि हमारा प्रदेश जहां शराब के माध्यम से कर में दूसरे नम्बर पर है, वहीं शराब-बन्दी भी लागू करने के लिए वह जोर शोर से प्रयासरत है। लेकिन मेरा एक सुझाव यह है कि जिस पर्वतीय क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं और जिसकी विडम्बना की बात राणा जी ने कही, वहां पर शराब की असन्तुलित व्यवस्था होने के कारण नकली शराब बनाने की एक मशरूफ ग्रोथ सी पैदा हो गई है। पर्वतीय क्षेत्र में आठ जिले हैं और उसके आठों जिलों में आठ से भी अधिक किस्म की नीति शराब के लिए लागू है। मैं मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि वह सारे—आठों जिलों के लिए इस सम्बन्ध में एक तरह का नियम लागू करें और जब तक ऐसा नियम उनके द्वारा लागू नहीं किया जाता है तब तक आठों जिलों की एक ही नियम के तहद लाने की कृपा करें। जहां तक राणा जी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में घर-घर में शराब बनाने का काम होता है। इसका कारण इस पक्ष में बैठे लोगों की नीति नहीं है, बल्कि ७७ में जब जनता सरकार ने शराब बन्दी की घोषणा की, उसके बाद ऐसी-ऐसी अल्कोहलीय दवाओं—मृत संजीवनी सुरा और हरा पुदीना सरीखी दवाओं का वहां प्रचलन हो गया जो शराब से भी अधिक घातक सिद्ध हुई हैं। नवजवान जो आजीविका कमाने का एक साधन था, आज उन गंदी दवाओं को पीने से उसकी आंते गल जाती है, उसको टी० बी० की बीमारी हो जाती है। तो मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि बहुत आसानी से जो इन प्रकार की दवाओं को बेचने का लाइसेंस मिल जाता है वह बहुत गलत बात है। ३ रुपये के स्टाम्प पेपर पर सी० एम० ओ० को लिखकर भेज दीजिए बस आप उसके बेचने के हकदार हो जाते हैं। इसके कारण से वह पहाड़ों पर इतनी आसानी से जगह-जगह, हर जगह मिलती है उससे सारे लोग

(इस समय ४ बजे श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

★वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

बर्बाद हो रहे हैं। राशन की दुकान पर जनरल मर्चेन्ट की दुकान पर भी यह दवायें मिल जाती हैं। इस प्रकार की जो घातक, प्राण-घातक दवाएं हैं, उन पर तुरन्त बंदिश लगाई जाए और इन अल्कोहलीय दवाओं को महंगा से महंगा किया जाए, ताकि बहुत आवश्यक स्थिति में ही लोग उसे पी पायें। आपकी तमाम देशी और विदेशी मदिरायें पीने से उतना नुकसान नहीं है, जितना कि इन नशीली दवाओं को पीने से होता है। आप आठों जिलों को एक समान नीति के अन्तर्गत लाने की कृपा करें।

आपकी भिन्न-भिन्न नीतियों के कारण से यहां पर पर्यटक भी प्रभावित हुए हैं। कहीं शराब पूरी तरह खुली हुई है और कहीं पर शराबबन्दी है। इसका सीधा असर पर्यटक उद्योग पर पड़ता है। पर्यटक वहां जाना चाहता है, जहां पर उसे सारी सुविधाएं मिलती हैं, विदेशी मदिरा उपलब्ध होती है और जहां पर उसे विदेशी मदिरा और दूसरी शराबें नहीं मिलती हैं, वह वहां नहीं जाना चाहता है। जैसे कि कौशानी, बागेश्वर अल्मोड़ा और पौड़ी हैं, यहां पर शराब बन्दी के कारण पर्यटक जाना पसन्द नहीं करता है, वह भले ही चाहे जितना अच्छा स्थान प्राकृतिक दृश्यों की दृष्टि से हो। अतः मेरा निवेदन है कि पर्यटकों को जो हम पर्वतीय क्षेत्रों में आने के लिये आकर्षित करते हैं तो अगर हम उनके लिये परमिट सिस्टम रखेंगे या बंदिश लगायेंगे तो पर्यटक पर्वतीय क्षेत्र में नहीं आयेंगे। मेरा निवेदन है कि या तो पर्वतीय क्षेत्र के आठों जिलों में शराब बन्दी पूर्णतः लागू करें या तो आठों जिलों में एक समान नीति लागू करें। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह जो गन्दी दवाइयां पर्वतीय क्षेत्रों में बनती हैं उनको अपने विभाग के अन्दर लेकर, अपने कब्जे में उनको लेकर बिक्री पर तुरन्त रोक लगाने की कृपा करें नहीं तो पर्वतीय क्षेत्र का नौजवान सैनिक नहीं बन सकता और देश की रक्षा के लिये सीमा पर नहीं पहुंच सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने बोलने के लिये समय दिया और मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह मान्यवर, केवल अनौपचारिक बहस नहीं है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में रहने वाला वह हर व्यक्ति जिसको भारतीय संस्कृति से कुछ लगाव है जो भारतीय नैतिक मूल्यों से अपने को जुड़ा हुआ समझता है, जिसका गांधीवादी दर्शन में जरा भी विश्वास है वह सरकार के इस दृष्टिकोण का भरपूर विरोध करेगा कि केवल रेवेन्यू हमारा घट जायगा इसलिये हम आबकारी विभाग को चलाते रहेंगे, शराब का उत्पादन बढ़ाते रहेंगे, यह बड़ा घटिया दृष्टिकोण है। इसलिये मैं समझता हूं कि मेरा यह राष्ट्रीय धर्म है, मेरा ही नहीं हर व्यक्ति जिसका हमारी भारतीय संस्कृति में विश्वास है और गांधीवादी दर्शन में विश्वास है उसका राष्ट्रीय धर्म है कि इस नीति का विरोध करें। माननीय मन्त्री जी जिन्होंने इस बजट को पेश किया है मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो उसके लिये संविधान के प्रति निष्ठावान होने की शपथ लेते हैं। जब चुनकर आते हैं तो आप हमें शपथ दिलाते हैं। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि संविधान के आर्टिकल ४७ को पढ़ लीजिये उसमें संविधान के निर्माताओं ने क्या अपेक्षा की थी और आर्टिकल ३७ को भी पढ़ लीजियेगा। उन्होंने कहा है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना सरकार का कर्तव्य होगा। ४७ में कहा गया है कि प्रोहिबिशन को लागू करके इसको हम रोकें।

माननीय मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में एक युवा हृदय सम्राट का नाम लिया तो मैं उनको युवा हृदय सम्राट के नाना की बात याद दिलाना चाहता हूं।

पंडित जवाहर लाल नेहरू जी जब इस देश के प्रधान मन्त्री थे तो उन्होंने कहा था कि :—"फाइनैन्शियल कांसीडरेशन कैननाट आलवेज बी इग्नोर्ड, बट इन ए मैटर आफ दिस काइन्ड स्योरली दीज कांसीडरेशन्स शुड नाट प्ले एन इम्पारटैन्ट पार्ट।"

वित्तीय संसाधनों को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है लेकिन जहां मद्य-निषेध जैसी महत्वपूर्ण बात हो तो इसमें इस बात को आड़े नहीं आने देना चाहिये। आगे उन्होंने कहा कि :—

"दि क्वेश्चन, देयरफोर, रिजाल्वस इटसेल्फ इनटू दिस : इज दि आबजेक्टिव आफ प्रोहीबीशन गुड आर नाट ? इफ इट इज गुड, इट मस्ट बी परसूड थ्रो वी मे वैरी आवर एप्रोचेज टू दिस प्रोबलेम। आई हैव नो डाउट दैट दिस बाड आब्जेक्टिव इज गुड फार आवर कन्ट्री।"

वह कहते हैं कि मद्य निषेध होना चाहिये या नहीं इस प्रश्न का जवाब इसमें निहित होना चाहिये कि यह देश के लिये लाभकारी है या हानिकारक है। अगर लाभकारी है तो इसको फौरन करना चाहिये। आगे उन्होंने कहा कि :—

"इन आवर कन्ट्री इट सीम्स टू मी डिजायरेबुल बोथ फ्राम दि प्वाइन्ट आफ विउ आफ दि जेनेयुल पब्लिक एण्ड आलसो फ्राम दी प्वाइन्ट आफ विउ आफ दी सेलेक्ट सब्जेक्ट फिउ हू एपियर टू टेक सम प्राइड इन इनडल्जिंग इन अल्कोहालिक ड्रिंक्स, इवेन दो दि सेन्टीमेन्ट आफ दि कन्ट्री इज अगेन्स्ट इट, आई थिंक इट हैज बीन एडीकोएटली शोन दैट दि जनरल मास आफ आवर पापुलेशन बेनीफिट बाई प्रोहीबिशन इन मेनी वेज—फाइनैनशियली, फिजीकली एण्ड इथिकली।"

उन्होंने कहा है कि हमारे देश में मुझे ऐसा महसूस होता है कि यह आवश्यक हो गया है कि इस नीति को परसू किया जाय और सारे देश की बहुसंख्यक जनता ने इसका अनुमोदन किया है। केवल कुछ लोग जो चाहते हैं, जिनका अल्कोहलिक ड्रिंक्स में थोड़ा सा उत्साह है, दिलचस्पी है, इसे उनकी इच्छा के विपरीत लागू करने के लिये कोशिश करनी चाहिये क्योंकि मेरी समझदारी है कि इससे वित्तीय रूप से, शारीरिक रूप से और नैतिक रूप से लाभ होगा।

"इन ए कन्ट्री विच इज पुअर एण्ड विच इज स्ट्रगलिंग हार्ड टू रेज इटसेल्फ। दीज हैविट इज पिक्यूलियरली अनविकमीलिंग। "मान्यवर, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा कि भारत जैसे देश में जहां गरीब जनता बड़ी मेहनत कर रही है अपने को उठाने के लिये, वहीं पर आप यह आदत डलवाना बहुत ही जनहित में अनुचित है। फिर उन्होंने आगे कहा कि "देयर इज आलसो दि क्वेश्चन आफ ए सरटेन डिसिप्लिन इन ए नेशन। इफ वी डिसाइड समथिंग एण्ड मेक लाज टू दैट इफेक्ट वी शुड ओबे दैट डिसिप्लिन एण्ड कैरी आउट दोज लाज"।

पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के संदेश में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर राष्ट्र का एक निश्चित अनुशासन होता है। अगर कोई कानून हमारे यहां बनता है तो उसका पालन करना भी हमारा कर्तव्य है। संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों के बारे में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान संविधान के अनुच्छेद ४७ और ३७ की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अनुच्छेद ४७ में मद्य-निषेध लागू करने की व्यवस्था है और अनुच्छेद ३७ में इसको लागू करना राज्यों का कर्तव्य बताया गया है। लेकिन आज आप कहते हैं कि मद्य-निषेध लागू करने से हमारा रेवेन्यु घट जाता है और इसमें बड़ा फरक महसूस करते हैं कि पिछले साल हमने इससे ३१५ करोड़ रु० अर्जित किये और इस साल ३५० करोड़ रुपया अर्जित करना अनुमानित है। इससे मान्यवर मालूम होता है कि आज हमारे हृदय मर चुके हैं। मान्यवर, १ अप्रैल, १९३९ के हरिजन अंक में लिखा है कि जब पहली बार देश के अन्दर कांग्रेस की सरकारे बनीं १९३७ में और १९३९ में

बम्बई में मद्य-निषेध लागू किया गया तो उस पर गांधी जी ने कहा था कि "हैन्डसम इज दैट, हैन्डसम डज इज ए नीट प्रावर्ब।" अच्छा वह है, जो अच्छा कार्य करे। यह एक मुहावरा है "लेट इट बी रिमेम्बर्ड दैट दिस प्राहीबेशन इज नाट ए सुपरीम पोजीशन इट इज बीइन्ग इन्ट्रोड्यूसड बाई गवर्नमेन्टस दैट आर रिस्पान्सिबुल टु दि पीपुल इट इज दैयर ए प्लैंक इन दि नेशनल प्रोग्राम सिन्स, १९२०। इट इज कमिंग दैयरफोर अनडिउ फुलफिलमेन्ट आफ दि नेशनल विल डेफिनिटली इक्सग्रेस्ड नियरली २० इयर्स एगो। जिसका अनुवाद है कि हमें याद रखना चाहिए कि मद्य-निषेध कोई ऊपर से नहीं टपकता है। यह उन सरकारों द्वारा लागू किया जाता है, जो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। वह हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रमुख मुद्दा १९२० से रहा है इसलिए यह कार्यक्रम राष्ट्रीय इच्छा को देखते हुए लाया जा रहा है, जो पिछले २० सालों में पूरी तरह से उजागर हो चुका है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यह सरकार इसे ला रही है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें यह सोचना चाहिए कि इसको लागू करने से हमारा देश आगे जा रहा है या पीछे, इससे हमारी जनता को नुकसान हो रहा है या नफा। राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता संग्राम के साथ-साथ शराब बन्दी का आन्दोलन चलाया गया था और यही नहीं बहुत बार इसके बन्दी का आन्दोलन हुआ और देश में ज्यादातर इसी मत के लोग पाये गये कि इसे बन्द होना चाहिए क्योंकि इससे नुकसान ज्यादा है नफा कुछ भी नहीं है लेकिन यह सरकार कहती है कि इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है और फख्र महसूस करती है यह सरकार ऐसा कहने में।

मान्यवर, हमने देखा है कि यह सरकार मद्य-निषेध के बारे में जरा भी जागरूक और चिन्तित नहीं है। बजट साहित्य के नाम पर इस पर एक बुकलेट छापी है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसके बजाये अगर आप एक बुकलेट इस प्रकार की छापते कि इस शराब बंदी के लिए या लागू करने के लिए हमारे बड़े-बड़े नेताओं और महात्मागांधी ने क्या लिखा है और कहा है जिसकी कैवल १०—२० पैं० की ही कीमत होती तो उससे देश में एक जागरूकता पैदा होती, लेकिन इस ओर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कोई अभी तक ध्यान नहीं दिया। उसी की बुकलेट छपा कर बांटा होता, तो कम से कम लोगों को शर्म तो महसूस होती शराब पीने और उसका समर्थन करने में। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो बजट है राष्ट्रीय नीति के खिलाफ है। इसका विरोध होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको पांच मिनट का समय मिलेगा। बाकी माननीय सदस्य दो-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें। पांच बजे इसे समाप्त होना है।

श्री गजराज सिंह—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आबकारी के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं माननीय आबकारी मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने राजस्व के हिसाब से काफी अच्छा बजट पेश किया है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ कुरीतियां भी हैं, जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे शराब, चरस, अफीम जैसी ऐसी चीज है कि लोगों की खेतियां तक बिक जाती हैं। लोग बेरोजगार हो जाते हैं। हमारे निर्बल, अल्प संख्यक वर्ग के लोग जो हैं, ज्यादातर वही शराब का सेवन करते हैं, उससे उनके फेफड़े वगैरह नष्ट हो जाते हैं। इसमें मान्यवर, सुधार की आवश्यकता है। इसमें किस तरह

से सुधार लाया जाय मंत्री जी कृपया विचारें, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो-जो इसमें कमियां हैं, जो इस टाइप की नम्बर २ की शराब चल रही है, जो लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, उस पर प्रतिबन्ध लगाया जाय।

मैं अपने हापुड़ क्षेत्र की तरफ आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हापुड़ शहर के बीच में एक देशी शराब का ठेका है, जिसके चारों तरफ बाजार और हरिजन तथा मुस्लिम वर्ग की आबादी है, आप इसको दूसरी जगह पर उठवाने की कृपा करें, जिससे बहन-बेटियों को और अच्छे-भले लोगों को आराम मिल सके। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहूंगा कि आज कल शादियों और त्योहारों में यह फैशन हो गया है कि लोग शराब का इस्तेमाल करते हैं। शादियों में लोग शराब पीकर सड़कों पर नाचते-गाते हैं, जिससे धन का दुरुपयोग होता है और लड़ाई-झगड़े भी देखने को मिलते हैं। मान्यवर, इसके लिए कोई संशोधन लागू किया जाय, जिससे इसमें सुधार हो सके। अन्त में मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा पेश किये हुए बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

★ श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, माननीय आर्या जी मेरे सामने हैं और राष्ट्रीय आंदोलन के व्यक्ति हैं, मैं इन्हीं के ऊपर फैसला छोड़ता हूं। शराब पीना अच्छा है या बुरा ? अगर आप में से एक आदमी कह दे कि शराब पीना अच्छा है, तो मैं मान लूं। कोई भी कहेगा जो माई का लाल हो ? एक भी नहीं कहेगा। शराब पीना मानते हैं बुरी बात है, तो शराब का धन्धा क्यों करवा रहे हैं ? यह शराब का धन्धा आप लोगों को जिन्दा रखेगा। मान्यवर, चैतराम जी की तो यह हालत है जैसे नये-नये मुल्ला बोरिया का तहमद लपेटकर चलते हैं। मान्यवर महात्मा गांधी ने कहा है शराब शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करती है। आप महात्मा गांधी के नीचे बैठे हैं। मुझे शर्म आती है, मान्यवर, आबकारी कमिश्नर जो हैं यह हमारे यहां कलेक्टर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह जानते हैं मेरे जिले को भी जानते हैं, हजारों शराब की भट्टियां वहां ऐसी चलती हैं। सहारनपुर में रुड़की आदि तमाम स्थानों पर ऐसी भट्टियां चल रही हैं इससे कितना नुकसान हो रहा है यह सब जानते हैं। मान्यवर, गांव के सीधे-साधे आदमी की इच्छा होती है, वह शराब लेने जा रहे हों उनसे पूछो कहां से लेने जा रहे हो, तो कहते हैं गांधी आश्रम से लेने जा रहे हैं जो कच्ची भट्टियां चलती हैं उन्हें गांधी आश्रम कहते हैं, उनको सरकार चलाती है इनको शर्म नहीं आ रही है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं सहारनपुर जिले में शराब की कच्ची भट्टियां जो चल रही हैं उनको बन्द कराया जाए।

मान्यवर, नम्बर-दो के माफिया गिरोह के लोग शराब का ठेका बन्दूक की नोंक पर लेते हैं। ठेका ही देना है तो फिर खुलवा दीजिए ठेकेदार अगर डिफाल्टर होगा तो वह साले के नाम से ठेका लेगा, साला डिफाल्टर है तो भाई के नाम से भाई डिफाल्टर है तो भाभी के नाम से लेगा, तो सब डिफाल्टर होते जा रहे हैं। हमारे यहां एक ठेकेदार ने कमाल कर दिया एक एस० एस० पी० गोयल हमारे यहां गये उनकी बदली करके उन्हें देहरादून भेज दिया गया। एक ठेकेदार ने १०—१५ लाख रुपया खर्च करके उनकी बदली देहरादून करा दी। यह जो स्वच्छ प्रशासन वाले वीर बहादुर सिंह हैं, इनको ठेकेदार जब चाहे खरीद लें।

श्री अमिताभ लवानिया—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए

★ वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आपका आभारी हूं। अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने सभ्यता और संस्कृति का जिक्र करते हुए मधनिषेध की बात कही थी। हमारे दर्शन में संस्कृति और सभ्यता का कोई ऐसा उदाहरण नहीं है, जहां इसका प्रचलन न रहा हो, इसका प्रचलन पूर्व में भी था और अब भी है, लेकिन यह आज के परिवेश में आज की परिस्थिति में यह राजस्व का एक बहुत बड़ा श्रोत है। मान्यवर, जहां तक विकास का सवाल है बिना धन के कोई भी विकास का कार्य पूरा नहीं हो सकता है। जब धन नहीं होगा तो कैसे सड़कें बनेंगी, कैसे नये-नये प्रोग्राम लागू करेंगे धरातल पर कैसे इसको साकार रूप प्रदान करेंगे ? तो इसके लिये राजस्व की जरूरत होती है बिना राजस्व के कुछ सम्भव नहीं है। मैं मन्त्री जी के बजट का समर्थन करता हूं। मन्त्री जी ने आलू पर आधारित अल्कोहल बनाने की फैक्ट्री या उद्योग लगाने की बात की। मेरे जनपद आगरा में मेरे क्षेत्र फतिहाबाद में आलू बहुत होता है। आगरा जनपद के प्रारिस्थिति को देखते हुए, मन्त्री जी इसको बनाने के लिए अंगीकार करेंगे।

[समय ४ बजकर २५ मिनट]

★ श्री गौरी शंकर भइया—

श्रीमन्, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं। मान्यवर, मैं एक निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि इसके पहले दो वर्षों में हमने आबकारी के बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखा था। मान्यवर, कम से कम सार्वजनिक स्थानों पर और यह आपके नियमों में भी है, कि ऐसी जगहों पर दारू की दुकानें नहीं चलनी चाहिए। मैं एक उदाहरण चौथी बार देना चाहता हूं। आपके बंगले के पीछे उदयगंज चौराहा है। वहां पर एक ही मकान में मन्दिर, मस्जिद, मयखाना और मदरसा चल रहा है। मान्यवर, अगर आपको और किसी दुकान पर जाने का अवसर न मिले तो आप उदयगंज चौराहे पर चले जाइये, और जाकर देख लीजिए। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर, वाराणसी कमिश्नरी में जितनी भांग की दुकानें हैं उन पर सब पर गांजा खुलेआम बिकता है।

मान्यवर, गांजे का ठेका कर दें तो कुछ राजस्व सरकार को मिल जायेगा और पुलिस वाले जो नम्बर दो का काम करते हैं वह धन्धा बन्द हो जायेगा। तीसरी बात मान्यवर. मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में मृतसंजीवनी सुरा दवा के नाम पर चल रही है। दारू की दुकान के बंगल में यह धड़ल्ले से बेंची जा रही है। चित्तू पाण्डेय के नाम से बेंची जा रही है। जो सबसे गम्भीर बात है वह यह है कि बनारस, गांजीपुर, बलिया में हिरोइन, हसीस बेचने का धन्धा खूब जोरों पर चल रहा है। आप जितनी मात्रा में चाहें, हिरोइन बरामद कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और सरकार से अपील करना चाहूंगा कि इसकी बड़े पैमाने पर आप जांच करायें। गाजीपुर के एस० पी० ने कह दिया कि कांग्रेस के मुस्लिम सांसद हिरोइन का कारोबार कराते हैं। मैं इस ओर मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अन्त में मैं पुनः कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मैं प्रदूषण एवं पर्यावरण बोर्ड के बारे में बधाई देना चाहता हूं, माननीय राजीव गांधी को और माननीय मुख्य मन्त्री जी को जिन्होंने इलाहाबाद में इसका उद्घाटन किया। अभी हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि कांग्रेस और गांधीवादी सरकार ने शराब बन्दी नहीं किया,

★ वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनता पार्टी ने शराब बन्दी किया। मैं पूछना चाहता हूं कि जहां-जहां जनता पार्टी की सरकार है क्या वहां शराब बन्दी है, खास कर कर्नाटक के बारे में मैं जानना चाहता हूं। वहां पर विपक्ष की सरकार है और वहां के लिये हमारे विपक्ष के लोग क्या करेंगे ? मैं आबकारी मन्त्री और मुख्य मन्त्री को बधाई देना चाहता हूं कि जो ९ जिलों में ताड़माली पासी बेलदार लोग ठेकेदारी प्रथा से पीड़ित हो रहे थे, उनका उत्पीड़न किया जा रहा था, बड़े साहस और बहादुरी के साथ राजस्व की कमी की परवाह न करके ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके उसी जाति के जो कि स्वयं अपने हांथों से काम करते हैं एक ही जाति के लोगों को इसके लिये अधिकार दिया गया। इसके लिये मैं बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, मद्य निषेध के बारे में मैं कहना चाहता हूं। मद्य निषेध की भावना के रूप में प्रचार के माध्यम से विपक्ष के लोग इसमें सहयोग दें तो अच्छा होगा।

श्री राज किशोर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और माननीय मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, अनुदान का, उसका विरोध करता हूं। मैं दो तीन बातें कहूंगा संक्षेप में। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि मद्य निषेध करेंगे और दूसरी तरफ प्रदेश में शराब बिकवा रहे हैं। तो यह दोनों अन्तरविरोधी हैं। जितना मद्य निषेध की बात करते हैं, उतना ही मद्यपान हो रहा है और गांधी जी के नाम पर मद्यपान हो रहा है। इसलिये मद्य निषेध की बात करना व्यर्थ है। अब तो बच्चे भी पीने लगे हैं। मैं सोवियत यूनियन गया था। यहां यह प्रचार है कि उधर के लोग ज्यादा पीते हैं। वहां उन्होंने कानून बना दिया कि १९ साल की उम्र तक कोई पी ही नहीं सकता। यहां चाहे १८ साल का बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, सबको पीने की छूट मिली हुई है। आप ठेके की बात कहते हैं तो ठेका कोई शरीफ आदमी लेगा ? इसे अपराधी लोग ही लेते हैं और उनको ही मन्त्री जी देंगे। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि अगर आप शराब बिकवाना ही चाहते हैं तो सरकार अपने कर्मचारी रखकर सरकारी दूकानों पर बिकवाएं। ठेका बन्द कर दें। कहीं बन्द करेंगे, कहीं खोलेंगे तो यह तरीका सही नहीं है। इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरदेव—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे आबकारी बजट के विषय पर बोलने का अवसर दिया, आभारी हूं। मान्यवर, शराब के दुरुपयोग से मुझे भी नफरत है, इसके प्रयोग से असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है, ठेकेदारों को बढ़ावा मिलता है, और क्राइम बढ़ता है सब कहीं, प्रधानी हो, प्रमुख या एम० एल० ए० का चुनाव हो सबमें फर्क पड़ता है। मान्यवर, अपने बलिया जनपद के तहसील रसड़ा में जब मैं था तो वहां जनता पार्टी का सम्मेलन हो रहा था।

[× × ×]

रसड़ा में जहां लड़कियों का स्कूल है, स्टेशन रोड पर मन्दिर तथा पार्टी का दफ्तर है, वहां पर शराब बिक रही है। एक प्राइमरी पाठशाला रतनपुरा के पास शराब बिक रही है। लड़कियां कहती हैं हरदेव भइया इसको यहां से हटवा दें। कृपया इसे वहां से हटवा दिया जाय। अतः ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके आबकारी विभाग द्वारा ही शराब बिकवाने की कृपा करें। दूसरे अनुसूचित जाति तथा गरीबों के नाम पर अन्य जाति के लोग ठेका लेते हैं। हमारे यहां रसड़ा में प्रफुल्ल चन्द्र गुप्ता एक हरिजन के नाम पर ठेका लेकर ताड़ी का काम

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

करता हूँ और ८० हजार रुपये के राजस्व को आबकारी विभाग से छिपा लिया है। अवैध शराब बनाने का काम कर रहा है। इसकी जांच की जाय और उससे सम्बन्धित हरिजन का लाइसेन्स निरस्त किया जाय।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, एक मिनट और दे दें।

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी और सचिव महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात का बूत लिया है कि इस विभाग में अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण का कोटा पूरा होगा। मान्यवर, मेरा उनसे अनुरोध है कि शीघ्र से शीघ्र इस आरक्षण कोटे को पूरा करायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

मान्यवर, एक बात अन्त में और कर दूं कानपुर में भूतपूर्व डिप्टी डायरेक्टर ने ४ लाख का शराब में गबन किया है, उनकी फाइल की जांच होनी चाहिये। मैं इसके लिये लिखकर के दे दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अभी माननीय हरदेव राम बोल रहे थे, हम लोगों की पार्टी का एक सम्मेलन बलिया में हुआ था, उसका उन्होंने जिक्र किया। अगर यह कह दूं कि माननीय हरदेव जी मयखाने में ही पैदा हुए थे, तो यह बात बुरी हो जायेगी। लेकिन, मान्यवर, यह बात सत्य है। मेरा आपसे अनुरोध है कि पार्टी सम्मेलन के सम्बन्ध में जो इन्होंने उल्टे सीधे शब्द कहे हैं, उनको आप कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि हरदेव जी ने बलिया में हुए पार्टी के सम्मेलन के सम्बन्ध में जो अशोभनीय शब्द कहे हैं, उनको आप निकलवा दें कार्यवाही से।

श्री उपाध्यक्ष—

पार्टी के लिये कुछ कहा होगा, असंसदीय शब्द कहे होंगे, तो निकलवा देंगे।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, माननीय हरदेव जी होश में तो हैं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय हरदेव जी को माननीय मैनेजर सिंह जी आप ही अच्छी तरह जान सकते हैं।

★श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से बुन्देलखंड की जनता की तरफ से एक आग्रह करना चाहता हूं। मान्यवर, बुन्देलखंड उन १२ जिलों में है, जिनको दस्यु प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। कानून व्यवस्था की वहां स्थिति अत्यन्त ही सोचनीय है। मान्यवर, वह प्रदेश का बहुत ही गरीब इलाका है। मेरा यह आग्रह है कि पूरे बुन्देलखंड को ड्राई एरिया घोषित करके वहां की जनता को अपराधों से और इस शराब-खोरी से बचाने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त मैं एक नीतिगत बात कहना चाहता हूं। एक तरफ तो माननीय मंत्री जी मद्य निषेध की बात करते हैं और दूसरी तरफ ठेका खोलने की बात करते हैं। यह तो वही बात हुई जैसे कि एक शायर ने कहा था,—

"पीछे पड़ा है कुल्हड़ खाली शराब का,
यारों नशा न करना उपदेश हो रहा है"

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, मुझे केवल इंडस्ट्रियल अल्कोहल के बारे में निवेदन करना है। मान्यवर, इंडस्ट्रियल अल्कोहल के संबंध

★वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में जो शासन की नीति है, वह गड़बड़ हो रही है। मान्यवर, इंडस्ट्रियल अल्कोहल एक ऐसी चीज है जिससे हमारे यहां इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि केवल ३ इंडस्ट्रियल अल्कोहल बेस बड़ी इंडस्ट्री यहां है। जबकि पूरे भारतवर्ष में हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक इंडस्ट्रियल अल्कोहल पैदा हो सकता है। १३ प्रतिशत क्षमता है। मान्यवर, आप देखें इंडस्ट्रियल अल्कोहल की बम्बई में ५०—६० फैक्ट्रीज हैं, दूसरे सूबों में भी हैं। इसके अतिरिक्त मान्यवर, एक बात यह भी है कि हमारे यहां इंडस्ट्रियल अल्कोहल बेस इंडस्ट्री के लिये उतनी सहूलियतें नहीं मिलती, जितनी की अन्य जगहों पर मिलती है। इसके अलावा गन्ना पैसे पर इंडस्ट्रियल अल्कोहल अन्य प्रदेशों में दी जाती है। मेरा मन्त्री जी से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इस नीति पर आप पूरी तरीके से पुनर्विचार करें ताकि जो उत्तर प्रदेश सबसे रिच है इंडस्टियल अल्कोहल के मामले में, इंडस्ट्री भी सबसे अधिक हो सकें। ऐसे व्यवस्था करें। गजरौला में चल रही है, बाराबंकी में चल रही है और बरेली में चल रही है ये सब अब तीनों ऐसी स्थिति में आ गई हैं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण, जो आपकी ड्यूटीज हैं, दूसरे सूबों के मुकाबले ज्यादा है, बन्द होने की स्थिति में है, बाराबंकी बन्द पडी है इस समय। आप इस पर पुनर्विचार करें ताकि ये इंडस्ट्रियल अल्कोहल बेस फैक्टरियां बन्द न होने पायें। ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल अल्कोहल की इंडस्ट्रियां खोली जांय।

(श्री मैनेजर सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैनेजर सिंह जी आप कृपा करके बैठ जायें। इस बजट के लिए जितना समय निश्चित किया गया था, उससे ज्यादा समय हो गया है।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, एक बात कहनी है। आबकारी के इस बजट पर श्री पाठक जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है। उनके दल के अन्य सदस्यों ने इस समय सदन का बहिष्कार किया है, पेश करने वालों ने भी बहिष्कार किया है। कांग्रेस (आई) के नवजवान साथी बेचैनी से बैठ रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इनके लिए देशी शराब ही आप फ्री करवा दीजिए।

*श्री वीरेन्द्र सोन—

मान्यवर, आपने मुझे आबकारी के इस बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। विपक्ष के नवजवान साथी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं। ये चाहते हैं कि राजस्व में वृद्धि न हो और प्रदेश प्रगति न करे। पिछले सत्र में भी जो शिकायतें की गई थीं, उन्हीं के आधार पर बजट में प्राविधान किया गया है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। अपराधों को रोकने के लिए, बजट में जिन नई-नई चीजों का प्राविधान किया गया है, वह एक ठोस कदम है। आरक्षण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि आपके विभाग में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ है, उसे आप जल्दी से जल्दी पूरा करें।

श्री बाबूराम यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महात्मागांधी के दर्शन पर चलने वाली इस सरकार के मंत्री जी ने जब यह बजट पेश किया तो उसमें मद्य निषेध के लिए केवल एक सेन्टेन्स था। और शराब के विस्तार के लिए बहुत बड़ी बात कही। समय नहीं है पूरी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आलोचना करने के लिए। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आप शराब से आय की बात कहते हैं, मुझे शंका है कहीं यह सरकार आपके लिये चकलाघरों को लाइसेन्स न देने लगे। मन्दिरों, मस्जिदों और स्कूलों के आस-पास शराब की दुकानें हैं। कहीं राजस्व को बढ़ाने के नाम पर यह सरकार प्रदेश का सत्यानाश न कर दे। बम्बई में जब इनका अधिवेशन हो रहा था

[× × ×]

आपको मैं आगाह किये देता हूं कि इस समाज को अगर नर्क में नहीं भेजना है और आगे अवनति की ओर नहीं ले जाना चाहते हैं तो शराब को बन्द करा दीजिये। जो आप शराब का प्रसार कर रहे हैं इससे गांव-गांव में शराब की भट्टियां और घर-घर में शराब की दुकानें खुलती जा रही हैं, जिससे अनाचार, व्यभिचार और अत्याचार पनप रहा है, इसको समाप्त कीजिये। मेरा सुझाव है कि इसके ठेके समाप्त कीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जब माननीय मन्त्री जी भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि शराब में कोई मिलावट नहीं है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने कहा कि मिलावट है, तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि किस शराब खाने में पीकर बताया है कि मिलावट नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है, आप बैठें।

★श्री सुरेश चन्द्र—

मान्यवर, मैं महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। जो हमारे यहां ठेके दिये हैं और शराब की दुकानें खुली हैं म्युनिसपल बोर्ड में खुली हैं, टाउन एरिया में बन्द कर दी हैं, ३ से ६ कि०मी० में टाउन एरिया और फिर म्युनिसपल बोर्ड रहता है। लोग पीकर आते हैं तो पुलिस तंग करती है। मेरा सुझाव है कि उन जगहों पर खुले जहां पुलिस के अत्याचार न हों। इण्डस्ट्रियल इलाकों में जहां आलू सड़ रहा है, मेरी मांग है कि पर्वतीय क्षेत्र नैनीताल में एक डिस्टलरी स्थापित की जाय। आपने मौका दिया, आपका आभारी हूं।

श्री दीप नारायण—

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने आबकारी के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। विरोध पक्ष के लोगों ने कहा कि शराब से आत्मा और शरीर का नाश होता है। मैंने वर्ष १९८० से ८५ के बीच अनेकों बार देखा है कि कितने लोग शराब पीकर सदन में आते थे, कहने और करने में बहुत फर्क होता है।

(श्री पूरन सिंह माहरा के खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

मेरा सुझाव है कि मेरे क्षेत्र में टाउन एरिया में नगर के गोला बाजार में एक शराब की दुकान है, जिससे लोगों को बहुत नुकसान होता है, उस शराब की दुकान को बन्द करा दी जाये। हमारे यहां श्री शंकर इण्टर कालेज डीहा है, उसके सामने भी एक शराब की दुकान है, उसको भी बन्द करा दीजिये।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, अभी हमारी ओर के एक माननीय सदस्य के बारे में नाम लेकर कहा कि शराब पीकर पीटे गये, उसको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर ऐसी बात होगी तो कार्यवाही से निकलवा दूंगा। आप बैठें।

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

★वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री सुरेन्द्र कपिल के खड़े होकर बोलने से घोर व्यवधान)

★श्री कमलेश कुमार पाठक—

मान्यवर, मैं दोनों पक्षों के सदस्यों का दर्द सुनने के बाद, इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शास्त्रों में जैसा कि वर्णन आया है कि एक बार देवताओं और दैत्यों ने मिल कर समुद्र का मन्थन किया था तो समुद्र में से १४ रत्न निकले थे जिसमें से एक रत्न सुरा भी थी। उन सब रत्नों को सबमें बंटवाया गया तो सुरा को लेकर दैत्यों और देवताओं में विवाद हो गया था। इस समय यहां जो हो रहा है मान्यवर, मैं समझता हूं कि इससे उस बात का फैसला हुआ जा रहा है कि उस समय जिन लोगों को सुरा पहुंची थी, वही लोग, आज उस पक्ष के, यहां सुरा की वकालत कर रहे हैं।

मान्यवर, अभी तमाम तर्कों और बहस के बीच में मैंने समझा कि उस पक्ष में माननीय सदस्यों ने आबकारी विभाग के द्वारा प्राप्त राजस्व पर विशेष बल दिया है। मैं मानता हूं कि सरकार को देश और प्रदेश की प्रगति के लिये, उन्नति के लिये, समाज को उठाने के लिये राजस्व की अति आवश्यकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि राजस्व प्राप्ति के साधन पवित्र होने चाहियें। आज आबकारी विभाग के द्वारा राजस्व प्राप्ति के जो साधन अपनाये जा रहे हैं उससे हमारा समाज और हमारे समाज की युवा पीढ़ी बरबादी के कगार पर पहुंच गयी है।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार मद्य-निषेध पर विचार कर रही है। साथ ही यह भी उन्होंने कहा कि मद्य-निषेध के लिये उनकी सरकार प्रदेश में व्यापक पैमाने पर प्रचार भी कर रही है। मैंने भी रास्ते में चलते-फिरते देखा है सड़कों पर जगह-जगह बड़े-बड़े पोस्टर सरकार ने लगा रखे हैं जिसमें यह लिखा है कि शराब पीना विष पीने से ज्यादा भयंकर है। परिवहन विभाग की बसों के अन्दर भी लिखा हुआ दिखायी देता है कि शराब पीना विष से ज्यादा भयंकर है। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी इसी तरह से प्रदेश में मद्य-निषेध को लागू करना कहते हैं।

दूसरी तरफ मंत्री जी ने यह तर्क भी रखा है कि आबकारी विभाग के द्वारा सरकार को ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है। तो इनकी यह दोहरी नीति है। इनकी नीति स्पष्ट नहीं है। एक तरफ तो राजस्व की अधिक से अधिक प्राप्ति को लेकर यह चल रहे हैं तो दूसरी तरफ मद्य-निषेध की बात कहते हैं।

मैं समझता हूं कि इस सरकार के रहते नैतिकता का, ईमानदारी का कोई महत्व नहीं रह गया है। नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। २ अक्टूबर को जैसी कि परम्परा रही है कि जो हमारे पूज्य बापू का जन्म दिन है उस दिन प्रदेश के सभी सरकारी प्रतिष्ठान बन्द रहते हैं। इसी नियम के अन्तर्गत प्रदेश की सारी शराब की दूकाने भी बन्द होनी चाहियें। लेकिन पिछले २ अक्टूबर को मथुरा जनपद में शराब की दूकानें खुली हुई थीं, जिसका जनता ने विरोध किया। विरोध में बात बढ़ी जिसकी रिपोर्ट पुलिस स्टेशन पर लिखायी गयी। एक आन्दोलन हुआ शराब की दूकान को बन्द करने के सिलसिले में। पुलिस ने जनता पर लाठी चार्ज किया। मैं समझता हूं कि यह सरकार गांधीवादी होने का ढ़ोंग रच रही है और उनके आदर्शों का पालन नहीं करती है, बस उनके आदर्शों पर चलने का प्रोपोगन्डा करती रहती है। मान्यवर, आज हमारी युवा पीढ़ी जो बेरोजगार सड़कों पर घूम रही है, वह उनकी सरकार की नीतियों के चलते जैसा कि शराब की

★वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दुकानें बढ़ रही हैं, युवा पीढ़ी के लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं और विवेकहीन हो रहे हैं । हमारे ऐसे अनेकों उदाहरण आये हैं, अभी मेरठ में सामूहिक नर संहार हुआ, एक नवजवान युवक ने शराब पीकर अपने ही परिवार के सात सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी और घरमें आग लगा दी । शराब पाप और अनाचार की जननी है ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इटावा और मैनपुरी के एरिया में आलू की पैदावार अधिक होती है । आलू द्वारा शराब बनाने की बात कही, कृपा करके ऐसी योजना न चलायें । आप एक ओर मद्य निषेध की बात करते हैं और दूसरी ओर आलू के द्वारा शराब बनाये जाने की बात करते हैं । वैसे ही गरीब लोगों को भर पेट भोजन नहीं मिल पाता है, विष जैसी चीजें बनाने जा रहे हैं । इसलिये जो आलू द्वारा शराब उत्पादन की बात आयी है, इसको न लागू करें और अन्य ढंग से राजस्व की प्राप्ति करें । मैं कहना चाहूंगा कि अगर इनका दिमाग साफ है तो इमानदारी से मद्य निषेध लागू करना चाहिये तथा मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें । मान्यवर, जैसा कि मैंने दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों को सुना तो किसी न किसी रूप से चाहे उस पक्ष के सदस्य हों या इस पक्ष के सदस्य हों, सभी ने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है । इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी भी खड़े होकर हमारे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर दें और इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री फरीद महफूज किदवई--

मान्यवर, रोडवेज की बसों पर एक सेन्टेन्स लिखा रहता है कि-"शराब पीना विष से भी भयंकर है"-यह वाक्य सही नहीं है । इसको माननीय मंत्री जी ठीक करवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आप संक्षेप में बात कह दें ।

श्री चेतराम गंगवार--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नवजवान साथी और विद्वान साथी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है और जो वह कह रहे थे, तो मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा कि दो अक्टूबर को बन्द करवा दें, तो हमारा प्राविधान पहले से है कि २ अक्टूबर को, २६ जनवरी को और १५ अगस्त को और इसके अलावा पहली और सात तारीख को और इसके अलावा जिलाधिकारी जिस तारीख को चाहें और जब चाहें बन्द रख सकते हैं । मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव देकर मुझे और विभागीय अधिकारियों को तथा सरकार को उनसे बड़ा लाभ मिला है । पाठक जी ने, डा० कौशल ने और बहुत से माननीय साथियों ने बड़े अच्छे-अच्छे और रचनात्मक सुझाव दिये हैं, मैं उन सभी को देख लूंगा और हम प्रयत्नशील हैं और हमारा विभाग इसके लिये सजग है । मेरे ऊपर लोगों ने कहा, हालांकि व्यक्तिगत मंशा नहीं है । जहां तक मेरे सार्वजनिक जीवन की बात है और जहां तक इस सरकार की बात है, पैसा कोई महत्व की चीज नहीं है । पैसे से कोई अमृत नहीं ला सकता है, जहर ला सकता है, जीवन दान नहीं दे सकता है । पैसे से आप अच्छी चारपाई, डनलप पिलो, सोफा बगैरा ला दीजिए लेकिन पैसे से नींद तो नहीं आ जायेगी, पैसे से अनेकों चीजें ऐसी हैं जो हो सकती हैं, पैसे से गर्ल कैबरे आप खुलवा सकते हैं लेकिन धर्म पालन आप नहीं करा सकते । मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्र पिता महात्मा गांधी की ओर इशारा किया गया तो यह उनके आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, हमारी यह मजबूरी है कि हमारे लोग रहते हैं उनकी इच्छाओं और आंकाक्षाओं की वजह से

हमको यह करना पड़ता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मद्य निषेध भी हमारा विभाग है और समाज कल्याण के बारे में जब हमारी मंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगी तो उसको बताएंगी।

श्री कमलेश कुमार पाठक—

मान्यवर, मंत्री जी बता दें कि उनके पास आबकारी विभाग है या मद्य निषेध विभाग है।

श्री चेतराम गंगवार—

हमारे जिम्मेदारी दोनो की है। मान्यवर, इस साल जो बजट रखा गया है मद्य निषेध का उसमे ३१ लाख ९ हजार मद्य निषेध में और ८५-८६ में २४ लाख ३४ हजार और ८४-८५ में २१ लाख ९५ हजार है तो मान्यवर, यह देखें कि इस साल के लिए जो बजट रखा गया है २५ प्रतिशत अधिक है। तो हम मद्य निषेध करना चाहते हैं। अब जैसे शिला लेख की बात कही गयी तो मैंने, यह लिखवा रखा है कि बाप शराब पियेगा बच्चे भूखो मरेंगे, बच्चों के भविष्य के लिये शराब न पियें। जैसा हमारे साथी ने कहा रोड-वेज वाली बात तो जब हमारे परिवहन मंत्री अपना बजट प्रस्तुत करेंगें तो आप उनको बता देना।

मैं ज्यादा बात न कहकर एक बात कहना चाहता हूं कि जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद विदेशी मदिरा के उपभोग में निरन्तर गिरावट होती गयी है। मान्यवर, मेरे पास एक आंकड़ा है जिसमे वर्ष ७७-७८ में हमारे यहां विदेशी मदिरा ५० लाख ३४ हजार बोतल कन्जम्पशन हुई है और वर्ष १९८०-८१ में ४५ लाख ४३ हजार बोतल तथा ८३-८४ में ४१ लाख ५८ हजार बोतल रह गयी। यानि कि हमने उसका कंजम्पशन धीरे धीरे कम किया है मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि अन्य प्रदेशों में खपत के आंकड़े देखें।

श्री कौशिक रमाशंकर—

क्या खपत पहले से कम हो गयी कृपया स्पष्ट कर दें।

श्री चेतराम गंगवार—

जी हां, पहले से खपत कम हो गयी। मान्यवर, हम बिलकुल मद्य निषेध करना चाहते हैं लेकिन मैं एक शेर पढ़-कर सुनाना चाहता हूं, राणा साहब ने भी शेर पढ़ा था।

"कर्ज की पीते थे मय और समझते थे कि हां रंग लायेगी यह फाका मस्ती एक दिन।" अब आप कह रहे हैं और पिये चले जा रहें हैं तो क्या करूं। मान्यवर,

एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, वह यह है कि आप मुझे इजाजत दें कहने की . . (व्यवधान)। जैसा कि सब को अनुभव है शराब तो नहीं बहरहाल जो हमारा विभाग है वह कौमी एकता चाहता है, यूनिटी रखता है- कौन इस बात को नहीं जानता ? [× × ×]

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं माननीय विद्वान सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और इस जनहित और गरीबों के बजट को पास करें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या . . .

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण पूछा गया था, उसका मैं जवाब दे दूं। अल्कोहल बेस पर जिन कारखानों को हम सप्लाई करते हैं, उनका आपने हवाला दिया। मेरे पास ८७ ऐसे कारखानों की सूची है जो अल्कोहल पर आधारित है। एक अल्कोहल बेस्ड का कारखाना हम काशीपुर में स्थापित करने जा रहे हैं।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

इसी तरह से एक कारखाना गजरौला में हैं, सुमैइया में हैं । जो बड़े-बड़े कारखाने हैं । हम चाहते हैं कि जो आटोमोवाइल्स के इन्जन हैं, खेती के काम में आते हैं, आप जानते ही हैं मंत्री रह चुके हैं, उसके लिये तकनीक में चेंज की आवश्यकता हैं । हमने भारत सरकार के वैज्ञानिकों से कहा हैं कि आटोमोवाइल्स में किस तरह से इस तकनीक का प्रयोग कर सकें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह हैं कि अनुदान संख्या १-आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह हैं कि ३१ मार्च, १९८७ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १-आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्यय को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये ३,६०,७०,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या ६३-विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम आँतार दीक्षित)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९८७ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६३-विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये ४,७९,४४,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, यह विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग जो हैं इसके अन्तर्गत हमको ६ संगठन देखने पड़ते हैं । ये ६ संगठन इस प्रकार हैं—राजकीय वेधशाला, नैनीताल, विज्ञान एवं पर्यावरण, रिमोट सेंसिंग, वैकल्पिक उर्जा संस्थान, पर्यावरण निदेशालय तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड । मान्यवर, जहां तक नैनीताल वेधशाला का प्रश्न हैं, उसके बारे में सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं कि वहां पर नक्षत्रों के ज्ञान के लिये एक वेधशाला खुली हुई हैं और उसमें हमारे संयत्र लगे हुये हैं । अभी तक वहां पर एक जो दूरबीन थी वह सिर्फ १०४ सेंटीमीटर की थी और अब हमारा प्रयास यह हैं कि इस दूरबीन को २३४ सेंटीमीटर की हम लगाने जा रहे हैं । इसके लिये हम स्थान का चयन करने की व्यवस्था कर रहे हैं । आजकल सबसे बड़ी जो समस्या हैं वह हैं पर्यावरण की समस्या । इस देश के अन्दर पर्यावरण की विकट समस्या हैं । आये दिन पेड़ कट रहे हैं । साथ ही साथ जमीन पर तरह तरह के नाले और दूसरे प्रयोग पर्यावरण पर हमला कर रहे हैं । इससे हमारा प्रदेश ही नहीं सारा देश चिंतित हैं और यह एक बहुत बड़ी चुनौती आई हैं इसके लिए केन्द्र सरकार भी सजग हैं और काफी चिंतित हैं । यह प्रश्न ऐसा हैं जिसमें केवल सरकार की ही बात नहीं हैं और इसमें कोई विरोध की बात भी नहीं हैं । यह ऐसा प्रश्न हैं जो सभी नागरिकों के साथ जुड़ा हुआ हैं । इस विषय में जो भी संभव हैं प्रयास हो रहे हैं ।

इस समय हमारे सामने दो मुख्य प्रदूषण के विषय हैं एक जल और दूसरा वायु प्रदूषण । इन दोनों पर तो थोड़ा काम करना शुरु किया हैं, लेकिन इसके

साथ साथ ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी हम विचार करने जा रहे हैं । उसके संबंध में भी शीघ्र ही कोई एक्ट बनाने जा रहे हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण कर सकें ।

जहां तक वैकल्पिक ऊर्जा का सवाल है हमने इस विषय में काफी तरक्की की है तमाम सोलर कूकर इत्यादि बनाये हैं और काफी स्थानों पर इसका प्रयोग किया है । साथ ही साथ रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जिसके संबंध में इस सत्र में प्रश्न भी आया था उसे लखनऊ में खोलने जा रहे हैं जिसके लिये ३६ एकड़ जमीन उपलब्ध कर ली है । आज की यह ऐसी समस्या है जिसके निराकरण के लिये सभी का सहयोग अपेक्षित है जिससे हम इस भीषण समस्या से लड़ सकें और इसका निराकरण कर सकें ।

जहां तक जल प्रदूषण का सवाल है मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस विषय में हमारे प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी ने गंगा के प्रदूषण को दूर करने का निर्णय लिया है और साथ ही साथ जो इस सत्र में प्रश्न आया था उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि गंगा के प्रदूषण के साथ साथ यमुना के प्रदूषण की भी समस्या है उसकी भी चिंता हमें है । जो प्रदूषणात्मक उद्योग हैं उनको नियमित करने के लिये भी हम प्रयत्नशील हैं जैसे मथुरा और फर्रुखाबाद में साड़ी उद्योग है । यह काम छोटे छोटे उद्योगों के द्वारा किया जाता है इसलिए यह हमारी बहुत बड़ी चिंता है । हम चाहते हैं कि कोई संयुक्त नियंत्रण लगा कर जल प्रदूषण की रक्षा कर सकें । इस समय हमारे देश में लगभग १० हजार उद्योग हैं जिनमें से ८७७ उद्योग ऐसे हैं जो प्रदूषणकारी हैं और बाकी जो उद्योग हैं वे अधिक प्रदूषणकारी नहीं हैं । मैं बताना चाहता हूं कि इनमें से ४६ उद्योग ऐसे हैं जिन्होंने संयंत्र लगा लिये हैं १०६ ऐसे उद्योग हैं जिनके ऊपर यह प्रक्रिया लागू हैं और शेष के बारे में भी समय समय पर हम चिंतित हैं और उन पर नियंत्रण पाने के लिये प्रयोग कर रहे हैं । इस समय जो भी नये उद्योग लगाये जाते हैं उनके संबन्ध में बताना चाहता हूं कि उनको पहले इस पर्यावरण बोर्ड से इजाजत लेनी होती है । लेकिन एक समस्या हमारे सामने जरूर है कि बहुत सारे पुराने उद्योग लगे हुए हैं जिनको नियंत्रित करने में हमें कुछ कठिनाई हो रही है । उसके लिए भी हम सजग हैं और मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि निकट भविष्य में जो भी सम्भव होगा प्रदूषण को रोकने का हम प्रयास करेंगे । इन शब्दों के साथ चूंकि इसमें अभी तो बहुत कमी है और अधिक काम करने चाहिए जिसके लिये ज्यादा प्रयत्न करने चाहिए, इसलिये यह ऐसा विषय है जिसमें कटौती का प्रस्ताव लाना तो मेरी समझ में उपयुक्त नहीं होगा ।

श्री यदुनाथ सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-६३ विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मंत्री जी ने बड़ी दम भरी आवाज में कहा कि हम ६ विभाग लेकर ४ करोड़ ९० लाख रुपये दे रहे हैं, कटौती नहीं चाहते हैं । लेकिन मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी बेहयायी है कि ६ विभाग जिसका प्रगति विवरण दिया है लेकिन प्रगति कुछ नही हुई है केवल प्लान ही रह गया है । मान्यवर, ६ विभागों पर ४ ९० करोड़ रुपये और २० सूत्री कार्यक्रम में बारहवां कार्यक्रम है, जिसमें कहना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद ४८क के अनुसार, इस कार्य-

क्रम पर विशेष ध्यान देना चाहिए था। लेकिन आज पूरे प्रदेश की स्थिति है कि प्रदेश में एक गैलन पानी कहीं से ले लिया जाये तो उसमें एक चम्मच पानी भी शुद्ध जल नहीं हो सकता है। मान्यवर, जमुना या गंगा, कुआं या तालाब की स्थिति है कि वह दूषित है।

मान्यवर, मन्त्री जी ने विज्ञान एवं पर्यावरण पर ज्यादा बोले हैं, तो उनसे कहना चाहता हूं कि वह सबसे पहले उत्तर प्रदेश विधान सभा का सेन्ट्रल हाल देखें जहां प्रदूषण की हालत यह है कि आक्सीजन का वहां अभाव है, आगरे का ताजमहल देखें तो वह ढलाई के कारखानों से प्रदूषित हो रहा है। इसी तरह मिर्जापुर में गांव के गांव सीमेंट की डस्ट से बैरन हो रहे हैं। बोकारो से एक इंजीनियर यहां आये थे, श्री घनश्याम उपाध्याय जिन्होंने कहा था कि सीमेंट की डस्ट से यहां के गांव बैरन हो जायेंगे। इसलिये इस पर ध्यान दिया जाये। आत्माराय जैसे देशी प्रतिभा के वैज्ञानिकों को महत्व मिलना चाहिये।

मान्यवर, मन्त्री जी ने ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के बारे में पवन चक्कियों की बात कही और हालैण्ड से लायेंगे। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि देश में एक से एक इंजीनियर हैं जिनका उपयोग वैकल्पिक ऊर्जा और प्रदूषण सुधार के लिये करना चाहिए।

मान्यवर, आपने अहसास किया होगा कि हरिद्वार से ऋषिकेष तक गंगा के प्रदूषण में लाखों रुपये खर्च कर दिये हैं और कल रेडियो की खबर में था कि प्रधानमंत्री ने ९० लाख रुपये और गंगा प्रदूषण के लिये दे दिया है। मान्यवर, कानपुर से इलाहाबाद तक जांच तो जानते हैं कि गंगा में जमुना नदी मिल जाती है जहां प्रदूषण बढ़ता है, इसी तरह पटना में प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन कानपुर आबादी की दृष्टिकोण से प्रदूषण में सबसे ज्यादा है और कानपुर में बिठूर, देवा शरीफ, विंध्याचल आदि स्थानों पर प्रदूषण है। इस प्रकार पूरे प्रदेश में पर्यावरण को ठीक करने की बात समझी जा सकती है। आज यह डीजल प्रदूषण, वाटर प्रदूषण जन जीवन को खतरा पैदा करने वाला है।

मान्यवर, मंत्री जी को, एसेम्बली में रहने वाले हैं उनको, यह प्रदूषण समझ में नहीं आता है। मान्यवर, टैक्निकल एडवांसमेंट के बारे में, वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में आज वैज्ञानिकों के स्थान पर दिल्ली के आई० ए० एस० को बिठा देता है तो . . .। विज्ञान और प्रौद्योगिक और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आई० ए० एस० कैडर की क्या आवश्यकता है? उसको आप बैठा देते हैं, उसका वहां कोई काम नहीं है। उसका काम करने का तरीका हमारे और आपके लिए नहीं है। आपने जो कहा है, ठीक कहा है, यह सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष की बात नहीं है। यह ऐसा विभाग है साइंटिफिक एण्ड टैक्नालाजी और वैकल्पिक ऊर्जा, जिसका विकास के युग में अत्यधिक महत्व है और जिसमें विद्वानों और विशेषज्ञों की आवश्यकता है। श्री सुनील शास्त्री, विद्युत मन्त्री यहां बैठे हैं, इनके विभाग में लाइन लासेज, विद्युत चोरी के जितने कार्य हो रहे हैं, ओबरा की बिजली के और कोयले के कार्य हो रहे हैं, वह हवा से भी कुछ विद्युत उत्पादन करें, बायो-गैस से भी कुछ बिजली पैदा करें। इन सारे तरीकों को इस्तेमाल होना चाहिए। सुनील शास्त्री और संजय सिंह जापान में गये थे, यह मन्त्री जी विद्युत के रहे, पता नहीं वह वहां क्या करने गये थे और वहां से कौन सी टैक्नालाजी सीखकर आये हैं कि विद्युत परिषद् मिला?

गर्मियों में बिजली का इतना अभाव हो जाता है कि छोटे शहरों और कस्बों में पेयजल मिलना मुश्किल हो जाता है।

पिछली गर्मियों में बुन्देलखंड और मिर्जापुर के इलाके में एक लीटर पानी का दाम तो एक किलो चावल और एक किलो गेहूं से भी ज्यादा हो गया था। आज ४१५ करोड़ में जो संसाधन इस विभाग के लिए जुटाने का कार्य करेंगे, उससे क्या होगा। उतने में तो इन विभागों में मेन्टीनेन्स चलता है, आफिस चलता है, फाईल चलती है, आखिरकार ४ करोड़ ९० लाख है ही क्या। एक मिनट असेम्बली चलने का खर्च ८ हजार हो, एक मिनट पार्लियामेन्ट चलने में खर्च ४५ हजार हो तो इतनी कम धनराशि में इतने वैज्ञानिक, महत्वपूर्ण और आधुनिक विभाग के लिए क्या होगा। इस विभाग की सदा से उपेक्षा हुई है और निश्चित रूप से इस विभाग के साथ मुख्य मन्त्री वीर बहादुर की सरकार ने, उसके पहले वाली सरकारों —नारायणदत्त तिवारी, श्रीपति मिश्र और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकारों ने घोर अन्याय किया है, उसकी बड़ी उपेक्षा की है। यह इस तरह से बराबर जन जीवन के साथ खिलवाड़ करते चले आ रहे हैं। मंत्री जी रिमोट सेन्सिंग अप्लीकेशन सेन्टर के लिए जमीन दे रहे हैं, लेकिन कहीं सरकार चली जाए, तब तक उस पर कोई इम्प्लीमेन्टेशन और इंस्टालेशन आदि न हो। आप परेशानी की बात क्यों मोल लेते हैं। इतने कम पैसे में आपने प्रदूषण बोर्ड खोल दिया है, गंगा प्रदूषण बोर्ड खोल दिया है। आप कभी बनारस जाएं, आप देखेंगे कि तीर्थ स्थान पर नहाने वालों के कारण प्रदूषण हो रहा है। सरकार की ओर से कभी यह बयान आया था कि बनारस में गंगा नदी पर, उससे अलग एक पुल बनेगा, जिससे लोगों को दूसरे जगह घूमने और नहाने की सुविधा होगी और गंगा के पानी में प्रदूषण कम हो जाएगा। इनका ऐसा ही प्लान मिर्जापुर के लिए है, लेकिन उसका भी कुछ अता पता नहीं है कि कब उस पर काम होगा, कब वह तैयार होगा।

यू० पी० निवास और यू० पी० भवन सोलर एनर्जी से चलते हैं, तो आपके केवल गाजीपुर में ही हवा नहीं है। वैसे पवन चक्की ५७ जिलों में से बहुत जगह चलाई जाती है और चलाई जा सकती है अधिकतर। ऋषिकेष के ऊपर शुद्ध पानी है, हरिद्वार से अशुद्ध हो रहा है। आपकी सरकार ने ऋषिकेष से हरिद्वार तक गंगा जल के शुद्धीकरण का कार्य किया है। हरिद्वार में कुम्भ का मेला आने वाला है, ७० लाख लोगों के तीर्थयात्री रूप में आने का यहां लोगों का टारगेट है। राजीव गांधी भी हवाई जहाज पर बैठकर देखने चले आवेंगे मेला, उनके देखने में कुछ लोग मर जायेंगे। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू हाथी पर चढ़कर कुम्भ मेला देखने आए थे तो हजारों आदमी भगदड़ में कुचल कर मर गये थे। फिर वही होने वाला है। इसलिए इस बार प्रबन्ध किया जाए कि वह कार पर आएं, हवाई जहाज पर न आएं, नहीं तो हजारों लोग मर जायेंगे।

एक सदस्य—

माननीय, यह किस विषय पर बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय यदुनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, यह आपकी समझ में नहीं आयेगा।

(हंसी)

श्री यदुनाथ सिंह—

आप पर्यावरण के महत्व को समझें। मैं कहता हूं कि पर्यावरण से बढ़कर और कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हो सकती। इस विभाग के साथ अन्य विभागों का समुच्चय रूप से संबंध है। यदि इस विभाग के साथ सिंचाई विभाग का संबंध नहीं रहेगा, पी० डब्लू० डी० का संबंध नहीं रहेगा, परिवहन विभाग का संबंध नहीं रहेगा, विद्युत विभाग का संबंध नहीं रहेगा, स्वायत्त शासन विभाग का संबंध नहीं रहेगा तो बड़ी मुश्किल होगी। आप कभी कभी मह-

सूस करते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ चाहे वह मिट्टी का तेल हो, चाहे डीजल हो या चाहे पेट्रोल हो, जब मिट्टी का तेल डीजल और पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो प्रदूषण बढ़ जाता है प्रदूषण को रोकने के लिये कारगर कदम उठाये जाने चाहिये । पहले की सभ्यतायें हैं, पहले लोग गंगा के किनारे बसते थे, यमुना के किनारे बसते थे ।

आज अगर कोई गोमती के किनारे बस जाय तो पीने के पानी की दूर नहाने के लिये पानी नहीं मिलेगा । वह इस गंदे पानी में नहा भी नहीं सकता । इसी तरह से यदि कोई यमुना के किनारे बस जाय तो पीने के पानी की दूर नहाना मुश्किल है । बहुत ही दूर सुरम्य तलहटी में ही शुद्ध पानी कहीं मिल सकता है । आप के पानी की शुद्धता का प्रतिशत .०३ है । एक लीटर में .०३ परसेंट है । उत्तर प्रदेश में एक गैलन पानी में एक चम्मच पानी शुद्ध मुश्किल से मिलेगा । जिस सरकार में एक लीटर पानी की कीमत २ रुपये हो जाय उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये । उसके रहने का कोई औचित्य नहीं है । आप देखें कि मिर्जापुर में लाखों लोग पत्थर का काम करते हैं । उस पत्थर का काम करते हैं जिससे यह विधान भवन बना है, जिससे कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल बना है, इलाहाबाद का ए० जी० आफिस बना है, इलाहाबाद का हाईकोर्ट बना है, लामार्टीनियर कालेज बना है । मिर्जापुर में करीब करीब २ लाख मजदूरों के परिवार पत्थर का काम करते हैं । फतेहपुर सीकरी में लगभग २ लाख परिवार होंगे जो यह काम करते हैं । प्रदूषण की समस्या का वह शिकार होते हैं । मैं समझता हूं कि यह सरकार उनको गुड़ और सरसों का तेल देने का काम नहीं करती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको दोबारा टाइम मिलेगा ।

श्री यदुनाथ सिंह—

माननीय, मैं कन्क्लूड तो कर लूं । मैं उपसंहार कर लूं । माननीय, जेलों में जो मुसहरों को टट्टी का काम करने के लिये रखा जाता है तो जेल मैनुअल के अनुसार उनको गुड़ और तेल दिये जाने की व्यवस्था है । लेकिन पत्थर का काम करने वाले, सीमेंट फैक्टरी में काम करने वाले लोगों के लिये गुड़ और तेल की व्यवस्था नहीं है । मिर्जापुर जैसे क्षेत्र में और फतेहपुर सीकरी में जो इमारती पत्थर का काम करते हैं उनके लिये गुड और तेल की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये । आपने इस विभाग के लिये इतना कम बजट निर्धारित किया है । यह उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है । इस विभाग का बजट सबसे ज्यादा होना चाहिये ।

माननीय, डा० आत्माराम ने, जो सेरामिक्स के इंजीनियर हैं, आई० आई० टी० के कन्वोकेशन में, उसमें मैं भी था, उन्होंने कहा था कि हमें जरूरत है अपने देश के वैज्ञानिकों की जो जरूरत पड़ने पर छोटी छोटी चीजें बना सकें । आप पनचक्की के इम्पेर के लिये हालैंड से उसको मंगाते हैं । ५ लाख रुपये इस पर खर्च करते हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सत्तापक्ष-विरोध पक्ष का सवाल नहीं है, इसको दूर करें । सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष की बात छोड़ कर इंसान और उसके जीवन के लिये इस छोटे विभाग पर ज्यादा से ज्यादा बजट निर्धारित करने का कष्ट करें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री प्रदीप माथुर—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के बजट पर बोलने के लिये मौका दिया इसके लिये आभारी हूं । इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । महोदय, हम अपने प्रधान मंत्री माननीय राजीव गांधी के आभारी हैं जो उन्होंने विज्ञान और पर्यावरण जैसे विभाग की

और विशेष ध्यान देना शुरू किया है। हमारे देश और प्रदेश में इस तरफ ध्यान देने की तुरंत आवश्यकता है।

(इस समय ५ बजकर ३० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

मैं उनको बधाई देता हूं कि इस संदर्भ में कि हम एक ऐसे प्रदेश में हैं जहां वैकल्पिक ऊर्जा विकास कार्य-क्रम के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं। इन्टीग्रेटेड रूरल इनर्जी काम्पलेक्सेज, बायो गैस प्लांट,, वाटर हीटर्स तथा सौर्य ऊर्जा पर पूरे कार्य-क्रम चल रहे हैं। नैनीताल में वहां की वैध शाला की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जहां नक्षत्रों के ज्ञान हेतु दूर्बीन की क्षमता २३४ सेंमी० की जा रही है और मान्यवर, यही नही रिमोट सेंसेमिंग एप्लीकेशन्स सेण्टर के लिये जमीन एक्वायर की जा रही है। साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि देवा शरीफ, विठूर और बृज-भूमि की परिक्रमा के पर्यावरण सुधार हेतु योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त माननीय प्रधान मंत्री द्वारा गंगा प्रदूषण दूर करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वह बहुत ही सराहनीय है। मान्यवर, मैं पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो पाल्यूशन कंट्रोल कमेटी बनी हुयी है, उसमें काफी खामियां हैं और जो इनके द्वारा नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट्स दिये जाते हैं, उसमें काफी धांधलीबाजी होती है और यह कदापि नहीं देखा जाता है कि जो एन० ओ० सी० इण्डस्ट्रीज को दे दी गयीं हैं, यह इण्डस्ट्रीज उनके अनुपालन में वह अपनी पाल्यूशन कंट्रोल के इक्युमेंट का इस्तेमाल कर रहीं हैं या नहीं यह नहीं देखा जाता है। दूसरे मान्यवर, हमारा मथुरा जिला जिसमें धुवां निकलने वाले उद्योगों पर पाबंदी ताजमहल की वजह से लगा दी है, जब कि मान्यवर, वहां पर जो छोटे-छोटे पिट और फरनेस व जनरेटर्स पर बैन लगा दी गयी हैं, वर्धराजन रिपोर्ट के आधार पर।

इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्धराजन रिपोर्ट के तैयार होने के वक्त मथुरा और आगरा जिले का प्रतिनिधित्व नहीं था, इसलिए यह रिपोर्ट एक तरफा हो जाती है और मथुरा जनपद से निकलने वाले धुएं का असर आगरे पर नहीं होता है दूसरे मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक तरफ तो विद्युत की सही सप्लाई नहीं होती है और दूसरी तरफ जैनरेटर्स पर पाबंदी है, इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर जैनरेटर्स की पाबंदी को तुरन्त हटाया जाए। दूसरे मान्यवर, हमारा क्षेत्र मथुरा और बृन्दावन एक धार्मिक नगरी है, वहां का परिक्रमा मार्ग है, उस पर जो लाखों तीर्थ यात्री परिक्रमा लगाते हैं वहां पर जबर्दस्त गंदगी है जो नर्क जैसी लगती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां के लिए अधिक से अधिक बजट एलोकेट करिये ताकि जो सम्पर्क एवं परिक्रमा मार्ग निर्माण का काम वहां हो सके, वह यात्रियों के लिए सुखदायक साबित होगा। साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि ताजमहल से दिल्ली की ओर मथुरा में ८० कि मी० तक धुवां छोड़ने वाले उद्योगों के लिये जो बैन लगाया गया है, उसे ५० कि० मी० कर दिया जाए ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाये जा सकें। अंत में मैं माननीय मुख्य मंत्री द्वारा दिए गये बजट भाषण में जो यमुना प्रदूषण का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रघुवर दयाल बर्मा—

मान्यवर, आपके लिये धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने बजट अनुदान पर बोलते हुये पर्यावरण, प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा प्रस्तुत की जिससे प्रदेश के करोड़ों लोगों के जन जीवन से जुड़ा सवाल है। मान्यवर, प्रदूषण और पर्यावरण से वायु प्रदूषण आदि नदियों के पानी और जलवायु पर बुरा प्रभाव पड़

रहा हैं । कारखानों का गंदा पानी नगर-पालिकाओं, टाउन एरियाओं आदि का गंदा पानी मल-मूत्र नदियों को गंदा करने और कारखानों की चिमनियां वायु प्रदूषण पैदा कर रही हैं । माननीय मंत्री ने बताया कि उनके मातहत १० हजार कारखाने माननीय मंत्री जी ने गिनाया । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जितने कारखाने हैं, उन कारखानों में उत्प्रवाह निस्तारण संयंत्र लगाने के लिए, उत्प्रवाह निस्तारण के लिए कितने कारखानों ने सहमति पत्र और सहमति शुल्क जमा किया ? आज भी हमारे फिरोजाबाद में ऐसे अनेक कारखाने हैं, जिन्होंने आज तक न सहमति पत्र दिया हैं और न सहमति शुल्क जमा किया हैं । नगर-पालिकाओं, टाउन एरिया आदि जल प्रदूषण कानून के तहत उनके नियंत्रण में नहीं आती हैं और नियंत्रण से बाहर रह कर काम करती हैं । यह जल प्रदूषण कानून के तहत अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाई और जल-प्रदूषण बोर्ड जो हैं, यह सक्षम नहीं हैं कि वह सहमति पत्र और सहमति शुल्क प्राप्त कर पावे और कोई जल निस्तारण उपकरण ले सके और इस कानून के तहत नगरपालिकाओं को ला सके ।

यमुना में जो नगरमहापालिका का मल-मूत्र का पानी जा रहा हैं, उससे यमुना जी में जल प्रदूषण हो रहा हैं । तो मैं माननीय, कहना चाहूंगा कि आगरा जहां इतने पर्यटक आते हैं, वहां जल प्रदूषित हैं और उनके ऊपर इसका प्रतिकूल असर पड़ता हैं । मथुरा और वृन्दावन के साथ ही धार्मिक स्थान हैं बटेश्वरनाथ, जिसे आप भूल जाते हैं, जहां पर बटेश्वरनाथ जी का मेला लगता हैं, एक लाख लोग वहां पर स्नान करते जाते हैं । मथुरा से लेकर बटेश्वर नाथ जी तक जमुना का स्वत: जल नहीं हैं, बल्कि गन्दे नाले का ही पानी हैं, वह फैक्टरियां और टेनरियों और मथुरा के धोती की छपाई के कारखाने का ही गंदा पानी हैं । ऐसा सरकार ने मेरे गत विधान सभा के प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया हैं कि यह पानी जमुना जी का नहीं हैं, बल्कि गंदा पानी हैं, जोकि न नहाने योग्य हैं और न पीने योग्य हैं । इनका जो जल प्रदूषण बोर्ड हैं, उसने इस संबंध में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया हैं । उसमें प्रदूषित पानी आ रहा हैं, उसे रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये हैं । टेनरियां, मथुरा की धोतियों की धुलाई, फैक्टरियों और आगरा के १२ गन्दे नालों का पानी जो गिरता हैं, उनके लिए अब तक आपने क्या कार्यवाही की हैं ? आगरा व टूण्डला के पीने के लिए यही गंदा पानी जमुना जी में बने वाटर वर्क्स के जरिये पीने को लिया जाता हैं और टूण्डला की रेलवे भी इसी पानी को पीने को लेती हैं, जिसमें विदेशी पर्यटक भी होते हैं । आगरा मथुरा और बटेश्वर नाथ तक यमुना का पानी न पीने योग्य हैं और न नहाने योग्य हैं । मान्यवर, जमुना के दोनों तटों पर मथुरा से बटेश्वर तक खारा पानी हैं, जहां पर बसे ५०० से अधिक ग्राम खारा पानी को पी नहीं सकते और यमुना जी के प्रदूषित पानी के पीने के अलावा अन्य कोई साधन उनको नहीं हैं । इन ५०० ग्रामों में मीठे पानी के प्रबन्ध और यमुना जल प्रदूषण को दूर कर जन जीवन को राहत देने की मांग करता हूं । मान्यवर, फिरोजाबाद के कारखानों में जो चिमनी धुंवा फेंकती हैं, वह जल प्रदूषण कानून के अन्तर्गत इतनी ऊंचाई में नहीं हैं, जिससे वायु प्रदूषण रुक सके । चिमनियों के नीचे होने के कारण अनेक बीमारियों जैसे टी० बी०, दमा आदि रोग फैल रहे हैं । उसको एफेक्टिव तरीके से लागू करने का काम किया जाय । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश भर में जितनी नगरपालिकायें और टाउन एरिया और महापालिकायें हैं, जब तक इनके खिलाफ प्रभावी कार्य-वाही नहीं करेंगे और उद्योगों को उस जल उत्प्रवाह के निस्तारण संयंत्र और

अन्य उपायों को नहीं लगायेंगे, तब तक यही जो आपको जल प्रदूषण का बजट मिला है, वही काफी है ।

श्रीमन्, जल प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को आप हल्के ढंग से न लें । यह जन-जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है । इस जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के प्रश्न को जोड़ कर, आज ताजमहल के प्रदूषण को लेकर आगरा को उद्योग रहित घोषित किया जा रहा है, जिससे लाखों लोग बेकारी के मुंह में ढकेले जा रहे हैं । आपने आगरा से समस्त उद्योग की योजनाओं को हटा कर दूसरे स्थानों को दे दिया है । ऐसे उद्योग आगरा में लगायें जो प्रदूषण रहित हों, जैसे एलेक्ट्रानिक आदि उद्योग लगाना आगरा के हित में होगा । मान्यवर, ताज से प्रदूषण के नाम पर आगरा के लाखों लोगों को उद्योग रहित रख कर भूखा मारने का षड़यन्त्र है । मैं कहना चाहता हूं वायु प्रदूषण से आगरा ताजमहल पर क्या आंच आ रही है ?

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठिए, आपका समय समाप्त ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, जितनी कमेटियां ताजमहल के प्रदूषण के मामले को लेकर बैठीं . . . उन्होंने विशेषज्ञों की राय नहीं ली और अध्ययन भी नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

यह आगरा को उद्योगविहीन बनाने का षड़यन्त्र आपके अधिकारी कर रहे हैं । मेरा निवेदन है कि आप प्रदूषण की जांच के लिए पुन: एक कमेटी बनाकर यहां की स्थिति को सुधारने की कृपा करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का स्वागत करता हूं ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, आपने मुझे साइंस टेक्नालाजी एवं पर्यावरण से सम्बन्धित मामले पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जहां तक साइंस टेक्नालाजी और पर्यावरण के सुधार की बात आती है इसमें सन्देह नहीं है कि भारत में इन चीजों की ओर ध्यान आकर्षित करने का काम सबसे पहले कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लोगों द्वारा किया गया । पर्यावरण विभाग और साइंस टेक्नालाजी को इतनी अहमियत दी गई, उसके स्वतन्त्र विभाग कायम किए गये, लेकिन जो महत्व लीडरशिप ने इसको दिया, उसके मुताबिक कार्य नहीं हो पा रहा है । मान्यवर, चाहे साइंस टेक्नालाजी की बात कर लें चाहे पर्यावरण के सुधार की बात कर लें, ऊर्जा के वैकल्पिक श्रोत हैं उसकी बात कर लें मैं समझता हूं कि हमारा विभाग उसके अनुरूप नहीं बन सका है । मान्यवर, जीवन का आंकलन प्रदेश में ऊर्जा की उपलब्धि से किया जाता है । सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रोग्राम निकाला है, लेकिन इसको १४ जिलों तक सीमित रखा गया है । मेरा मन्त्री जी से आग्रह है कि इस प्रोग्राम को हर जगह किया जाए ताकि वैकल्पिक ऊर्जा की सबको जानकारी प्राप्त हो सके । पर्यावरण पर यहां पर कई दफा चर्चा हो चुकी है यह एक महत्वपूर्ण मामला है ।

मान्यवर, पहले होता यह था कि गांव में डकैती पड़ रही है तो मन्त्री जी शहर में रह रहे हैं, इससे मन्त्री जी बच जायेंगे, लेकिन मान्यवर, पर्यावरण और प्रदूषण की बात इससे ऊपर उठकर है । हर व्यक्ति इससे प्रभावित होने जा रहा है और हो रहा है । खेद की बात है मान्यवर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात है यह नोटिस तो जरूर देंगे, लेकिन जो छोटे लोग हैं जो भूसी जला

येंगे, उससे पैसा बटोरने के लिए नोटिस देंगे। जो बड़े-बड़े रसायनिक कारखाने हैं वह नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं अब तो भूमिगत जल भी प्रदूषित हो रहा है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। मान्यवर, बिलखनी डिस्टलरी जो है यह सहारनपुर में स्थित है, इसके आसपास के १०—१५ गांव ऐसे हैं, जहां भूमिगत जल भी दूषित हो गया है अगर आप वहां रुकेंगे तो आपको भी वही पानी पीना पड़ेगा। डिस्टलरी का गंदा पानी कच्चे सोकपिट में भरा जाता है जिससे भूमिगत जल को स्थायीरूप से प्रदूषित कर, दिया गया है। अब वह कैसे साफ होगी ? मान्यवर, १९८४-८५ में १५२६ जल के नमूने एकत्रित किये गये जिसमें से केवल १० पर कार्यवाही की गई।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री जयदीप सिंह बरार—

८५-८६ में १५६२ नमूने एकत्रित किये गये जिनमें से केवल २१ पर कार्यवाही की गई। मान्यवर, यह विभाग खुद कार्यवाही नहीं कर रहा है। माननीय मंत्री जी इस नियंत्रण बोर्ड पर आप नियंत्रण करें। इसमें ऐसे लोगों को सदस्य बना रखा है जो बड़ी-बड़ी महापालिकाओं के प्रशासक हैं। वह खुद प्रदूषण करते हैं। ५ सदस्य वह हैं, नगरपालिकायें खुद दोषी हैं। इसमें दूसरे लोगों को रखे जो प्रदूषण नहीं कर रहे हैं जिनका दूर का भी सम्बन्ध प्रदूषण से नहीं। वायु प्रदूषण की समस्या है। माननीय विद्युत मंत्री जी यहां बैठे हैं, तापीय विद्युत गृहों से बहुत प्रदूषण होता है, इलेक्ट्रोप्रेसीपिटेटर लगाने के आदेश दिये गये, लगा भी दिये गये लेकिन चलाया नहीं जाता है इनके कितने चालान नियंत्रण बोर्ड ने किए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप छोटे लोगों को भूल जांय। जो १० करोड़ से ऊपर की फैक्टरी हैं तथा प्रदूषण कर रही हैं, उनको नियंत्रित कर लेंगे तो नीचे वाले अपने आप नियंत्रित हो जायेंगे। मान्यवर, इस विभाग का काम प्रदूषण बचाने की है, साइंस तथा टेक्नालोजी का है लेकिन इनका जो साहित्य है, उसमें लिखा है कि अरहर में क्या बीमारी लग रही है इसकी रिसर्च हो रही है, मूंग की जड़ में क्या बीमारी है, इसकी रिसर्च हो रही है। यह कार्य कृषि विश्वविद्यालयों का है, वह इसको अच्छी तरीके से कर रहे हैं।

आपके विभाग को जो जानकारी लोगों को देनी चाहिये, जैसे निरधुम चूल्हे पर अच्छा काम हुआ, उसी पर और काम करें। ऐसे कार्यों पर पैसा खर्च न करें जो दूसरे अनुसंधान संस्थाओं द्वारा किये जा रहे हैं। अन्त में मैं मान्यवर, कहना चाहता हूं कि साइंस एवं टेक्नोलोजी को जो आज मानते हैं वह मानते हैं जो नहीं मानते हैं वही नहीं मानते हैं। इसको आपको पापुलर करना चाहिये। डाकूमेन्ट्री आप बनाते हैं, उसको कौन देखता है ? चन्द अधिकारी और माननीय सदस्य देख लेते हैं। इसको आप स्कूलों में शामिल करायें ताकि हम लोग न कर सकें तो आने वाली पीढ़ी तो इस समस्या का समाधान कर सके।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने आज सदन में घोषणा की कि बहुत जल्दी ही ध्वनि प्रदूषण अधिनियम लाया जा रहा है। हालांकि मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि घोषणाएं यदि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ही की जांय तो ठीक है, अन्यथा उनकी व्यक्तिगत तस्वीर सरकारी वादे के साथ धूमिल हो जायेगी। मान्यवर, जल प्रदूषण बोर्ड केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत है, वायु प्रदूषण बोर्ड केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत है तो ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में नियम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कैसे सूबे की सरकार बना देगी ? हम सभी जानते हैं कि आप स्पष्टीकरण दे देंगे, लेकिन एक बात कहूंगा कि सरकार को वादे की याद रखना चाहिये, यदि सरकार वादा खिलाफ सरकार नहीं है तो। वैसे सुबह कह कर शाम को भूल जांय तो कोई बात नहीं है। इसी सदन में एक अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा गया है कि जल प्रदूषण से सम्बन्धित मामलों को निपटाने के लिये विशेष न्यायालयों को गठित करेंगे, लेकिन बिशेष न्यायालयों का गठन अब तक नहीं हो पाया है। मैं समझता हूं कि प्रदेश की सरकार पर पूंजीपतियों का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है कि उनके जो मामले न्यायालय में लम्बित हैं, वे अनन्त काल 'तक लम्बित रहें और बिशेष न्यायालयों का गठन न हो सके और उन पर ध्यान न दिया जा सके, यह दबाव डाल रहे हैं। बिशेष न्यायालय न बनें और नहीं तो कार्यवाही हो जायेगी, इसलिये बिशेष न्यायालय नहीं बन रहे हैं।

दूसरी बात मान्यवर, इस बिभाग को महत्वपूर्ण बनाएं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड तो महत्वहीन हो गया है और जल प्रदूषण में गंगा के प्रदूषण के बारे में सरकार को कुछ नहीं कहना चाहिये, क्योंकि सरकार के जरिये से कोई काम नहीं हो रहा है। हम भी चाहते हैं कि प्रदूषण खत्म हो और कहते हैं कि प्रधान मंत्री भी चाहते हैं कि प्रदूषण खत्म हो। इस बात का दावा कोई नहीं कर सकता कि इसको खत्म करने के लिये कांग्रेस पार्टी ही है। और भी पार्टियां हैं। इस देश में और भी अनेक ऋषि, महर्षि और राजनीतिक नेता हुए हैं। जिन्होंने इन नदियों को साफ करने का आह्वान किया है। लेकिन खुशी है कि राजनीतिक स्तर पर इसको लिया जा रहा है। हम भी गंगा और यमुना के प्रदूषण की सफाई की मांग करते हैं, लेकिन यह मानकर चलते हैं कि हिन्दुस्तान की नदियों को साफ करने के लिये किसी विदेशी टेक्नालाजी की जरूरत नहीं है। हिन्दुस्तान की नदियों को साफ करने के लिये विदेशी नीति को आयात करने की जरूरत नहीं है। इसके लिये फ्रांस और हालैंड से २५० करोड़ रुपया लिया जा रहा है। इसको पांच साल में खर्च करने की बात है। लेकिन यह खर्च केन्द्रीय सरकार ने नहीं किया और उसमें कटौती करके उसे ८० करोड़ कर दिया और चालू वर्ष में इसको ३० करोड़ से घटाकर १० करोड़ कर दिया। विदेशों से पैसा मंगाकर काम करने की आदत पड़ गयी तो गंगा को साफ करने की भावना नहीं रह जायेगी। इसमें उत्तर प्रदेश के १२ करोड़ लोगों का सहयोग लिया जाय और हो सके तो कार सेवा के लिये कार्यक्रम बनाया जाय। गंगा को साफ करने के लिये करोड़ों लोग तैयार हो जाएंगे। फ्रांस और बेल्जियम से तकनीक लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि बेल्जियम की महारानी को बुलाकर आपने बनारस के लिये ४५ करोड़ रुपया लिया, तकनीक आयातित की है, लेकिन हिन्दुस्तान वह देश है जहां भूमि में पानी रहता है, पर सतह पर पानी कम है। लेकिन दुनिया में २४ प्रतिशत स्थानों में भूगर्भ के अन्दर पानी है और ०.३३ प्रतिशत पानी है। तो सरकार उस देश से तकनीक आयात कर रही है जहां भूमिगत जल मिलता है, यहां यह आयातित नीति नहीं चलेगी। इस तकनीक के बारे में मैं चाहूंगा कि फिर विचार कर लिया जाय। ऐसा न हो कि इस आयातित नीति से साल-दो साल के बाद असफलता देखने को मिले। आपने ४५ करोड़ रुपया बनारस के लिये लिया है लेकिन आज तक बनारस में गंगा को साफ करने के लिये कोई भी मास्टर प्लान, एक्शन प्लान या महायोजना नहीं बन पायी है। उसका दफ्तर दिल्ली में है जबकि उसका दफ्तर लखनऊ में होना चाहिये, बनारस में होना चाहिये। अगर गंगा के प्रदूषण को दूर करना है, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण को

स्वच्छ बनाना है तो जो बोर्ड बना है, उसको आप मजबूत कीजिये । बोर्ड तो मान्यवर, इनका सफेद हाथी बन गया है । बोर्ड को तो मान्यवर, इन्होंने एक तरफ सफेद हाथी बना दिया है, दूसरी तरफ आप विदेशी नीति के जरिये प्रदूषण दूर करने की बात कर रहे हैं ।

मान्यवर, इनके बोर्ड की हालत यह है कि उसके पास पैसा नहीं है कि किसी को नोटिस दे सके, मुकदमा कायम कर सके । इसलिये सबसे पहले आप बोर्ड को मजबूत कीजिये । इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि गंगा का जो प्रदूषण है बनारस में, वहां एक बसंत पेपर मिल है, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट नदी में जा रहा है, मान्यवर, वह प्रदूषित जल उससे हो रहा है उसका पानी पीने के लिये और स्नान करने के लिये खतरनाक होता जा रहा है । सरकार को चाहिये कि तत्काल बोर्ड के जरिये बसंत पेपर मिल को एक नोटिस दी जाय । उसके जल का परीक्षण कराया जाय मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उसने अभी तक ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं लगाया है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय यदूनाथ सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं ।

श्री अमिताभ लवानिया—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, स्व० नेता संजय गांधी जी ने आगरा में जो जल प्रदूषण होता है, उसके बारे में एक प्रस्ताव पेश किया था कि ताजमहल के पास एक झील बनायेंगे । इन दिनों गर्मी के मौसम में जमुना का पानी बिलकुल खत्म हो जाता है, वाटर वर्क्स वहीं से पूरे शहर को पानी की सप्लाई देता है । प्रदूषित जल से बचाने के लिये यह तय हुआ था कि ताजमहल के पास एक झील बना दी जाय और उस झील से १२ महीने आगरा वासियों को पानी दिया जाय । पीने के लिये, मान्यवर, ताजमहल शाही मुहब्बत का प्रतीक है, उस पर प्रदूषण का असर हो रहा है । वहां का श्वेत संगमरमर का पत्थर काला होता जा रहा है, उसको किस प्रकार से बचाया जाय, इस पर भी विचार हुआ था और वहां पर बनों के द्वारा वहां के पर्यावरण को बचाने के लिये एक वृहत योजना भी बनायी गयी । लेकिन, आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ । मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मथुरा-दिल्ली से जो पानी आता है, वहां जो धोतियों का उद्योग है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट नदियों में जाता है, उसकी वजह से आगरा के लोगों को लाल पीला पानी पीना पड़ता है । आगरा से मथुरा-बाह तक पानी जाता है, जहां पर २-३ मेले भी होते हैं । वहां लोगों को प्रदूषित पानी पीना पड़ता है । इसके अतिरिक्त यह भी कहना चाहता हूं कि मल्लाह जाति के लोग जो किनारे-किनारे रहते हैं, वे बेचारे इसका प्रदूषित जल पी-पी कर तमाम बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं । मान्यवर, आपके माध्यम से मेरी यह गुजारिश है कि इस योजना को अमल में लाया जाय ताकि आगरा की जनता को अच्छा जल पीने के लिये उपलब्ध हो सके ।

मान्यवर, फाउंड्री नगर की बाबत भी मैं कहना चाहूंगा कि आगरा-अलीगढ़ रोड पर जितनी फाउंड्रीज हैं, उनका जो धुंआ निकलता है, उसके प्रदूषण का असर वहां के जनजीवन पर पड़ता है । उस फाउंड्री नगर को अलग स्थापित किये जाने के संबंध में जो योजना बनी थी, उस पर भी सख्ती से कार्यवाही नहीं की गयी वह फाउंड्रीज आज भी वहीं मौजूद हैं । मान्यवर, ट्रांसपोर्ट के बारे में यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र ने एक वेहिकल्स एक्ट पास किया है जिसके जरिये जो वेहिकल्स ज्यादा धुआं देते हैं, आपरेशन के नजदीक हैं, उनका

चालान किया जाता हैं । मेरी यह गुजारिश हैं कि उस तरह के एक्ट को यहां पर भी लागू किया जाय ताकि जो वाहन ज्यादा धुआं देते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाकर, जो वायु प्रदूषण होता हैं, उस पर रोक लगाई जा सके । मान्यवर, फतेहाबाद क्षेत्र में काफी पोखरे हैं । वे पोखरे गांवों के प्रदूषण के काफी स्त्रोत बन गये हैं । इस कारण मच्छर इत्यादि पैदा हो जाते हैं । जमुना नदी के पास ही एक कीटम झील हैं, जिसमें एक प्रकार की घास उग गई हैं, जिससे प्रदूषण की गम्भीर समस्या पैदा हो गयी हैं । इसी प्रकार शेरशाहसूरी मार्ग नम्बर-२ पर बूड़िया का ताल पड़ता हैं, जो काफी बड़ा हैं, आस-पास के लोग उससे पेयजल प्राप्त करते हैं । मेरा मंत्री जी से अनुरोध हैं कि इन दोनों झीलों, कीटम झील और बूड़िया का ताल के पानी को पेयजल के अमल में लाने के लिये विशेष अनुदान देकर साफ व अच्छा करने का कष्ट करें और जो विशेष घास इसमें उग आई हैं, उसे उन्मूलन करने का सतत प्रयास करने की कृपा करें । धन्यवाद ।

★श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए अवसर दिया । मान्यवर, बड़े जोर-शोर से जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की वार्ता यहां पर हो रही हैं । जैसा माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि प्रदूषण एक विकराल समस्या हैं । भोपाल की त्रासदी को तो हम देख ही चुके हैं । आशंका इस बात की हैं कि कहीं यह दुर्घटना फिर न हो जाय । मैं इसलिये भी कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, जिस प्रकार जल प्रदूषण हो रहा हैं, उसी प्रकार सम्भवतः उत्तर प्रदेश के प्रशासन व मंत्री-परिषद में भी प्रदूषण छा गया हैं ।

मान्यवर, जो व्यवस्था इस सरकार ने की हैं, उससे तो कुछ होने वाला हैं नहीं । यह एक इतना महत्वपूर्ण विभाग हैं कि केन्द्र में प्रधान मंत्री जी ने इसे अपने पास रखा हैं और प्रदेश में मुख्य मंत्री जी ने अपने पास रखा हैं । मान्यवर, विडम्बना इस बात की हैं कि यह विज्ञान और पर्यावरण वाला विभाग विशेषज्ञों का विभाग हैं । माननीय प्रधान मन्त्री जी ने जिस दिन घोषणा की कि पर्यावरण के जितने संस्थान हैं, उनमें आई० ए० एस० और पी० सी० एस० आफिसर्स को न रखा जाय, उसी दिन उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक उर्जा संस्था में दो आई० ए० एस० आफिसर्स नियुक्त किये गये । केन्द्र में आप देखें, जितने भी वैज्ञानिक संस्थान हैं, उनके विभागाध्यक्ष सचिव कहलाते हैं, लेकिन वे प्रख्यात वैज्ञानिक होते हैं । उदाहरण के लिए सी० एस० आई० आर० में डा० वर्धराजन, आई० सी० ए० आर० में डा० रनधावा डी० एस० टी० में डा० यशपाल, एटामिक एनर्जी विज्ञान में डा० सुधना, गैर पारिस्थिक ऊर्जा स्त्रोत में डा० महेश्वर दयाल और आई० सी० एम०आर० में डा० प्रमोद हैं । इसके विपरीत हमारे यहां कोई भी ऐसा संस्थान नहीं हैं जहां किसी वैज्ञानिक को नियुक्त किया गया हो और या फिर जिसने शोध कार्य किया हो । पर्यावरण निदेशक जो हैं, वह सिविल इन्जीनियर हैं, उनके पास किसी भी शोध कार्य का अनुभव नहीं हैं । प्रदूषण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वह सिविल इन्जीनियर हैं, उनके पास कोई शोध कार्य का अनुभव नहीं हैं । यदि आप प्रदूषण को दूर करना चाहते हैं तो आप उन स्थानों में विशेषज्ञों को रखें ।

जल प्रदूषण की बात कही गई । बड़े-बड़े जोर-जोर से उद्घोषणायें की गई कि माननीय राजीव गांधी जी ने पहली बार गंगा को शुद्ध करने की बात कही । मैं श्री शतरुद्ध प्रकाश जी का समर्थन करता हूं कि आप टेक्नोलाजी को इम्पोर्ट न करें । हमारे शास्त्रों में कहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया है कि- "नद्यः वेगः शुध्दते" यानी नदी वेग से शुद्ध होती है । उसके वेग में जो कमी हो गई है, उसको तेज करने की जरूरत है, जिससे नीचे का स्रोत ऊपर आ सके । दूसरे प्रकार से अगर सफाई करेंगे तो गन्दगी का आना बन्द नहीं होगा, पानी गन्दा होता रहेगा । गंगा और यमुना का जल कम हो रहा है, जिससे ये नदियां सिमट कर नालों का रूप धारण करती जा रही है । नदियां छिछली होती जा रही हैं, उसको गहरा करने की आवश्यकता है ।

फर्रुखाबाद के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि वहां पर प्रदूषण की विकट समस्या है । वहां पर छपाई का कार्य होता है, कपड़ों की छपाई में एक ऐसा केमिकल प्रयोग किया जाता है जो न केवल स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है बल्कि "प्वाइजन" है । उसकी रोक-थाम की कोई व्यवस्था नहीं है । अभी तक फर्रुखाबाद एक ऐसा स्थान है कि हरिद्वार से चलकर प्रदूषण गंगा में सर्व-प्रथम प्रारम्भ होता है । जहां पर प्रदूषण का उद्गम है, वहां विशेष ध्यान देना चाहिये । लेकिन प्रदूषण दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है, हजारों रुपया खा लिया गया है । इसी के साथ ही मैं मा० यदूनाथ सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी—

मान्यवर, पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को कि उस दिशा में एक प्रयास शुरु हुआ है हमारे प्रधान मंत्री के नेतृत्व के अन्तर्गत जिस दिशा में काफी कुछ होना बाकी है । अभी इस पक्ष के माननीय सदस्यों ने और उस पक्ष के माननीय सदस्यों ने काफी जोर दिया कि जितनी धनराशि का आवंटन इस बजट में इस विभाग को किया गया है, वह काफी कम है और सम्भवतः यही कारण है कि कटौती का प्रस्ताव रखने वाले माननीय यदूनाथ सिंह जी ने भी शुरू में प्रस्ताव भले ही पढ़ा हो लेकिन बाद में उन्हें भी संकोच और हिचक रही यह कहने में कि १/-रु० किया जाय, वे जानते हैं कि इसमें और रुपयों की आवश्यकता है ।

गंगा प्रदूषण निवारक बोर्ड की बात की गयी, माननीय शत्रुघ्न प्रकाश जी ने की । जहां तक मेरी जानकारी है दिल्ली में इस सम्बन्ध में जो मीटिंग हुई, उसका निष्कर्ष यह था कि सबसे अच्छा काम उत्तर प्रदेश में किया गया । जिस बात को केन्द्र सरकार ने स्वीकार किया है और बधाई दी है, हमारा सबका कर्तव्य है कि हम बधाई दें प्रदेश शासन को कि गंगा प्रदूषण निवारण का काम ठीक ढंग से हो रहा है और उम्मीद यह करें कि इस काम को और तेजी से पूरा किया जाय । आज जो विज्ञान प्रगति कर रहा है, उद्योग बढ़ते जा रहे हैं, आज बड़े-बड़े शहरों में जाने दीजिये, छोटे-छोटे शहरों में बसों से फैला हुआ प्रदूषण, कारखानों का प्रदूषण, यह सब ओर है, जहां पर कि और तेजी से काम किये जाने की आवश्यकता है । मैं समझता हूं कि उस पक्ष के जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं, सबने यह बात कही है, हमारे नेता राजीव गांधी ने जिस दिशा में कदम बढ़ाया है, उसकी प्रशंसा भले ही जबान से न कहें, लेकिन दिल से महसूस कर रहे हैं । एक बिन्दु की तरफ भाई यदूनाथ सिंह जी ने और शतरुद्र प्रकाश जी ने ध्यान आकर्षित किया है, जो हमारे बोर्ड है, उनके जो निदेशक हैं, वे आई० ए० एस० अफसर क्यों है ? केवल यह कहना कि कोई तकनीकी आफिसर नहीं है, यह बहस का बड़ा मुद्दा नहीं है, इस पर काफी विचार पहले भी हो चुका है और आगे भी किया जा सकता है । जहां तक प्रबन्धक का प्रश्न है, यह कोई आवश्यक नहीं है कि वह विषय विशेष का ज्ञाता हो । बहुत से ऐसे कार्य हैं जहां प्रबन्धक विशेषज्ञ नहीं होता है लेकिन उसने फिर भी काम अच्छा किया होता है । काम में यदि

तेजी हैं तो तकनीकी हो या तकनीकी न हो, इस बात की कोई आवश्यकता नहीं रहती हैं ।

आज पावर की कमी हैं, आज बिजली की कमी हैं । तो इस विभाग की उपादेयता और उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिये कि कैसे इसकी उपादेयता बढ़ सकती हैं । मैं बरार जी के विचारों से सहमत हूं और उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं कि गांव में हर ब्लाक के हेड क्वाटर पर इस तरह की योजनायें चलायी जाय जिससे कि गांव-गांव में बिजली के उत्पादन की बात हो चाहे वह सौर ऊर्जा की बात हो, चाहे वह पवन ऊर्जा की बात हो जिससे कि वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था हो सके. इससे बड़ लाभ होगा ।

इस विभाग के द्वारा जो शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने की बात हैं जो वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने की बात हैं. निश्चित रूप से जो बात प्रशंसनीय हैं श्लाघनीय हैं. उसकी प्रशंसा करनी चाहिये । मैं कहना चाहूंगा कि जो चीज प्रशंसा के योग्य हैं. उसकी प्रशंसा करनी चाहिये. विभाग में कोई कमी हो तो उसकी बात दूसरी हैं ।

. एक बिन्दु पर मा० बरार जी ने और कहा था कि हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले क्षात्रों को भी इस पर्यावरण के बारे में अधिक से अधिक शिक्षा देने का प्रयास किया जाना चाहिये और उनके पाठ्यक्रमों में भी अधिक से अधिक इसकी जानकारी दी जानी चाहिये जिससे कि आने वाला हमारा भारत जागरूक हो और सचेत रहे आवश्यक हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि एक स्वर से पूरा सदन न केवल समर्थन करेगा वरन् यह कहेगा कि और बजट चाहिये और साधन चाहिये जिससे कि इसका तेजी से विकास हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको भी धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

हमें इसे अब समाप्त करना हैं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, केवल दो मिनट ।

श्री फरीद महफूज किदवई—

दो मिनट हमको बोल लेने दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं, अब मैंने यदुनाथ सिंह को बुला लिया हैं ।

श्री फरीद महफूज किदवई—

मान्यवर, यह जो पल्यूशन की समस्या हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

नहीं आप बैठिये, मा० यदुनाथ सिंह जी खड़े हो गये हैं ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, अभी जो विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों के विचार आये हैं, समालोचनायें आयी हैं और सुझाव आये हैं उसके अनुसार तो ऐसा लगता हैं कि इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ मिनिस्टर और उनके कैबिनेट के लोग कुछ सोचेगे, लेकिन फिर भी कुछ सवाल और सुझाव मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं । गत वर्ष पी० एल० ए० में ८० लाख रुपया जमा कर दिया । एक निदेशक ने पर्सनल निजी खाते में ८० लाख रुपया जमा कर दिया, क्या कारण था । बिठूर, बृजभूमि और देवा शरीफ की जगह और कहीं पर कार्य क्रम लाना चाहते हैं, इस पर आप प्रकाश डाल देंगे । इलाहाबाद में बेल्जियम किंग क्वीन आये थे, प्रदूषण के बारे में शतरुद्र जी ने कहा और बरार जी ने कहा तथा और कई माननीय सदस्यों ने कहा

उससे ऐसा लगता है कि आन्दोलन की जरूरत है, एक जन आन्दोलन की जरूरत है, इसके लिये भगीरथ प्रयास करना है। गांधी ने कहा, लोहिया ने कहा, जयप्रकाश नारायण ने कहा, कबीर ने कहा और बहुत से लोगों ने कहा कि प्रदूषण पर नियन्त्रण किया जाये। गंगा माई की जै कहने वाले बहुत से लोग हैं, जमुना माई की जै कहने वाले बहुत से लोग हैं, हिन्दू और मुसलमान सभी लोग गंगा को पवित्र मानते हैं और इनकी पवित्रता सभी में महत्व रखती है, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि गन्दगी करने में यह पीछे नहीं है। जो भी संस्कार होता है, चाहे जन्म हो शादी विवाह हो चाहे अन्तिम संस्कार हो मैं देखता हूं कि गंगा नदी का सहारा लिया जाता है और उसमें गन्दगी फैलायी जाती है। गंगा माई की जै की जाती है, जमुना माई की जै की जाती है, परन्तु प्रदूषण के लिये यही लोग जिम्मेदार है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मनु की कल्चर सभी को नहीं है, एग्री-कल्चर इज अदर कल्चर है, कृषि ही संस्कृति है। हम दर्शन का सहारा लेते है, जे० कृष्णामूर्ति एक दार्शनिक थे, पढ़े नहीं थे, परन्तु उनका दर्शन माना जाने वाला था, मान्यवर, सफाई और प्रदूषण के बारे में जो उनके विचार है, वह आज भी पढ़ने योग्य है। प्रधान मंत्री भी उन्हीं के पद चिन्हों पर आज चल रहे है, उन्हीं से प्रेरणा ले रहे है और प्रदूषण के बारे में अपने कार्यक्रम उन्हीं के आधार पर रख रहे है। मान्यवर, आई० ए० एस० को बैठाने का सूचनात्मक निर्देश नहीं है, फिर उसको हर जगह पर बैठा दिया जाता है, चाहे वह एअर प्रदूषण बोर्ड हो या वाटर प्रदूषण बोर्ड हो। मैं चाहूंगा कि आप बतायें कि बनारस, कानपुर, मथुरा, आगरा और इलाहाबाद में कितने मुकदमें ऐसे है तो इस सम्बन्ध के सेस ट्रायल में है। कितने मुकदमें है, जो प्रदूषण के है या गैर प्रदूषण के है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि ४६ पर कारगर कार्यवाही की गयी है। श्री बरार साहब ने कहा कि इ० एस० पी० कारखानों में काम नहीं करता है। मैं कहना चाहता हूं कि सीमेंट फैक्टरी चुनार में भी इ० एस० पी० काम नहीं करता है, जिसके कारण सैकड़ों गांवों में सीमेंट डस्ट फैलता है, और वे इसके प्रदूषण से प्रभावित है। मान्यवर, गोमती में पेपर और लुग्दी के कारखाने से प्रदूषण हो रहा है तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप हमारी इन बातों पर विचार करें और सोचें कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा सकती है। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री राम अंतार दीक्षित—

मान्यवर, सबसे पहले तो मैं अपने मित्र शतरुद्र प्रकाश जी को यह बताना चाहता हूं कि यह केवल केन्द्र का विषय नहीं है, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह महसूस किया है और इसलिये उस पर कार्यवाही चल रही है। केन्द्र सरकार वही नियम बनाता है जो सब राज्यों के लिये होते है। हमारे राज्य में इस समय ध्वनि की समस्या है इसलिये मैं उसकी ओर अग्रसर हूं। दूसरी बात अभी हमारे फर्रुखाबाद के सदस्य श्री द्विवेदी जी ने कहा कि हमारे यहां सब आई० ए० एस० ही है, ऐसी बात नहीं है, हमारे जो पर्यावरण निदेशक है वह पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में एम० ई० है जिन्होंने प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया था इसके अलावा इंटर नेशनल इनवाइरेन मेन्टल इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएट है। तीसरी बात, माननीय बरार जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, मैं उस बात को पहले नहीं कह सका लेकिन मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि प्रदेश में प्राइमरी और उच्चतर शिक्षा तक पर्यावरण की पाठन सामग्री तैयार की जा रही है इसके साथ ही साथ पोस्टर, फिल्मों कहानियों, लेखों, दूरदर्शन और रेडियों आदि से इसके प्रसार की व्यवस्था की जा रही है

और इसकी एक प्रदर्शनी भी लगायी जा रही है । सांस्कृतिक केन्द्रों की बात कही जा रही है । हमारे माननीय सदस्य इस बात से भली भांति परिचित हैं अपने सीमित संशाधनों में हमने देवा शरीफ और बिठूर को लिया है और वृन्दावन जो मार्ग है, उसको भी लिया है । निकट भविष्य में माननीय सदस्य जो बनारस के बारे में कह रहे हैं, उनकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करूंगा ।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं जैसा कि माननीय सदस्य बरार जी ने कहा कि बड़े-बड़े कारखाने और बड़े-बड़े उद्योगों पर हम कोई कार्यवाही नहीं करते हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि पिलखनी डिस्टलरी सहारनपुर पर बोर्ड द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है । बोर्ड ने अधिकतम मुकदमे बड़े उद्योगों पर चलाये हैं जैसे मोदी डिस्टलरी, मोदी नगर, मोहन मीकिन ब्रूअरी, लखनऊ, हिन्दुस्तान शुगर मिल लखीमपुर खीरी, नारंग डिस्टलरी गोण्डा, शेवान टैनरी कानपुर, कानपुर केमिकल्स कानपुर, करम चन्द थापर पेपर मिल उन्नाव । बोर्ड ने २ स्थानीय निकायों पर भी मुकदमा चलाया है कानपुर और लखनऊ में ।

एक बात मैं माननीय सदस्य बनारस को बताना चाहता हूं कि बसंत पेपर मिल, रामनगर, काफी दिन बन्द रहकर हाल ही में फिर चालू हुई है । उनके बहिस्राव के नमूने की जांच कराई गई और उन्हें प्रदूषित उत्प्रवाह न करने के लिए नोटिस दिया गया है । लखनऊ में एक नक्षत्रशाला भी खोलने जा रहे हैं और हम सामाजिक वानिकी के द्वारा इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हर ब्लाक में, गांव गांव में पर्यावरण दूषित न हो और हरित क्रान्ति ला सकें । अन्त में मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं कि हमारे सीमित संसाधन हैं, माननीय सदस्य भी उससे भली भांति अवगत हैं और इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी हमने कदम बढ़ाये हैं हमने अभी मंजिल पूरी नहीं की है हमारे बढ़ते हुए कदम हैं, इन बढ़ते हुए कदमों में अगर वरिष्ठ सदस्य का सहयोग रहेगा तो हम अपनी मंजिल अवश्य पायेंगें । मैं अपने माननीय सदस्य यदुनाथ जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसे वापिस कर लेंगें ।

(इस समय ६ बजकर २४ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मैं एक बात और बता देना चाहता हूं । माननीय वर्मा जी ने फिरोजाबाद के सम्बन्ध में पूछा था । मैं उनकी सूचनार्थ बताना चाहता हूं कि उन संयत्रों पर कार्यवाही की गई है और उनसे हमने कुछ रुपया भी वसूल कर लिया है । आगे भी हम कार्यवाही करने के लिये प्रेरित हैं ।

श्री सरदार सिंह—

साड़ी की धुलाई के बारे में आपने क्या किया है ?

श्री राम आंतार दीक्षित—

इन्होंने साड़ी उद्योग की बात पूछी है । हमने पिछले वर्ष ही इसको रोकने का प्रयास किया था । वह एक लाख मजदूरों का सवाल है । वे छोटी-छोटी इकाइयां हैं । हमको उनके लिये एक संयुक्त संयत्र की आवश्यकता होगी जिसके लिये हम उद्योग विभाग से बात कर रहे हैं । और निकट भविष्य में उसको लगाने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री फरीद महफूज किदवई—

मान्यवर, मन्त्री जी कृपया यह बतायें कि जो रोडवेज की बसेज हैं वे जो धुंआ छोड़ती हैं, पोल्यूट करती हैं, क्या उनसे भी आपने एक्सप्लानेशन मांगा है, कोई आदेश जारी किये हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

सरकार ने सदन में घोषणा की थी कि वह विशेष न्यायालयों का गठन करेंगी । मैं चाहूंगा कि इतने जनहित के प्रश्न पर ६ महीने हो गये हैं, सरकार ने अब तक विचार नहीं किया है ? तो इस पर कब तक विचार हो जायेगा और न्यायालयों का गठन कब तक हो जायेगा ?

श्री राम आंतार दीक्षित—

मैं इस समय इतना ही कहना मुनासिब समझूंगा कि इस विषय में हम देख रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, मैंने कहा था कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपका जो है उसमें १५ सदस्यों में ८ ऐसे सदस्य हैं जो प्रदूषण करने के लिये स्वयं जिम्मेदार हैं क्योंकि वे स्वयं ऐसी संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं । मैं चाहूंगा कि इस बोर्ड का गठन इस तरह से करेंगे जिससे जो प्रदूषण के स्वयं जिम्मेदार हैं वह व्यक्ति उसमें न रहे अधिनियम में इस बात का प्राविधान है कि जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है तो उसको साफ करने की जिम्मेदारी भी उसी पर डाली जा सकती है । पिलखानी डिस्टलरी ने १० गांवों को डैमेज किया है तो क्या आप उस पर कोई ऐसी कार्यवाही करेंगे और स्वयं अथवा डिस्टलरी द्वारा इन गांवों को स्वच्छ पानी देने की व्यवस्था करायेंगें ? इन दो बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री राम आंतार दीक्षित—

मान्यवर, जहां तक पिलखानी डिस्टलरी पर मुकदमा चलाने का सवाल है, वह चला दिया है हमने । अग्रिम कार्यवाही करने के लिये मुझे विचार करना पड़ेगा । जो भी सम्भव कार्यवाही होगी वह अवश्य की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

वृक्षों के प्रदूषण के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा था वह ठीक बात है । उस पर आप ध्यान देंगे ।

श्री राम आंतार दीक्षित—

माननीय सदस्य शतरुद्र प्रकाश जी ने जो सवाल किया था, उसके सम्बन्ध में जब हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में विचार करेंगे उस समय इस विषय पर भी विचार कर लिया जायेगा । इस तरफ हम कार्यरत हैं ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि प्रदूषण एक ऐसी चीज हो गइ है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण । इसके लिये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर व्यक्ति जिम्मेदार है । कोई इससे बच नहीं सकता । इस सारे परिपेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए क्या आप इस प्रदूषण को क्रिमिनल एक्ट के अन्तर्गत लायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

क्रिमिनल एक्ट में कैसे आ जायेगा ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत जो कार्यवाही की जाती है उसमें अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति परिवाद प्रस्तुत करना चाहता है तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है और उसकी प्रक्रिया बहुत कठिन होती है और सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता होती है तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कोई व्यक्ति जो प्रदूषण से पीड़ित हो परिवाद प्रस्तुत कर सके ?

श्री यदुनाथ सिंह—

एक स्पष्टीकरण मैं भी लेना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो कटौती प्रस्ताव रखा है और उत्तर भाषण आपने दिया है यह आपकी गरिमा के विपरीत है ।

श्री यदुनाथ सिंह—

परम्परा ऐसी रही है लेकिन यदि कटौती रखने वाले सदस्य को कोई बात कहने से रह जाय तो क्या वह नहीं पूछ सकता है ? तो मैं जानना चाहता हूं कि चुनार सीमेंट कारपोरेशन का इ० एस० पी० संयंत्र दो महीने से काम नहीं कर रहा है ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर, गंगा प्रदूषण को तो दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है लेकिन गंगा में कई नदियां मिलती हैं जो प्रदूषित हैं तो उनके प्रदूषण को दूर करने का भी कोई उपाय है ?

श्री गजराज सिंह—

मान्यवर, हमारे यहां हापुड़ में एक चमड़े की पैंठ लगती है जो शहर के नजदीक है उसके प्रदूषण से एक २० करोड़ की कालोनी जो बनी है वह आबाद नहीं होने पा रही है और २० गांव ऐसे हैं जिन्होंने गत चुनावों का भी बहिष्कार किया था तो क्या उस चमड़े की पैंठ को वहां से हटाने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री राम आंतार दीक्षित—

मान्यवर, माननीय सदस्यों को इन सब बातों के लिये प्रदूषण बोर्ड से बात करनी पड़ेगी और मुझे भी बात करनी पड़ेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

उनको बता दीजियेगा ।

माननीय यदुनाथ सिंह जी क्या आप आपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री यदुनाथ सिंह—

साइंस इज ए गुड सरवेंट लेकिन जो उसके कर्ता-धर्ता हैं वे गलत हैं इसलिए मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ६३-विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९८७ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६३-विज्ञान एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ४,७९,४४,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या ५३-वन विभाग

वन राज्य मंत्री (श्री जफर अली नकवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिस से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९८७ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५३-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए ४२,७२,९५,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, हमारे सभी सम्मानित माननीय सदस्यों को वन विभाग की जानकारी हुई होगी कि आज की बदली हुई परिस्थिति में जबकि जनसंख्या की ज्यों ज्यों वृद्धि हो रही है, जैसे-जैसे औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा हो रहा है, हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे वन विभाग का महत्व भी बढ़ता जा रहा है । हम और सभी जानते हैं कि आज

बदले हुए माहौल में वन का कितना महत्व ज्यादा हो गया है जिसके ऊपर विशेष ध्यान देना सभी का कर्तव्य है। वनों द्वारा आज औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत जितने भी कारखाने हमारे चल रहे हैं, चाहे वह कागज का हो या पेंसिल का या टरपेंटाइन फैक्टरी हो यह बनों के आधार पर ही स्थापित किये गये हैं। मान्यवर, इसी संबंध में आज जो प्रदूषण के संबंध में सदन में चर्चा हुई उसको दूर करने के लिए बन विभाग पूर्णत: अपने को समर्पित किये हुए हैं और वन विभाग चाह रहा है कि आज इस प्रदेश के प्रदूषण को समाप्त करने के लिये जो नये कदम उठाने जा रहा है उसके अन्तर्गत हमको एक नया कीर्तिमान अवश्य मिलेगा। हमारी जो वन नीति है, भारत सरकार की, वह ३३ प्रतिशत हमारे वन होने चाहिए लेकिन हमारे प्रदेश में १७ प्रतिशत ही वन हैं किन्तु प्रयास जारी है कि इसको बढ़ावा देकर भारत की वन नीति के ऊपर हम जा सकें।

मान्यवर, आज कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत बनों का महत्व हमारे सामने है जबकि बारिस का होना और जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ावा देना वन नीति के अन्तर्गत आता है और हम इस ओर अग्रसर हो रहे हैं। मान्यवर, जंगलों में भारतीय संस्कृति में ऋषियों मुनियों ने तपस्या की है, पेड़ों की पूजा की है और वनों से प्राप्त जड़ी-बूटियों द्वारा पुराने लोगों ने अपने इलाज किये और आज भी जड़ी बुटियों को दवाईयों के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो यह सब चीजें वनों द्वारा ही उपलब्ध हो रही हैं। मान्यवर, वन विभाग द्वारा आज जो कार्यक्रम निर्धारित किये गये हैं उसके अन्तर्गत २० सूत्री कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लागू है उसमें हमारी वन विभाग एक इकाई है जिसके अन्तर्गत हम चारा पत्ती देकर, लकड़ी देकर, ईधन देकर आज अपने किसानों और ग्रामवासियों को पूरा उत्पादन करके दे रहे हैं।

मान्यवर, पिछली बार ३३ करोड़ पेड़ों का लक्ष्य रखा गया था लेकिन खुशी है कि इस लक्ष्य को ३३ करोड़ से बढ़ाकर ३५ करोड़ पेड़ हमने लगाये हैं, जो एक कीर्तिमान है। मान्यवर, १९८६-८७ में तय किया है कि बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए पर्यावरण को देखते हुए आज हम ७२ करोड़ पेड़ लगाने का हमने अभियान छेड़ा है। भारत सरकार की इसमें एक दिशा-निर्देश हमको मिला है इसलिये प्रयास जारी है कि इतनी बड़ी तादाद में हम पेड़ लगाकर पर्यावरण को सुधारेंगे।

मान्यवर, हमारे सामने हमारे नवजवान प्रधान मंत्री ने आवाहन किया है कि वेस्ट लैन्ड प्रोजेक्ट बनायें और जो पड़ती, बेकार, भूमि पड़ी है उस पर वृक्षारोपण का कार्य करने के लिये हमारे प्रधान मंत्री चिंतित हैं, उन्होंने एक नया टापिक देकर उत्तर प्रदेश में एक नया, वन विभाग ने, प्रोजेक्ट ले लिया है और आशा करता हूं कि वेस्ट लैन्ड के अन्तर्गत भारत सरकार ५० लाख हेक्टेयर जमीन ले रही है और कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश में जो जमीन बची है- नदियों के किनारे, रेलवे लाईन के किनारे, सड़कों और नहरों के किनारे, उसको लेकर वृक्षारोपण करवायें जिससे हम अपने ७२ करोड़ के टारगेट को पूरा कर सकें। इसके साथ-साथ हमने कुछ नई स्कीमें भी शुरू की हैं, इन्हें हमारे वन विभाग ने शुरू किया है। उसमें वेस्ट-लैण्ड की जो स्कीम है, उसमें हमने एक कमेटी गठित की है। प्रदेश स्तर पर ए० पी० सी० उसके अध्यक्ष होंगे, जिला स्तर पर जिलाधीश उसके अध्यक्ष होंगे और ब्लाक स्तर पर उसके अध्यक्ष ब्लाक प्रमुख होंगे, जो देखेंगे कि कहां-कहां जमीन खाली पड़ी है और उस पर हमें किस प्रकार जल्दी से जल्दी वृक्षारोपण करना है।

इसके साथ हमारी परती भूमि है, उसको लेने के लिये हमने दो स्कीमें चलाई हैं। उसमें से एक तो है 'किसान

नर्सरी' के नाम से एक नई स्कीम चलाई गई है, जिसमें किसानों के लिए व्यवस्था की गई है कि वे अपनी जमीनों पर नर्सरी लगायें। हम इसके लिये उसे नर्सरी की ट्रेनिंग देंगे, हमारे अधिकारी उसे ट्रेनिंग देंगे। उससे फायदा यह होगा कि वहां के आसपास का वातावरण शुद्ध हो जायगा और नर्सरी को लेने में जो किसानों को ट्रांसपोर्ट और सही चीज मिलने आदि की दिक्कतें होती हैं, वह भी दूर हो जायेंगी। किसान नर्सरी लगा-कर स्वयं आपस में वितरित करेगा और उसके बचे हुए पेड़ हम खरीद लेंगे।

इसके साथ-साथ हमने 'स्कूल-नर्सरी' का भी अपने बजट में प्राविधान किया है। इसके द्वारा हमने बच्चों को यह सिखाने की कोशिश की है कि वह अपने कालेजों में, स्कूलों में नर्सरी लगायें। इस कार्य के लिए हम ५० हजार स्कूलों का चयन कर रहे हैं और इसमें से १५ सौ स्कूलों का हमने इस कार्य हेतु चयन कर लिया है। इस स्कीम के अन्तर्गत हम स्कूली बच्चों को नर्सरी हेतु खाद, बीज व दवाएं आदि देंगे, केवल उनका अपना श्रम लगाना पड़ेगा। साथ ही हम यह भी कर रहे हैं कि एक स्कूल के बच्चे जितने पेड़ लगायेंगे, हम १० पैसा प्रति पेड़ के हिसाब से हम उस कालेज को देंगे, जिससे वह स्कूल या कालेज अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। इन दोनों स्कीमों 'किसान नर्सरी' व 'स्कूल नर्सरी' के अन्तर्गत हमें आशा है कि हम प्रत्येक के अन्तर्गत अलग-अलग करीब १० करोड़ पेड़ लगायेंगे। इसके साथ-साथ हमने किसानों और विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए योजना तैयार की है और उसके बारे में हमने पिछले वर्ष से काम शुरू कर दिया है और हम करीब १ लाख किसानों को इसके अन्तर्गत प्रशिक्षण दे चुके हैं। हमने ए० डी० ओ० को तथा अन्य ब्लाक के अधिकारियों को इसका प्रशिक्षण दिया है, ताकि वह स्वयं महसूस कर सकें कि किस प्रकार नर्सरी लगायेंगे और किस प्रकार पेड़ उत्पादित किये जायेंगे। यह हमने नये बजट में प्राविधान किया है।

इसके साथ एन० आर० ई० पी० और आर० एन० ई० जी० पी० स्कीमों में हमने २५ करोड़ रुपये की केन्द्र सरकार से मांग की है, जिससे उनको पेड़ दे सकें। मुझे आशा है कि उस स्कीम के मंजूर होने के बाद हम नई दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे।

इसके साथ सामाजिक वानिकी योजना में १२० करोड़ रुपया खर्च करने के लिए हमने प्राविधान किया है और उसके उपलक्ष्य में १०० करोड़ रुपया विश्व बैंक तथा यू० एस० एड से देने का हमसे वायदा किया गया है और उसकी सहायता से हम सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को हरा-भरा कर देने का पूरा प्रयास करेंगे।

इसके साथ हमने यह भी तय किया है कि हमारे प्रदेश के अन्दर हर कमिश्नर लेवेल पर एक कंजरवेटर आफ फारेस्ट रखेंगे, जो आज नहीं है। हमने उसका प्राविधान किया है। इसके साथ हम हर ब्लाक पर एक-एक रेंजर-अफसर भी रखेंगे।

इसके बाद अब मैं अपने सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि ऐसे हमारे ९ जिले बाकी हैं, जहां पर डिस्ट्रिक्ट फारेस्ट आफिसर नहीं है। हमने नये बजट में इसका प्राविधान किया है। गाजियाबाद, सहारनपुर, एटा, रामपुर, बाराबंकी, ललितपुर, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, बलिया में डी० एफ० ओ० की नियुक्ति होने जा रही है। तो मान्यवर, हमने प्रयास किया है कि जो कमियां हैं उनको दूर करके हम आगे इस विभाग को बढ़ा सकें। इसके साथ ही साथ जब हम वन की बात करते हैं तो जो वन जन्तु हैं, वाइल्ड लाइफ की चर्चा करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। मैं बता देना चाहता हूं कि जो हमारे राष्ट्रीय पार्क हैं, दुधवा, कारबेट नेशनल पार्क और अन्य पार्क

जो हैं उसके अलावा हम एक नया पार्क राजाजी पार्क जल्दी खोलने जा रहे हैं। सहारनपुर, देहरादून, तीन पहाड़ी जिलों की सीमा से यह मिलता है। हमें आशा है कि इस नये वर्ष में इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके अन्दर कार्य तेजी से जारी है। हमने १९८६ तक शिकार के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया है। जो वन्य जन्तु हैं यह हमारे उत्तर प्रदेश की धरोहर हैं इनको बचाये रखना हमारा परम कर्तव्य है। इसके साथ-साथ हमने चमोली के अन्दर कस्तूरी मृग के लिये केन्द्र स्थापित किया है। कस्तूरी मृग समाप्त होते जा रहे थे। इनको बढ़ाने के लिये हमने यह केन्द्र स्थापित किया है। हमें खुशी है कि वहां पर दो नर और दो मादा बच्चों ने जन्म लिया है इससे उनकी संख्या बढ़ी है और अब वह ६ हो गये हैं। आशा है कि भविष्य में कस्तूरी मृग हम और बढ़ा सकेंगे। हमारा जो कुकरैल पार्क है उसके अंदर हमने घड़ियाल उत्पादन केन्द्र स्थापित किया है। ४-५ हजार अंडे हमने रक्खे हैं। उनसे जो घड़ियाल तैयार हुये हैं उनको गंगा आदि नदियों में छोड़ा है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

बड़े-बड़े घड़ियाल उधर बैठे हैं।

श्री जफर अली नकवी—

हम अब इस स्थिति में आ गये हैं कि हम इनका निर्यात भी कर सकते हैं। कुकरैल के अन्दर ही एक प्रजनन केन्द्र खोला गया है। जो जातियां वन जन्तुओं की समाप्त हो रही हैं उनको वहां रखकर आगे बढ़ाने का कार्य हम कर रहे हैं इसी के लिये हमने इस केन्द्र की स्थापना की है। हमें आशा है कि इससे वन्य जन्तुओं की बढ़ती हो सकेगी। माान्यवर, इसी के साथ-साथ पहली बार हमने दुधवा नेशनल पार्क के अन्दर गेंडों को लाकर रखा है। ४ गेंडे नेपाल से आये हैं और ३ गेंडे आसाम से आये हैं। इसको हमने इसलिये दुधवा पार्क में रखा है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। भारतवर्ष के और बाहर के लोगों ने इन गेंडों की तारीफ की है। यह इस दिशा में एक पहला कदम है। तो इन सात गेंडों से इनकी आबादी और बढ़ेगी। जब हम वनों की बात करते हैं तो वन संरक्षण की बात भी आती है। वनों की रक्षा करना बहुत बड़ा कर्तव्य है। अगर हम वनों की रक्षा नहीं कर सकेंगे तो वनों को बढ़ावा नहीं दे सकते। वनों के संरक्षण के लिये हमने एक्स आर्मी मैन का एक दस्ता बनाया है। ३१ कम्पनियां बनायी हैं और इनको वायरलेस सेट दिये गये हैं और उनको बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स पर लगाया है ताकि पता चल सके कि कहां पर पेड़ों का कटान हो रहा है। मान्यवर, ११७ कम्पनियों की हमने वनों की सुरक्षा के सम्बन्ध में व्यवस्था की है, उनको औजार, बन्दूकें दी हैं जिससे वह जाकर ऐसे लोगों को पकड़ सकें जो वनों में अवैध कटान करते हैं। यह एक नया कदम है। मान्यवर, इसी के साथ-साथ हमने वनों की आग से सुरक्षा के लिये माडर्न फाइटिंग स्कीम शुरू की है। हमारे प्रदेश में वनों में हर वर्ष आग लग जाती है, इससे हमें अफसोस होता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो सम्पदा है उसका नुकसान हो रहा है। उसके लिए एक माडर्न फारेस्ट कापर फाइटिंग की स्कीम जो नई स्कीम है, वह घोषित की गयी है और जिसमें एक जहाज और एक हेलीकाप्टर को लेकर आ रहे हैं और उसके तहत हमारे ६ आफिसर्स अमरीका गये और वहां से ट्रेनिंग करके आए हैं और दो रेंज आफिसर्स को भी हम अमरीका भेज रहे हैं। इस प्रकार यह तीन स्कीमें हैं हमारी और जिसके तहत पूरी ट्रेनिंग हमारी शुरू हो गयी है और भविष्य में हमारा एक हेलीकाप्टर भी आ जायेगा तो इससे वनों में जो आग लगती है, उस पर काबू पाया जा सकेगा। साथ ही माान्यवर, हमारे यहां एक विश्व खाद्य

कार्यक्रम हमारे सामने आया है, जिसके अन्दर हमें ४० करोड़ रु० का अनाज मुफ्त मिला है और उस अनाज को लेकर हम अपने लेवर्स में तथा और छोटी श्रेणी में काम करने वालों की मदद कर सकेंगे। इस प्रकार हमने यह स्कीम बनाई है कि ४० करोड़ रु० का तो अनाज हम अपने लेवर्स में बांट दें और १६ करोड़ रु० बचाकर उनकी दूसरी जरूरतों को पूरा करने में जैसे अस्पताल हैं, स्कूल हैं, उनके बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए सामाग्री है, आदि व्यवस्था को करके उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ा सकें, यह हमारी स्कीम है। साथ ही हमारे यहां वन निगम का कार्यक्रम भी लागू हो रहा है।

इस सम्बन्ध में मैं संक्षेप में बताते हुए सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि वन निगम की स्थापना १९७४ में हुयी थी, उस वक्त हमारा ६४ लाख रु० का टर्न ओवर हो गया था जो यह बढ़कर सन् ८२-८३ में करीब ७८ करोड़ रु० का हुआ और इसी प्रकार ८४-८५ में ९३ करोड़ रु० का टर्न ओवर हो गया। और मान्यवर, यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है और मान्यवर, लकड़ी की समस्या को दूर करने के लिए हमने ८५ डिपो खोल रखे हैं, इनका वितरण हम राशन के आधार पर करते हैं, जो बहुत ही सुचारु रूप से काम चल रहा है। इस प्रकार दूसरे जगहों पर भी हमने यह डिपो खोल रखे हैं और ३२ केन्द्र हमने पहाड़ी इलाकों में खोले हैं, वहां पर भी राशन कार्ड के जरिए लकड़ियों को उचित मात्रा में वितरण किया जा रहा है। साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि वन निगम के अन्तर्गत जो लोग ग्रेजुएट्स हैं, ऐसे ७०० लोगों को नौकरियां दी गयी हैं साथ ही १४ हजार लोग ऐसे हैं, जिन्हें हम दैनिक वेतन पर काम दिए हुए हैं। साथ ही मैं आशा करता हूं कि जैसा कि हमने अपने वन विभाग के सिलसिले में आपको संक्षेप में कुछ बातें बताईं और अब मैं आप लोगों के विचार और सुझाव सुनूंगा ताकि इन सुझावों की सहायता और आपके पूर्ण सहयोग से अपने वन विभाग को आगे गति दे सकूं। धन्यवाद।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५३—वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि को घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं एक ऐसे विभाग के बजट पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो सन् १८५५ में स्थापित हुआ था इस प्रकार इसको १३० वर्ष हो गये हैं पर माननीय वन राज्य मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसने गत वर्ष में जो बातें कहीं थीं, वह इस बार भी इन्होंने दोहराई हैं, उसी रटे रटाय भाषण को फिर आज यहां सुनाया है इसमें केवल फर्क इन्होंने आंकड़ों का किया है, वैसे और कोई नई बात इन्होंने इसमें नहीं कही है, लेकिन मान्यवर, मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय वन नीति जो १९५२ में बनाई गयी थी, उस नीति के विरुद्ध हमारा यह राज्य का वन विभाग काम कर रहा है। वह नीति यह थी कि ३३.३३ प्रतिशत वन किसी देश की भूमि पर होने चाहियें। लेकिन मुझे यह बताते हुए दुख है कि यह १३० वर्ष पुराना विभाग किसी भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। हमारे पहाड़ी जिलों में, जिनका माननीय मन्त्री जी ने बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया, ४० प्रतिशत से लेकर ६० प्रतिशत तक वहां वन हैं और मैदानी भाग में केवल ७ प्रतिशत वन है। उस नीति के हिसाब से ६० प्रतिशत वन पहाड़ी क्षेत्र में होने चाहियें और मैदानी क्षेत्र में २० प्रतिशत वन होने चाहियें। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में ४० प्रतिशत से ६० प्रतिशत तक जो

वन हैं, इससे पूरी भूमि वन से आच्छादित नहीं हैं कुछ भूमि वन विहीन हैं और हिमाच्छादित हैं और केवल ४० प्रतिशत वन वहां पर हैं।

विंध्याचल क्षेत्र में २६ प्रतिशत वन हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस औसत से हम वन लगाना चाहते हैं, वह औसत बहुत कम हैं। विश्व के अन्दर आपका देश भी यह वन लगाने में बहुत पिछड़ा हुआ हैं। जापान के अन्दर यह वन क्षेत्र की जो प्रतिशत हैं वह ६७.६, थाइलैंड एक छोटा देश हैं वहां पर ४१.२ प्रतिशत वन क्षेत्र हैं। रूस में ४१.१ प्रतिशत, कनाडा में ३५.४ प्रतिशत, युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में ३१.८ प्रतिशत, नेपाल में २८.६ प्रतिशत, भारत में २२.८ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में केवल १७.४ प्रतिशत। इसी प्रकार से पर-केपिटा वन क्षेत्र कितने हैं, हेक्टेयर में मैं मान्यवर, बताना चाहता हूं। कनाडा में १४.२, रूस में ३.६, अमेरिका में १.३ और फिर जापान में ०.२ और नेपाल में ०.३ और आपके भारत देश में ०.०१ और उत्तर प्रदेश में ०.०४। इस प्रकार से यह आपके वन क्षेत्र हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरा माननीय बदन सिंह जी से अनुरोध हैं कि वे समय का अवश्य ध्यान रखें। क्योंकि इस पर डेढ़ घंटे का टाइम हैं। इसमें और लोग भी बोलेंगे।

श्री बदन सिंह—

इसी तरह से मैं आपको और बताना चाहता हूं कि पर कैपिटा जो लकड़ी का कंजम्पशन होता हैं, जिससे वहां की जनता का स्तर जान पड़ता हैं, उससे भी आप गिरे हुए हैं। आपका देश और प्रदेश किस प्रकार से स्टैंडर्ड आफ लिविंग में पिछड़ा हुआ हैं। यह मैं पर-कैपिटा क्यूबिक मीटरों में बताता हूं। कनाडा में ६.७४, अमेरिका में १.६३, आस्ट्रिया में १.१०, आस्ट्रेलिया में १.०४, चेकोस्लोवाकिया में ०.९६, फ्रांस में १.०३, युनाइटेड किंगडम में ०.७० रूस में ०.९८, न्यूजीलैंड में १.६४, भारत में ०.०२२, उत्तर प्रदेश में ०.०९। यह इस प्रकार से आप साफ देखते हैं कि हमारा प्रदेश और हमारा देश यह दोनों ही वन के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। अब आवश्यकता इस बात की हैं कि यह वन क्षेत्र किस प्रकार से बढ़ाये जायं। यह किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा वन लगा सकें। इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। मैं माननीय मन्त्री जी का भाषण सुन रहा था। हमारे देश में सबसे अधिक समस्या जो अभी अनुदान के अन्तर्गत चर्चा हो रही थी, वह पर्यावरण और प्रदूषण की हैं। जितने ज्यादा वृक्ष हम लगायेंगे, उतना ही पर्यावरण साफ और संतुलित होगा। इस विषय में भी हमारा प्रदेश राष्ट्रीय नीति का विरोध कर रहा हैं और उसके साथ-साथ नहीं चल रहा हैं। प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने गंगा के प्रदूषण को दूर करने के लिए जनवरी, १९८५ में २६० करोड़ रुपये की घोषणा की थी, जुलाई में वह घोषणा ८० करोड़ की हो गई। जब गंगा के प्रदूषण का काम शुरू हुआ तो यह १० करोड़ की हो गई। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से गंगा प्रदूषण और जमुना प्रदूषण पर तो अभी विचार ही नहीं हुआ, जमुना प्रदूषण पर न यह विचार कर रहे हैं न केन्द्र सरकार विचार कर रही हैं। मैं सदन के सामने एक सुझाव देना चाहता हूं जब तक आप विदेशी तकनीकी पर निर्भर रहेंगे और फ्रांस अमेरिका से विशेषज्ञ बुलवायेंगे तब तक आप गंगा और जमुना तथा और जो प्रदूषण हो रहा हैं उसको दूर नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा था मैं शासन का ध्यान उस ओर आकर्षित कर रहा हूं उन्होंने कहा कि "भारत भूमि में पैदा होने वाला ही इस प्रदूषण को दूर कर सकता हैं"।

मान्यवर, मैं इस सदन को सुझाव देना चाहता हूं कि यह इन नदियों के

किनारे पर दूधदार वृक्ष, वरगद, पीपल, गूलर जो हैं, इनको लगवाया जाए तभी प्रदूषण दूर हो सकता है। हमारे मंत्री जी विज्ञान पर्यावरण पर बोल रहे थे उन्होंने बताया इस प्रदेश में ८७७ इस प्रकार के उद्योग हैं जिनमें प्रदूषण को दूर करने को ट्रीटमेन्ट प्लांट नहीं लगाये हैं, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जहां ऐसे उद्योग लगे हुए हैं वहां दूधदार वृक्ष लगवायें, तभी प्रदूषण दूर हो पायेगा माननीय मन्त्री जी ने चर्चा की कि प्रदूषण दूर होगा, लेकिन वृक्षारोपण के विषय में नहीं बताया। किस प्रकार के पेड़ प्रदूषण को दूर करने के लिए लगायेंगे ? मैं उदाहरण देना चाहता हूं हमारे यहां पीपल, बरगद और गूलर आदि दूधधारी वृक्षों को देवता का रूप क्यों दिया गया है, इनको देवता का रूप इसीलिए दिया गया है क्योंकि इनमें प्रदूषण को दूर करने की क्षमता होती है। इन पर सुबह को जल चढ़ाया जाता है ताकि इन पेड़ों को पानी मिलता रहे और इनका जीवन ज्यादा हो। यह जो पर्यावरण दूर करने के लिए वृक्ष लगवा रहे हैं वह ऐसे पेड़ होते हैं जो जल्दी बढ़ जाते हैं इसके बाद यह इनको कटवा देते हैं। इन पेड़ों में पर्यावरण को शुद्ध करने की जो परिपक्वता होती है वह नहीं आ पाती है, आप उनको ईंधन के लालच में कटवा देते हैं। मैं चाहता हूं कि देश में और प्रदेश में नदियों के किनारों पर और शहरों के आसपास बरगद, पीपल और गूलर के वृक्ष लगवाये जाएं। मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा वनों के लिए विशेष रूप से, यह शायद भूल गये हों मैं बताना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में वनीयकरण नियम जो हैं उसके अनुसार एक हजार मीटर से ऊपर जो पेड़ लगे हुए हों उनको काटना नहीं चाहिएं। लेकिन हमारे पर्वतीय क्षेत्र जो हैं वह ७० प्रतिशत एक हजार मीटर से सभी पर्वतीय क्षेत्र ऊंचे हैं केवल ३० प्रतिशत क्षेत्र ऐसे हैं जो एक हजार मीटर से नीचे हैं। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यह वहां पर वृक्षारोपण करायें तो ऐसे पेड़ न लगवायें जिनकी लकड़ी बेचकर राजस्व पैदा की जाती है। ऐसे वृक्ष लगवायें जो फल और लीसा जैसे पदार्थ देते हों। ऐसे वृक्षों को एक हजार मीटर से अधिक ऊंचाई पर लगवायें। नीचे मान्यवर, आज जो इक्यूलिपटस का पेड़ लगवा रहे हैं उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिकों का यह मत है कि यह पेड़ ८० गैलन पानी प्रतिदिन जमीन से खींचता है। ६ वर्ष की आयु हो जाने पर १—५ टन नाइट्रोजन, ५ टन फासफोरस, ७ टन कैल्शियम खींचता है। जो पेड़ जितनी जल्दी उगता है उतनी ही ज्यादा उर्वरा शक्ति जमीन से खींचता है। इस वृक्ष के पीछे आप जो पड़े हैं, इसको आप छोड़ दीजिये। ज्यादा से ज्यादा जिन पेड़ों का नाम मैंने सदन में लिया है उसको लगवाइये। मान्यवर, एक बात मैं वन संरक्षण अधिनियम, १९८० के बारे में कहना चाहता हूं। उसके कारण पर्वतीय क्षेत्र में रहने वालों का विकास रुक गया है। एक तरफ पर्वतीय विकास पर बहुत बड़ी धनराशि खर्च कर रहे हैं दूसरी तरफ यह हो रहा है। इस अधिनियम के कारण जो वन संरक्षण के लिये बनाया गया है, बिना केन्द्र की इजाजत के एक पेड़ भी नहीं काटा जा सकता है। इसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों का विकास रुक गया है। न वहां सड़क बनाई जा सकती है, न बिजली की लाइन, न पानी की लाइन डाली जा सकती है, न स्कूल बनाये जा सकते हैं। इसलिये मान्यवर, इस १९८० के वन अधिनियम को पर्वतीय विकास विभाग और कोई विभाग मिलकर संशोधन करें।

माननीय मंत्री जी ने पर्वतीय क्षेत्र की कोई विशेष चर्चा नहीं की, मान्यवर, वहां के रहने वालों पर इतना अत्याचार हो रहा है कि वह अपनी जरूरत के लिये लकड़ी नहीं काट सकते हैं। पेड़ लगाने का तीन उद्देश्य होना चाहिये। पहला

प्रदूषण को दूर करने का, दूसरा भू-स्खलन को रोकने और तीसरा स्थानीय लोगों की जरूरत को पूरा करने का। लेकिन यह तीनों काम आपके विभाग में नहीं हो रहे हैं। कोई भी आदमी अपनी आवश्यकता के लिये पेड़ नहीं काट सकता है यद्यपि उनका हक है। इसका परिणाम यह होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में विकराल गरीबी है। ६० लाख की आबादी वाले दिल्ली नगर में ३ लाख गढ़वाली रहते हैं, एक डेढ़ लाख कुमाऊंनी रहते हैं। इसी प्रकार जो बड़े-२ नगर हैं, जैसे कानपुर, लखनऊ, दिल्ली को छोड़कर और भी नगर हैं, जहां यह लोग आकर रहते हैं और अपमानजनक जीवन व्यतीत करते हैं यह कैसी विडम्बना है कि लाखों रुपये लोग खर्च करके स्वस्थ्य रहने के लिये पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं और वहां का आदमी यह प्रदूषित वायु में सांस लेने के लिये इन नगरों में आता है। यह उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप वहां के लोगों को वहीं पर काम दें। एक इस प्रकार की स्कीम चलाई गयी थी कि वहां पर रहने वाले लोगों का वहीं पर काम दिया जाय, लेकिन आपने प्रति एक हजार व्यक्तियों पर कितने को काम दिया मैं वह बताना चाहता हूं। इन ८ पर्वतीय क्षेत्रों में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में प्रति एक हजार पर ०.०९१ है। इसी प्रकार चमोली में जो काम दिया वह ०.४ है और टेहरी और पौड़ी में जो काम दिया, जहां पर साठ से अस्सी प्रतिशत वन हैं, वहां पर ०.२ काम दिया। इसी प्रकार से मान्यवर, आप वहां के लोगों को काम नहीं दे रहे हैं जबकि वहीं के लोगों को काम मिलना चाहिये। उनकी प्रगति भी रुकी हुई है और वहां के अधिनियम १९८० के अन्तर्गत वन विभाग के बिना कोई काम नहीं करवा सकता है। इसका असर यह भी पड़ रहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना में जो काम वहां पर करवाए भी गये थे वे अधूरे पड़े हुए हैं। दुख यह है कि सातवीं योजना में भी वही धन एलाट किया गया है, जबकि मांग बढ़ती चली जा रही है, लेकिन धन वही है। वहां पर विकास का कार्य नहीं हो रहा है।

मान्यवर, मंत्री जी ने सामाजिक वानिकी का बड़े प्रसन्न होकर जिक्र किया। तो केवल आंकड़े बतला दूं कि ११० करोड़ रुपया गत वर्ष मिला था और १२० करोड़ रुपया विश्व बैंक से इस वर्ष लेंगे। लेकिन मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि देहरादून में एक प्रेस कान्फ्रेंस में आपने यह बताया कि ३२ करोड़ पेड़ लगने का लक्ष्य था आज सदन में बता रहे हैं कि ३५ करोड़ पेड़ लगवा दिये। इसी प्रकार आपके उत्तर प्रदेश में हर वर्ष वृक्षारोपण का जो लक्ष्य रहा है उससे अधिक पेड़ लगवाते रहे हैं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप यह देखते हैं कि लगे हुए पेड़ों में से कितने पेड़ मर जाते हैं? मैं बताना चाहता हूं कि ५० प्रतिशत पेड़ मर जाते हैं। क्या आपके पास कोई योजना है समीक्षा करने की? लगे हुए पेड़ों की घोषणा की लेकिन यह नहीं बताया कि लगे हुए पेड़ों में से कितने मर जाते हैं और कितने बचते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर दोबारा कह लीजियेगा, समय मिलेगा।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सामाजिक वानिकी जिसकी आपने बहुत प्रसन्न होकर घोषणा की कि केन्द्रीय सरकार ने इतना दिया और विश्व बैंक ने इतना दिया। मान्यवर, आपने पेड़ जिनके लगवाने की घोषणा की है, वे सूख रहे हैं या पानी के अभाव में मर रहे हैं। मैं आगरा का एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने जो पेड़ लगवाए वह कभी-कभी प्राइवेट लोगों से भी खरीदे गये। मान्यवर, आगरा जनपद की खैरा-

बाद की एक तहसील में जो पौधे खरीदे गये, वे पौधे थे ही नहीं । केवल ट्रालियों को मिट्टी लगाकर पौधे दिखा दिये थे उसमें कुछ दिनार थे और कुछ सूखे और खराब थे । इसलिये सुझाव है कि आप इसका जवाब अपने उत्तर में देंगे कि आपने इसकी समीक्षा की क्या व्यवस्था की कि जो पेड़ लगवा रहे हैं, वे सब जीवित हैं या नहीं । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत जो पेड़ रेल की पटरियों के सहारे, सड़कों के सहारे या नहरों के सहारे लगवा रहे हैं या गांव सभा में पेड़ लगा रहे हैं, उन्हें गांव के ही हरिजन या जनजाति के लोगों को या निर्बल वर्ग के लोगों को वे पेड़ दे दीजिये और उसकी लकड़ी काटने का अधिकार उसको दे दीजिये । इस लालच में आकर ही इन पेड़ों की रखवाली हो सकेगी । आप शायद अंधे होकर इस विभाग को चला रहे हैं । नहरों के सहारे जो पेड़ लगवाए हैं, गांव के लोग समझ रहे हैं कि ये वन विभाग के पेड़ हैं । सड़कों के सहारे जो पेड़ लग रहे हैं, उसे लोग पी० डब्लू० डी० के पेड़ समझ रहे हैं, जो रेलों की पटरियों किनारे लग रहे हैं, लोग उसे रेलवे के पेड़ समझ रहे हैं और सम्बन्धित विभाग के अधिकारी इसका फायदा उठाकर अंधाधुन्ध निजी कामों के लिये इन पेड़ों को काट रहे हैं । लेकिन आपको ऐसी कोई जानकारी नहीं है । आपको इनकी सुरक्षा के लिये कोई व्यवस्था करनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें । आपको बाद में भी मौका मिलेगा । नेशनल पार्क की बात कही गयी, बताया गया कि नेशनल में गेंडे मंगा रहे हैं, टाइगर ला रहे हैं ।

माननीय बदन सिंह जी इसमें डेढ़ घंटे का टाइम है और लोग भी बोलेंगे ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, समाप्त करते हुए दो बातें यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि वर्ल्ड बैंक, चेयरमेन यहां पर आये थे उन्होंने इसकी तारीफ की । मैं कहना चाहता हूं कि आप तारीफ करवा लें, प्रशंसा पत्र ले लें भारत सरकार से लेकिन वहां की जनता आपकी कभी भी तारीफ नहीं करेगी । उनके हजारों-हजारों छोटे-छोटे जानवर को उन पार्कों के शेर-चीते आदि खा जाते हैं । मनुष्यों को भी खा रहे हैं । मान्यवर, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा था कि दुधवा पार्क का एक शेर आदमखोर हो गया है उसने गत रविवार को ही एक व्यक्ति को खा लिया । ३ आदमियों को पहले खा चुका है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें । औरों को भी मौका दें ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, वहां यह जो थारू जाति के पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी हत्या हो रही है जो लकड़ी आदि बीनने के लिये वहां के लिये वहां के वनों पर जाते हैं ।

★श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं नवयुवक वन राज्य मंत्री श्री जफर अली नकवी जी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि ६ महीने पहले जो मैंने सुझाव दिया था, उस पर अमल करते हुए मंत्री जी ने सामुदायिक जमीन पर लोगों को पट्टे उपलब्ध करने की बात कही है । मान्यवर, मंत्री जी ने स्कूल नर्सरी और किसान नर्सरी खोलने की बात कही है, यह एक क्रांतिकारी कदम है । जहां इससे हम असंख्य वृक्षों को पैदा कर सकेंगे वहीं

★वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरी ओर स्कूल से ही बच्चों में पौधे के प्रति प्रेम पैदा होगा और आगे जाकर उसका पर्यावरण पर भी बड़ा भारी असर होगा । मान्यवर, नेशनल कार्बेट पार्क जो रामनगर के नजदीक नैनीताल जिले में पड़ता है, उसका क्षेत्र बढ़ाये जाने के संबंध में वहां पर काफी अफवाह है । अगर यह बात सही है तो मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व इसमें वहां के लोगों की राय अवश्य ले ली जाय नहीं तो उससे ४०—५० गांव तहस नहस हो जायेंगे । अभी ही वहां रहने वाले लोगों के पशुओं आदि का काफी नुकसान हो जाता है, वहां के जानवर उन छोटे-छोटे पशुओं को उठा ले जाते हैं और खा लेते हैं ।

मान्यवर, आपने लाल बत्ती जला दी । अभी तो मुझे एक ही मिनट हुआ है । मुझे आपने ५ मिनट का मौका दिया है । मुझे इसके अतिरिक्त यह भी कहना है कि पर्वतीय क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष लगवायें । इसके अतिरिक्त कम से कम ५० फीसदी रुपया उसके रख रखाव के लिये रखें । मान्यवर, अगर ३५ करोड़ वृक्ष लगाये गये उसमें अगर ५ करोड़ वृक्ष भी रख रखाव के अभाव में नहीं बच पाये, तो उस वृक्षारोपण का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है । रख रखाव के लिये कोई समुचित व्यवस्था होनी चाहिये । इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वहां जहां ६० फीसदी वन भूमि है, वहां की जनता को जब तक आप उससे नहीं जोड़ेंगे, तो भी कोई बहुत फायदा नहीं होता । मान्यवर, जैसा कि अंग्रेजों के जमाने में भी प्रचलित था कि इमारती लकड़ी, जलाने की लकड़ी हक हकूक के रूप में उस क्षेत्र के लोगों को प्रदान की जाती थी । वह हक हकूक लोगों को अब नहीं मिलता है । अगर आपके जंगल में आग भी लग जाती है, तो भी लोग तमाशा देखते रहते हैं । अगर आप वहां की जनता को हक हकूक के रूप में जलावनी लकड़ी इमारती लकड़ी उपलब्ध करेंगे तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को उन वनों के प्रति लगाव रहेगा और उनकी सुरक्षा भी हो सकेगी । जब कभी वनों में ऐसी आग लगती है तो वह वनों की सुरक्षा के लिये जांय । हमारे पर्वतीय क्षेत्र में विरोजा और लीसा से संबंधित बहुत सी इकाईयां काम करती हैं । एक सूक्ष्म सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि इन इकाईयों का एक बार सर्वे कर लिया जाय और उन्हें समानता के आधार पर लीसा व विरोजा उपलब्ध कराया जाय । किसी को तो आप ३ हजार क्विंटल देते हैं और किसी को ६० क्विंटल देते हैं । सबको बराबर मात्रा में लीसा व विरोजा उपलब्ध कराया जाय ।

जो जिला परिषदें हैं, उनको लीसा की बिक्री पर, जब १५०/-रुपये प्रति क्विंटल लीसा था, ५ रुपये विकास कार्यों के लिये मिलता था और आज जबकि लीसा की कीमत ७०० रुपए प्रति क्विंटल हो गया है, तब भी जिला परिषदों को ५रुपए विकास कार्यों के लिए मिलता है, इसलिए माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस पैसे को बढ़ायें और उसका भुगतान भी करें । ऐसा न हो कि वह कागजों पर ही रह जाय । वन संरक्षण अधिनियम आपका जो है, शासकीय कार्यों के लिए उसमें शिथिलीकरण किया जाय । वन निगम के संबंध में कहना चाहता हूं कि जब तक आप छोटे-छोटे कस्बों को जलाऊनी व इमारती लकड़ी उपलब्ध नहीं करायेंगे तब तक आप वनों की सुरक्षा नहीं कर पायेंगे । इसके लिये आपको कोई न कोई अल्टरनेट देना पड़ेगा । वन निगम के माध्यम से छोटे-छोटे कस्बों को जलाऊनी व इमारती लकड़ी देने का आप प्राविधान करें । इसी के साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

श्रीमती विजय लक्ष्मी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने वन विभाग पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव

के समर्थन में बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने इस बजट में जिस खूबसूरती से योजनायें दर्शायी हैं, वे तारीफे काबिल हैं, जबकि उनके कार्यान्वयन सुचारु रूप से हों।

बलिया जनपद की बात ही मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। हमारे यहां कोई नेशनल पार्क नहीं हैं, जिनका मैं जिक्र करूं। आपने जो यह पुस्तक दी हैं, उसमें कुछ सूखा ग्रस्त जिलों का नाम दिया हैं, लेकिन बलिया का नाम उसमें नहीं हैं, जबकि वहां हमेशा सूखा व बाढ रहती हैं। मेरा यह जनपद बहुत ही पिछड़ा जनपद हैं, इस पर आप विशेष ध्यान देने की कृपा करें।

मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूं। आपके यहां एक सामाजिक वानिकी योजना हैं। उसका उद्देश्य यह हैं कि नहर के किनारे, रेल की पटरियों के किनारे और सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगाये जांय लेकिन हमारे यहां इस संबंध में कुछ भी नहीं हुआ हैं। नाम मात्र आपको केवल बबूल के पेड़ मिलेंगे, वह भी झाड़ी का रूप ले लिये हैं, जो केवल राहजनी को शरण देते हैं। वनों का जीवन व वायुमण्डल से सीधा सम्बन्ध हैं, लेकिन लापरवाही के कारण इसकी स्थिति शोचनीय हो गई हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी इस पर विशेष ध्यान देने की कपा करें। फलदार वृक्ष जैसे आम, सागौन और कटहल, यह सब हम लोगों के यहां होते हैं, इनके उत्पादन को सचारु रूप से बढ़ाया जाय, ऐसी कोई योजना बनायें।

मान्यवर, अन्तिम सुझाव के साथ कहना चाहती हूं कि माननीय वन मंत्री जी वन विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दें कि वे कम से कम जिले की स्टेयरिंग कमेटी में हम लोगों के सुझावों को सुनें और उन्हें अमल में लायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देती हूं। जयहिन्द।

(समय ७ बजकर २५ मिनट)

*श्री मोहम्मद असलम खां—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट पर, जो माननीय वन राज्य मन्त्री ने प्रस्तुत किया हैं, उस पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। जो कार्यक्रम माननीय मन्त्री जी ने सड़कों के किनारे वृक्षों के बारे में, सामाजिक वानिकी परियोजना के बारे में, वनों की सुरक्षा के बारे में और पार्कों के बारे में जो लिये हैं, उसका समर्थन करता हूं तहे दिल से और माननीय मन्त्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां वन हैं और कठिनाइयां हैं। उस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

अभी माननीय मन्त्री जी ने राजा जी नेशनल पार्क के बारे में घोषणा की उसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा कि यह जो नीति हैं सरकार की इसको दो साल हो गये हैं लेकिन अभी तक हमारे पास डायरेक्टर नहीं हैं उस नेशनल पार्क में। जब तक डायरेक्टर मनोनीत नहीं होगा तब तक जो कठिनाइयां हैं, पार्क को ठीक करने में, उसमें दिक्कत आती हैं। गूजरों को, जो वहां सालों से रह रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिये, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिये वह परियोजना भी जो बन रही हैं उसमें पैसा कुछ ज्यादा लगाया गया हैं, यह कार्य उससे बहुत कम धनराशि में भी पूरा किया जा सकता हैं। इस पर कमेटी गठित की जाय, माननीय मन्त्री जी से दरखास्त हैं कि यह कार्य जल्द से जल्द समाप्त हो।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक नेपाल बार्डर के पास जो लकड़ी का कटाव बहुत हो रहा हैं, उसका प्रश्न हैं, उस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि नैपाल से लोग आते हैं और लकड़ी काटकर चले जाते हैं, जंगल कट रहा हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस मामले को भी देखें। पहाड़ी क्षेत्रों में जो वृक्ष लगाये जाते हैं, ७० से ८० प्रतिशत पेड़ मर जाते हैं, जैसे बाहर योजनायें हैं कि जहाज के माध्यम से बीज का छिड़काव किया जाता हैं और जो पुराना सिलसिला था। . . ..

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री मोहम्मद असलम खां—

मैं पुन: माननीय मन्त्री जी के बजट के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। (धन्यवाद)

श्री फरीद महफूज किदवई—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं माननीय वन राज्य मंत्री जी से कहूंगा कि आज जब उन्होंने बजट दिया तब २७ वां २८ वां नरभक्षी शेर दुधवा नेशनल पार्क में रिपोर्टेड हुआ। यह पार्क ७३-७४ में बना और ८६ तक करीब २७ "मैन ईटर" रिपोर्टेड हो चुके हैं इस समय से। पहले १० सालों में देखें तो "मैन ईटर्स" की कोई भी हिस्ट्री इस क्षेत्र में नहीं मिलती हैं। इससे जाहिर होता हैं कि वहां का मैनेजमेंट इस बात का कसूरवार हैं और सरकार की वननीतियों के कारण "मैन ईटर्स" पैदा हो रहे हैं। मैं सुझाव दूंगा मंत्री जी को कि उन्होंने जब से नेशनल पार्क में वहां पर मवेशियों का आना-जाना बन्द कर रखा हैं यही कारण हैं कि वहां के टाईगर जानवरों का शिकार न कर पाने के कारण से मैन-ईटर हो गये हैं। मैंने अपनी यह बात वहां कमेटी की मीटिंग में भी कही थी क्योंकि मैं फारेस्ट कमेटी का मेम्बर भी हूं, वहां भी मैंने यह सुझाव रखा था कि आप वहां पर मवेशियों का आना जाना न रोकिये।

मंत्री जी ने यह भी बताया कि वहां पर शिकार को बन्द कर दिया गया हैं क्योंकि वहां पर इससे वाईल्ड लाईफ खतम हो रही थी। इस संबंध में मेरा सुझाव हैं कि शिकार को बन्द कर देने से यह मसला हल नहीं होगा बल्कि इससे वाईल्ड लाईफ और खतम होती चली जायेगी। वाईल्ड लाईफ खतम होती हैं कोचर से जो कि गैर कानूनी ढंग से शिकार करते हैं। मेरा ख्याल हैं कि जब वहां शिकारी मौजूद रहेगा तो कोचर की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वह जंगल में आये। मैं मंत्री जी से हिमालय पर जो रोक लगा रखी हैं उसको हटाने की बात कहता हूं इससे वाईल्ड लाईफ को फायदा होगा।

इसी तरह से मंत्री जी ने जिक्र किया कि उन्होंने प्रदेश में यूकिलिप्टस के पेड़ लगवाये हैं। मेरा कहना हैं कि यूकिलिप्टस के पेड़ को लगाने से कोई मसला हल नहीं हो रहा हैं। उसके नीचे न तो अन्डर ग्रोथ होती हैं। इस तरह से यूकिलिप्टस के लगाने से सारी जमीन खराब होती चली जा रही हैं। यह यूकिलिप्टस तो बिरला जी की देन हैं क्योंकि उनको रा-मैटिरियल चाहिये था पेपर बनाने के लिये, तो उन्होंने सरकार पर जोर डाला कि यूकिलिप्टस के पेड़ लगाये जांय जिससे कि उनको फायदा हो और रा-मैटिरियल मिल जाये।

मंत्री जी ने दुधवा नेशनल पार्क में गेंडा रखने की जो बात कही हैं, तो इसके बारे में मेरा कहना हैं कि वह पार्क नेपाल बार्डर से लगा हुआ हैं और कई गेंडे उधर से नैपाल की तरफ चले गये हैं और अब वहां पर केवल दो या तीन गैंडे ही रह गये हैं। इसी तरह से मंत्री जी ने जंगलों में आग लगने की जो बात कही हैं कि जंगलों में आग लग जाया करती हैं तो उसके बुझाने के लिये चाहे आप

हेलीकाप्टर का प्रबन्ध करें या कोई और तरीका अख्तियार करें लेकिन जब तक आप वहां के रहने वालों को वहां आश्रय नहीं देंगे, तब तक यह मुशकिल रहेगा । आप उनको इसमें इनवाल्व कीजिये और जंगल में रहने वाले लोगों को सुविधायें दीजिये और उनसे डील करिये कि जब भी जंगल में आग लगेगी तब-तब तुम लोगों को भी उसे बुझाने के लिये लगना पड़ेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

★श्री राजेश कुमार खैरा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने के लिये मौका दिया । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । हमारे ललितपुर जनपद का वनों से बहुत गहरा ताल्लुक है इसलिये ललितपुर के सम्बन्ध में से कुछ सुझाव देना चाहता हूं । हमारे यहां असामाजिक तत्वों के द्वारा वनों की अवैध कटान होती है और तेंदू की पत्ती की अवैध चोरी होती है । इसलिये इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं कि ललितपुर जिला मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है । मध्य प्रदेश की सरकार से यदि उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्य मन्त्री जी के माध्यम से कमेटी बना कर इस मसले को हल करें, एक नीति उत्तर प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार आपस में विचार-विमर्श करके तेंदू की पत्ती के बारे में निर्धारित कर लें, तो तेंदू की पत्ती में उसके धन्धे से जो लोग लगे हुए हैं उनको कुछ राहत मिल सकती है ।

एक बात मैं और इस सन्दर्भ में बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में छोटे-छोटे कान्ट्रैक्टर होते हैं जो कि इस काम को करते हैं । मध्य प्रदेश के कान्ट्रैक्टर उत्तर प्रदेश की सीमा में घुस आते हैं और तेंदू की पत्ती की चोरी कर ले जाते हैं । इसके अलावा ललितपुर के धनाड्य लोग, राजनैतिक लोग जो कि असामाजिक तत्वों के साथ हैं वे भी इस धन्धे में लिप्त हैं और तेंदू की पत्ती को मध्य प्रदेश में उठा ले जाते हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस तरह से वन निगम तेंदू पत्ते को तोड़वाता है, उसी प्रकार से एम० पी० की सरकार भी यदि तेंदू पत्तों को तोड़वाये तो न कोई ठेकेदार होगा और न कोई चोरी होगी । अगर कोई प्राइवेट आदमी ले जाता है तो वह चोरी में पकड़ा जायेगा, अभी वह कह देते हैं कि वह एम० पी० का कान्ट्रैक्टर है । इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का बहुत धन बच जायेगा और जो राजस्व की हानि हो रही है, वह भी बच जायेगी ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने घोषणा की है कि ललितपुर में एक फारेस्ट आफीसर की नियुक्ति की जायगी, तो वह बधाई के पात्र हैं । इससे ललितपुर जनपद के वन निगम को लाभ मिलेगा । मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जो वर्ष १९८५-८६ का लक्ष्य पेड लगाने का ३३.५ करोड़ रखा था, लेकिन ३५ करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया है । वर्ष १९८६-८७ में जो लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा, उससे डेढ गुना लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा । मान्यवर, एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि ललितपुर में वन विभाग के अधिकारियों ने अवैध कटान की लकड़ी का एक ट्रक पकड़ा था और उसके मुलजिम को अपने लाक अप में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वहां के राजनैतिक और असामाजिक तत्वों ने लाक अप तोडकर उस मुलजिम को निकाल ले गये । इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब पत्नी की तुड़ान

★वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो तो उस समय अधिक फोर्स की व्यवस्था की जाये ताकि बन्दूक की ताकत पर असामाजिक तत्व पत्तो न तुड़वा सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री आँसान सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, माननीय वन मन्त्री जी का एक पर्चा मिला है जिसमें लिखा है कि वृक्ष हमारे आज्ञाकारी पुत्र और मित्र हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इन मित्रों और पुत्रों का मर्डर किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है और हत्या की जा रही है। मान्यवर, गांव में अभी तक आदमी परेशान था, पुलिस से परन्तु आज वह जंगल विभाग से तबाह हो गया है। वन संरक्षण कानून के अन्तर्गत अगर किसी हरिजन-मजदूर, गरीब को एक दातून की भी आवश्यकता है, झोपड़ी मे छप्पर में खम्भा लगाने की आवश्यकता है, तो वह बिना परमीशन के एक खम्भा भी नहीं काट सकता है और मान्यवर, परमीशन में २-२ महीने लग जाते हैं और २ सौ रुपये तक रिश्वत में खर्च हो जाते हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक डी० एफ० ओ० के मातहत कई जिले आते हैं, इसलिये, गरीब को परमीशन के लिये एक जिले से दूसरे जिले में जाना पड़ता है। पहले फारेस्टर और रेन्जर रिपोर्ट लगाता है तब डी० एफ० ओ० परमीशन देता है। कहना चाहता हूं कि पेड़ों का कत्ले आम हो रहा है। पुलिस विभाग और वन विभाग के कर्मचारी मिलकर पेड़ कटवा रहे हैं। आपका अभियान है पेड़ लगाओ लेकिन वन विभाग और पुलिस का अभियान पेड़ कटाओ है। २० प्रतिशत पुलिस के लोग लेते हैं और २० प्रतिशत वन विभाग के लोग लेते हैं और ठेकेदारों से सांठ-गांठ करके पेड़ काटे जाते हैं। अगर कहीं पर कोई शिकायत हो जाती है तो ५ हजार के पेड़ काटने पर ५०० रुपया जुर्माना कर दिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है।

मान्यवर, अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, वन विभाग के कानून में सुधार किया जाना चाहिये, लकड़ी कटाई में पुलिस का हस्तक्षेप समाप्त किया जाना चाहिये, जब जंगल विभाग है तो पुलिस का हस्तक्षेप क्यों? दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि वन विभाग द्वारा बैरियर लगाये जाने चाहिये जिससे अवैध लकड़ी की चेकिंग हो सके और जिस लकड़ी की परमीशन हो, उस पर मार्किंग होनी चाहिये तथा रवन्ना जारी होना चाहिए, मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है अगर गांव के आदमी को घरेलू काम के लिये लकड़ी की आवश्यकता है तो उसकी परमीशन में सरलीकरण किया जाना चाहिये। यह परमीशन समाप्त करने का अधिकार और उसकी परमीशन रेन्जर को दिया जाय, जो तहसील हेडक्वार्टर पर रहता है। वन विभाग में फर्जी मस्टर रोल बनाये जा रहे हैं, फर्जी गढ्ढे कागज पर खोदे जा रहे हैं। मजदूरों को पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है। १० वर्ष के बच्चों से प्लान्टेशन पर कार्य लिया जाता है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त करें, मैंने दूसरे सदस्य को बुला लिया है।

श्री आँसान सिंह—

मान्यवर, एक मिनट दे दें। इटावा जिले के अजादार हुसैन नकवी जो फारेस्टर हैं, इन्होंने और वहां के डी० एफ० ओ० ने मिलकर करोड़ों रुपये के वन की लकड़ी जो कि आरक्षित थी, उसको कटवा लिया है। अजादार हुसैन नकवी के खिलाफ रिकवरी के आदेश हुये, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह नकवी साहेब के निकट सम्बन्धी बताये जाते हैं और मैंने यह भी चुनौती दी है

कि इटावा जनपद में भारी कटाई वहां के डी० एफ० ओ० श्री चन्द्र भाल वर्मा और नकवी की साठ-गांठ से हो रही है। बड़े पैमाने पर जो २० साल से आरक्षित पेड़ हैं उनकी युद्ध-स्तर पर कटान हो रही है और डी० एफ० ओ० ने करोड़ों रुपये का घोटाला वहां पर किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिख कर भिजवा दें, जांच हो जायेगी।

★श्री किशन सिंह तड़ागी—

मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। वन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, वन हमारे ईंधन से लेकर इमारती लकड़ियां तक देते हैं और इसके अलावा दवाइयों के लिए जड़ी-बूटियां देते हैं यह आज ही से नहीं बल्कि हमारे ऋषि-मुनियों के जमाने से ऐसी जड़ी-बूटियों से अच्छी दवाइयां बना करती थी। वन, जो बाढ़ आती है, उससे हमारी रक्षा करते हैं और जो भू-स्खलन होता है उसको रोकते हैं इसलिए अधिक से अधिक पेड़ उपजाने की जरूरत है। वन हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकते हैं। वन हमारे लिए उपयोगी हैं इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में वन हों। इस समय जैसा कि हमारी राष्ट्रीय नीति है कि ३३.३ प्रतिशत जमीन में वन होने चाहिए किन्तु इस समय बड़ी मुश्किल से हमारे मैदानी क्षेत्र में १७ परसेन्ट वन हैं और पर्वतीय क्षेत्र में ६० परसेन्ट होने चाहिए किन्तु बड़ी मुश्किल से इस समय वहां ४० परसेन्ट भी वन नहीं है। मैं अपने वन विभाग से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक वन लगाने की कोशिश करें। जो कटाव इस समय आम जनता करती जा रही है उसको रोकने का प्रबन्ध करें।

हमारे पर्वतीय क्षेत्र में लोगों को मुद्दतों से अंग्रेजों के जमाने से हमारे हक-हकूक की लकड़ियां उनको मिलती थीं। कृपया उस हक-हकूक की लकड़ियां उनको देनी चाहिए। यदि उनको यह लकड़ी न मिली तो जंगल का नुकसान करने की वह कोशिश करते हैं और अपने इस्तेमाल करने के लिए वह जंगल से अच्छी से अच्छी लकड़ी काटकर ले आते हैं, यदि उन्हें हम लकड़ी दें तो वनों की रक्षा हो सकती है। वनों के कारण बरसात होती है और वन कटने से वह रुक जायेगी। वनों से ही तराई के लिए सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है। यदि इस तरह से वनों को काट दिया जायेगा तो पर्वतीय क्षेत्र में पानी मिलना बन्द हो जायेगा। जो सरकार ने इस समय १००० मीटर की ऊंचाई से आगे जंगल न काटने का कानून बनाया है वह ठीक है इसके अलावा मेरा एक यह भी निवेदन है कि सड़कों के किनारे अधिक से अधिक वृक्ष लगाये जांय और वृक्षों के कटान को जैसा कहा गया है उसको रोकने का इंतजाम होना चाहिए ताकि कोई पेड़ न काट सके। इसके लिए कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री राम सजीवन का नाम पुकारने पर) समय का विशेष ध्यान रखियें।

★श्री राम सजीवन—

मान्यवर, मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं पहला यह कि दक्षिणांचल के ५ जिलों में वन विभाग ने गांव समाज से जमीन ली थी और उस जमीन के पट्टे हो गये थे और बाद में वह हरिजनों, आदिवासियों, गिरिजनों को पट्टे पर दी गयी और उनके नाम वह अंकित हैं। जिस पर वह १५, २० सालों से खेती कर रहे हैं। अब उनको आप उखाड़ रहे

★वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

★वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं तो मेरी मांग हैं कि जो वन विभाग की जमीन हरिजनों, गिरिजनों और आदिवासियों को दी गयी हैं उसमें से उनको न उजाड़ा जाय।

दूसरा सुझाव पत्थर खदानों के संबंध में हैं। खदानों से पत्थर निकालने के लिए व्यापक पैमाने पर काम हो रहा हैं, अबैध तरीके से लोग खदानों से पत्थर निकाल रहे हैं इससे लाखों रुपये की रायल्टी का नुकसान सरकार का हो रहा हैं। आपके विभाग के अधिकारी मिल कर यह काम लोगों से करवा रहे हैं। मेरा सुझाव हैं कि ऐसे खदानों के पट्टे भी जैसे पेड़ लगाने के लिए हरिजनों को देते हैं उनको दे दिये जांय और हरिजन, गिरिजन और आदिवासी इन पर काम करें ताकि उनकी रोटी रोजी चल सकें।

तीसरा सुझाव वन निगम के सम्बन्ध में हैं इसमें एक आपका प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक कर्मी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें, बैठें।

श्री राम सजीवन—

तो बांदा का जो लौगिंग प्रबन्धक हैं वह बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा हैं या तो आपका उस पर नियंत्रण नहीं हैं या फिर जानबूझ कर उससे सांठ-गांठ कर यह काम करवा रहे हैं (व्यवधान) लाखों रुपया वह लूट रहा हैं। उसे रोकने की कोशिश करिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिये।

श्री अमिताभ लवानियां—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मन्त्री जी का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि वन प्राणियों की वृद्धि के लिए राजस्थान और आसाम से गैंडे मंगाये हैं और नेपाल से घड़ियाल मंगाये हैं। हमारे क्षेत्र में आगरा में एक बंगली जानवर नीला घोड़ा जिसे नील गाय कहते हैं सौ दो सौ की संख्या में आकर सारी फसल को नष्ट कर देती हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि इस समस्या के समाधान कराने का कष्ट करें। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राजित प्रसाद यादव—

मान्यवर, माननीय बदन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। माननीय युवा राज्य वन मन्त्री जी ने बड़ी सुन्दरता और सौम्यता से अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया किन्तु जब कभी किसी मसले पर वह चाहे किसी विभाग का हो, विरोध पक्ष के माननीय सदन में सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, तो माननीय मन्त्री गण मात्र यह समझ कर कि यह इनकी आदत हैं बोलने की, उस पर गौर नहीं करते हैं समस्याओं के समाधान की ओर और न कोई आश्वासन ही देते हैं, मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो बजट पेश किया हैं उसमें बहुत कुछ बादा किया गया हैं और बजट पेश करने का सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा हैं लेकिन आजतक किसी भी विभाग की छवि नहीं बनी और न समस्याओं का समाधान हुआ।

मान्यवर, वन विभाग के अन्तर्गत बहुत सी समस्यायें हैं। हमेशा माननीय मन्त्री जी आप अपनी कार में बैठ कर मुख्य मार्गों से निकलते हैं तो यह देखते होंगे कि सड़कों के दायें-बायें जो वन विभाग द्वारा पेड़ लगाये गये हैं और उन पर लाखों और अरबों रुपये खर्च हुए हैं किन्तु वह सारे पेड़ सूख गये हैं ऐसा क्यों? जो आपने सड़कों के किनारे तथा गांवों में बबूल के पेड़ों को लगवाया हैं उनसे जनता को कोई फायदा नहीं हैं और न उनसे कोई काम

ही जनता का निकल सकता है। बल्कि उन पेड़ों से चोरी, डकैती और राहजनी बढ़ी है क्योंकि चोरों को इन पेड़ों के पीछे छिपने की एक मात्र जगह मिल जाती है, तो यह एक कार्य जरूर किया गया है कि बबूल के पेड़ जनता को कठिनाई देने के लिये लगाये गये हैं जो बेवकूफी का काम सरकार ने किया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जांय। आपका समय समाप्त हो गया।

★श्री पुष्कर सिंह—

मान्यवर, आपने वन विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, आज मानव जीवन में जो वनों का महत्त्व है उसको सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में जबकि पर्यावरण दूषित हो रहा है और प्रकृति का सन्तुलन बिगड़ रहा है, आज इसका महत्व बढ़ गया है। हमारे वन मन्त्री ने जिन महत्वाकांक्षी योजनाओं का बजट में समावेश किया है और जिस सुन्दर ढंग से बजट प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद और बधाई देता हूं।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में वनों से आच्छादित क्षेत्र बहुत ज्यादा है और वह ४० से ६० प्रतिशत वनों के अन्तर्गत है। लेकिन आज वन विभाग की जो योजनायें चल रही हैं वह . .

(व्यवधान)

वहां वन संरक्षण विधेयक के कारण से, विकास योजनायें रुकी हुई हैं . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अब समाप्त कीजिए। सब लोग बैठ जाएं।

श्री पुष्कर सिंह—

आप उसमें शिथिलीकरण के लिए केन्द्र सरकार को लिखिये (व्यवधान) मैं प्रस्तुत बजट का इसके साथ समर्थन करता हूं।

(श्री बदन सिंह को पुकारे जाने पर)

एक सदस्य—

मुझे भाषण नहीं करना है, सिर्फ एक सुझाव देना है . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अब नहीं, वह आपका सुझाव ले लेंगे, आप मन्त्री जी को अपना सुझाव भेज दें।

श्री सुरेश चन्द्र—

(व्यवधान) जो भूमिहीन हरिजन हैं, उनको पट्टे कर दिये जायं। मेरा आपसे अनुरोध है कि उनके पट्टों का नियमितीकरण कर दिया जाय।

श्री बदन सिंह—

मंत्री जी ने कुछ कार्यक्रम दिये थे और उनमें से एक यह भी कार्यक्रम दिया था कि प्रदेश के अन्दर खाली जमीन पर वह पेड़ लगवायेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वह इसमें ५० लाख हेक्टेयर भूमि पर पेड़ लगवायेंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में २३ लाख ५४ हजार हेक्टेयर ही ऐसी जमीन बेकार है, तो आप अपने ही प्रदेश में ५० लाख हेक्टेयर में कैसे पेड़ लगवा देंगे? आगरा में ताजमहल के पास वन विभाग का जो जंगल है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। यहां पर किसान के पशु चरने के लिए जाते हैं तो उनसे जुर्माना लिया जाता है और भिन्न-भिन्न प्रकार से उनको यातनाएं दी जाती हैं। किन्तु वहीं पर अब ओबराय होटल बन रहा है, जिसके लिए ४०—५० एकड़ जमीन दे दी गई है, जबकि उस पर ५० हजार रुपये का बबूल का बीज थोड़े दिन पहले छिड़कवाया गया था। इसकी आप जांच करवा लें। मैं यह भी निवे-

★वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दन करना चाहता हूं, मन्त्री जी ने वन में लगी आग को रोकने के सम्बन्ध में यह कहा हैं कि यह एक हेलीकाप्टर और एक विमान वन की अग्नि बुझाने के लिए खरीदना चाहते हैं। अब तक मन्त्री जी मोटरगाड़ी में सफर करते थे, किन्तु अब ऐसा लगता हैं कि वह अपनी यात्रा के लिए हेलीकाप्टर और विमान खरीदना चाहते हैं। इससे अग्नि नहीं रुकेगी। जब तक वनों के आसपास बसे लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाएगा और उनकी बात सुनकर उस पर गौर नहीं किया जाएगा, तब तक अग्नि नहीं रुक सकती हैं।

यह जो आपने वन निगम बनवाया हैं, यह भी इसके लिए दोषी हैं। अभी लाल-कुआं में १० करोड़ रुपये की लकड़ी जलकर खाक हो गई, ऐसा बताया गया हैं। जबकि वास्तविकता यह हैं कि वह लकड़ी वहां पर थी ही नहीं, उसे पहले ही बेच दिया गया था। इसलिए यह बनावटी अग्निकांड करके उसके बहाने से उस चोरी को छुपाया गया हैं। मान्यवर, इसी वजह से वहां पर आग की दुर्घटना कर दी गयी ताकि पता न चल सके कि लकड़ी में गोलमाल किया गया हैं। इन अग्निकाण्डों को हवाई जहाज और हेलीकाप्टर से नहीं रोक पायेंगे। इसके लिये जरूरी हैं कि आप वहां के रहने वाले लोगों को विश्वास में लें तभी यह आग लगने की घटनायें रुकेंगी। मान्यवर, वन विभाग की हालत ठेकेदारी प्रथा से भी ज्यादा खराब हैं। वहां पर कुछ श्रमिकों को रोजगार देने की बात कही गयी हैं। तो उन श्रमिकों का वहां पर जो असमाजिक तत्व हैं उनका शोषण करते हैं, परेशान करते हैं और उनसे जबरदस्ती पेड़ कटवा कर ले जाते हैं। गोरखपूर क्षेत्र में यह बहुत हो रहा हैं।

वहां पर असमाजिक तत्वों ने कुछ मजदूरों को मार भी दिया हैं। इसी तरह से मिर्जापुर में किया जा रहा हैं। वहां पर इकेंत लोग श्रमिकों का अपहरण कर ले गये और लोग फिरौती देकर छुट कर आ रहे हैं। इतना ही नहीं जो आपके बिक्रय डिपोज हैं वहां पर जो नीलामी होती हैं तो उसको बंदूक और राइफल के बल पर असमाजिक तत्व नीलामी लेते हैं और आम जनता को उस नीलामी से कोई लाभ नहीं पहुंच पाता हैं। इसके के साथ-साथ हमारे मिर्जापुर जिले में जो आदिवासी रहते हैं जैसे कोल, खरवार, बिंद, गोंड, बैगा आदि तो उनको वन विभाग वाले परेशान करते हैं। उनको दैनिक जीवन के प्रयोग के लिये लकड़ी लेने नहीं दिया जाता हैं और विभिन्न प्रकार से दण्डित किया जाता हैं। दूसरा उनके साथ यह अन्याय किया गया हैं कि इनको हरिजन और अनुसूचित जातियों में भी शामिल नहीं किया गया हैं। तो मेरा कहना हैं कि इनकी तरफ ध्यान देना चाहिये और यह जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं इनको सुविधा देने की कृपा करें। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा कि हम किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह पेड़ लगायें। लेकिन किसान अपने खेत की मेड़ पर जो पेड़ लगाता हैं तो वह उनकी कटान नहीं कर सकता हैं। उनको परमीशन लेनी पड़ती हैं। किसानों को हल, चारपाई और छप्पर व अपनी मड़ैया आदि बनाने के लिये लकड़ी की आवश्यकता होती हैं तो इन छोटी मोटी चीजों के लिये उसको लकड़ी काटने की इजाजत नहीं हैं। किसान के पेड़ जो सूख जाते हैं और उनको जो छोटी मोटी चीजों के लिये लकड़ी की आवश्यकता होती हैं उसके लिये उनको पेड़ काटने की अनुमति होनी चाहिये। माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री घड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं अपनी बात जल्दी ही खत्म कर दूंगा। तो मेरा कहना हैं कि किसानों को परमीशन लेने से मुक्त कर दीजिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि ईंधन आज १०० रुपये क्विंटल बिक

रहा है और रस भरा गन्ना २४ रुपये पर बिक रहा है । जैसा कि माननीय ओंसान सिंह ने कहा लकड़ी पर ३० परसेंट रिश्वत पुलिस लेती है और २० परसेंट रिश्वत वन विभाग लेता है जिससे लकड़ी मंहगी है । तो वन विभाग, वन विभाग को ही खा रहा है । इसी तरह से आपका जो यूलीप्लोरा पेड़ है इसके लिये बीजों को नहीं बोना पड़ता है । यह ऐसी किस्म है जो अपने आप फूट-फूट कर उग रही है । यह किस्म ठीक नहीं है । इसकी जगह पर पुरानी किस्म के बबूल के पेड़ों को बोना चाहिये क्योंकि उसकी लकड़ी विभिन्न प्रकार के काम में आती है । आपने गेंडे और घड़ियाल की बात कही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

बदन सिंह जी, आप समाप्त कीजिये ।

श्री. बदन सिंह—

लेकिन आपने राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में कोई बात नहीं कही है । आपके प्रदेश से यह धीरे-धीरे लुप्त हो रहे हैं । तो इस राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में भी ध्यान दीजिये और इसको बचाने के संबंध में कोशिश कीजिये ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, माननीय बदन सिंह जी का मैं बड़ा लिहाज करता हूं । जो बातें पहले कह चुके हैं उन्हीं को फिर दोहरा रहे हैं ।

श्री बदन सिंह—

मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं कि जड़ी बूटियां पर्वतीय क्षेत्र से खत्म हो रही हैं । वहां पर तेज पत्ता और दालचीनी वगैरह के पेड़ समाप्त हो रहे हैं । तो इन जड़ी बूटियों का संरक्षण किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है मैं उनका आभारी हूं ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें दिये और मैं सभी माननीय सदस्यों से यही कहूंगा कि जो सुझाव उन्होंने दिये हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और जो भी अच्छे सुझाव होंगे, उन पर अवश्य कार्य करवाऊंगा । माननीय बदन सिंह जी ने तो बहुत से सुझाव दिये, उनमें एक जो उन्होंने कहा कि ५० लाख हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश में वन की है, यह बात मैंने नहीं कही, मैंने पूरे देश के लिये कही है । दूसरे एक माननीय सदस्य ने करोड़ों रु० की लकड़ी के जलने की बात कही । इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि अवश्य लकड़ी में आग लगी, इसकी मैं जांच करवा रहा हूं, जांच में जो तथ्य सामने आयेंगे, वह मैं आपके सामने रखूंगा और एक बात अमिताभ अनिल साहब ने कही, इस खूंखार जानवर के बारे में, इस संबंध में मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिये हैं जहां-जहां लोग इसके आतंक से परेशान हों वहां पर परमीशन लेकर वह उसको मार सकते हैं ।

इसके साथ ही राजेश कुमार खैरा जी ने जो असामाजिक तत्वों के बारे में बात कही, उसकी बराबर देख-रेख हो रही है और जहां तक मा० सदस्य श्री ओंसान सिंह जी ने लकड़ी की कटाई के बारे में पुलिस द्वारा अव्यवस्था फैलाने की बात कही, इसको मैं दिखवा रहा हूं, अगर कोई ऐसी बात सामने आयेगी तो उन्हें आदेशित किया जायेगा कि उनका विभाग उन पर सख्ती करे और श्रीमती विजय लक्ष्मी जी ने कहा कि २० सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हम लकड़ी के डिपो और अन्य क्षेत्रों व कस्बों में बढ़ाए तो मैं इन केन्द्रों को बढ़ा रहा हूं और जहां तक तक कस्बों में इन डिपों के बढ़ाने की मांग आयी है, उस पर हम विचार कर रहे हैं और एक माननीय सदस्य द्वारा पैंथर के बारे में बात कही गयी, दूधवा

पार्क के अंदर बढ़ने की, उनको मारने की और उनसे मनुष्यों की रक्षा के लिये भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं · पहले हमें मनुष्यों को बचाना हैं, बाद में पशुओं को । माननीय बदन सिंह जी द्वारा आखिर में जहाज और हेलीकाप्टर के बारे में बातें कहीं गयीं इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जब यह आ जायेंगे तो मैं उन्हें भी बगैर पैसे के आगरे की यात्रा करवा दूंगा । इस संबंध

(हंसी)

में हमारे और भी बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं । मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि यह जो सुझाव दिये हैं, यह सुझाव किसी विरोध पक्ष में नहीं हैं, हम सबकी एक संविदा हैं, हम सबकी एक धरोहर हैं और हम सबकी जिम्मेदारी हैं और हम आशा करते हैं कि हम सब मिल-जुल कर जिम्मेदारी के साथ इसको देखेंगे । मान्यवर, जो कटान की बात कही गयी हैं, उसमें हम राणा साहब को बताना चाहते हैं कि अंसत कटान के संबंध में हमने जो अपनी फोर्स बनाई हैं, उसमें कुछ कमियां भी हैं, उसमें हम चाहते हैं कि हम अपनी फोर्स को मजबूत कर सकें, जिससे कि हमारा अंसत कटान कम हो सके । इसी के साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे बदन सिंह साहब ने काफी अच्छी स्टडी करके आये हैं, मुझे लगता हैं कि वह रात भर स्टडी करके आये हैं । मैं माननीय बदन सिंह से चाहूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और सब लोग मिल-जुल कर वन विभाग की भलाई के लिये काम करें । मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस वन विभाग के बजट को पारित करने में सहयोग देने की कृपा करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, किसानों के जो पेड़ सूख जाते हैं और उन पेड़ों की लकड़ियां खेती के काम में आती हैं, उनके लिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि किसानों के हित में उनको काटने के लिए मुक्त करने का आदेश कर दें ।

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, हमारे सीधे आदेश हैं कि जो भी किसानों के अपने पेड़ हैं, अपने निजी काम के लिए वे उन पेड़ों को काट सकते हैं । अगर किसी जिले में कोई वन अधिकारी उनको नाजायज परेशान करता हैं, तो उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे ।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मान्यवर, माननीय वन मंत्री जी ने वर्मा जी के उत्तर में बताया कि किसान अपने निजी प्रयोग के लिये पेड़ काट सकते हैं, शासन ने यह नीति बना रखी हैं, वह स्वागत योग्य हैं । लेकिन मान्यवर, उसका कार्यान्वयन नहीं होता हैं । मान्यवर, जो २७ प्रजातियां मुक्त हैं कटान के लिये कि इस किस्म के पेड़ किसान काट सकते हैं, तो इसके लिए पुलिस स्टेशनों पर, बी० डी० सी० को, और ग्राम प्रधानों को सर्कुलर भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री जफर अली नकवी—

मान्यवर, माननीय बरार जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, उसका कार्यान्वयन जिले स्तर पर नहीं होता हैं । मैं बहुत ही जल्दी जिले स्तर पर एक कमेटी की घोषणा करने जा रहा हूं, जिसमें माननीय सदस्य उसके सदस्य होंगे । हम इसको बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत लागू करने जा रहे हैं । जहां तक सर्कुलर की बात हैं, वह हम सर्कुलर बहुत ही शीघ्र भेजवा देंगे ।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि वृक्षारोपण के लिए हम बहुत उत्साहित हैं, जो हमारी कृषि योग्य भूमि हैं, उसके ऊपर व्यवहारिक रूप से वृक्षारोपण किया जा रहा हैं, तो किसी सम्य में

ऐसी स्थिति आ जायगी कि सभी कृषि योग्य जो भूमि हैं, उस पर वृक्षारोपण हो जायगा । तो मान्यवर, इसके लिए कोई निर्धारित भूमि निश्चित होनी चाहिए ।

श्री आंसान सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पेड़ २० साल से आरक्षित थे उन पेड़ों को काट दिया गया हैं । बृहद स्तर पर आरक्षित पेड़ों का कटान हुआ हैं, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

जांच को इन्होंने कह दिया हैं ।

माननीय बदन सिंह जी क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री बदन सिंह—

जी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह हैं कि अनुदान संख्या-५३ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह हैं कि ३१ मार्च, १९८७ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ५३-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये ४२,७२,९५,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं । सोमवार को ११.०० बजे पुन: बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन सायंकाल ८ बजकर १३ मिनट पर सोमवार, दिनांक ३ मार्च, १९८६ के दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१ मार्च, १९८६

पी. एस. यू. पी.—ए. पी. २५ वि. सभा.— १२-५-८६—(७४३)—१९८६—८१३ (हि०) ।